

दूसरी SECOND

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

2012-2013

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पिठत अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च March, 2013

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2012-13.

वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच में 60 अनुदान और 1 विनियोग शामिल हैं। ₹49,715.54 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि ₹40967.27 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय के तकनीकी पूरक प्रस्तावों की राशि ₹8,747.29 करोड़ है। इसके अलावा, 98 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है, जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

निवल नगद व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नलिखित हैं:

हेत्।

INTRODUCTORY NOTE

Subject: Second and Final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2012-2013.

The second and final batch of Supplementary Demands for Grants for 2012-2013 includes 65 Grants and 1 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹49,715.54 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹40,967.27 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹8,747.29 crore. Besides, token provision of ₹98 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

89.67

89.67

		(करें)	s in Crore)	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total
रसायन और उर्वरक मंत्रालय 7 उर्वरक विभाग (क) आयातित उर्वरक (₹2000 करोड़), (ख) आयातित विनियंत्रित उर्वरक (₹1999.99 करोड़), और (ग) स्वदेशी उर्वरक (₹1000 करोड़) संबंधी सब्सिडी हेतु।	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS 7 Department of Fertilisers For subsidy on (a) imported fertilisers (₹2000 crore), (b) imported decontrolled fertilisers (₹1999.99 crore), and (c) indigenous fertilisers (₹1000 crore).		4,753.99	4,753.99
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 17 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (क) 2010-2011 तक सब्सिडी की बकाया राशि में से भारतीय खाद्य निगम को (₹10,002.01 करोड़), (ख) आयातित खाद्य तेलों (₹2.89 करोड़) के संबंध में सब्सिडी प्रदान करने हेतु।	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 17 Department of Food and Public Distribution For providing subsidy (a) to Food Corporation of India (₹10,002.01 crore) against arrears of subsidy upto 2010-2011, and (b) towards Imported Edible Oils (₹2.89 crore).		9,914.06	9,914.06
संस्कृति मंत्रालय 19 संस्कृति मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अनियत कामगारों को मजदूरियों के संबंध में अतिरिक्त व्यय (₹3.15 करोड़) की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF CULTURE 19 Ministry of Culture For meeting additional expenditure (₹3.15 crore) towards payment of wages to casual labourers in Archaeological Survey of India.		3.14	3.14
रक्षा मंत्रालय 21 रक्षा पेंशन (क) न्यायालय की डिक्री के फलस्वरूप (₹0.56 करोड़) और (ख) पेंशन देयताएँ (₹499.44 करोड़) भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF DEFENCE 21 Defence Pensions For meeting additional expenditure towards payment (a) arising out of court decree (₹0.56 crore) and (b) pension liabilities (₹499.44 crore).		500.00	500.00
विदेश मंत्रालय 31 विदेश मंत्रालय भूटानशाही सरकार में चल रही तीन पन बिजली परियोजनाओं को अनुदान के रुप में अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने हेतु।	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 31 Ministry of External Affairs For providing additional allocation as grant to Royal Government of Bhutan for ongoing Hydro-Electric Power projects.	400.00		400.00
वित्त मंत्रालय 40 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग अतिरिक्त वेतन और अन्य स्थापना संबंधी व्यय	MINISTRY OF FINANCE 40 Indian Audit and Accounts Department For additional salary and other establishment			

related expenditure.

			ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 49 एड्स नियंत्रण विभाग (क) निम्नलिखित के संबंध में (i) एंटी-रैट्रोवायरल ट्रीटमेंट (आर्ट) औषधियों की आपूर्ति की खरीद (₹53.51 करोड़) (ii) 'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम' के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को सामान्य सहायता अनुदान (₹6 करोड़) और (ख) परामर्श शुल्कों के भुगतान पर (₹0.05 करोड़) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 49 Department of AIDS Control For meeting expenditure (a) towards (i) procurement of supply of Anti-Ratro Viral Treatment (ART) Drugs (₹53.51 crore), (ii) Grants-in-aid General to North Eastern States (₹6 crore) under the 'National AIDS Control Programme', and (b) on payment of Consultancy Fees (₹0.05 crore).	59.56		59.56
गृह मंत्रालय 53 मंत्रिमंडल घरेलू यात्रा व्यय (₹5.13 करोड़) और एयर इंडिया के लंबित दावों के निपटान (₹196.43 करोड़) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 53 Cabinet For meeting additional expenditure on domestic travel expenses (₹5.13 crore) and clearing pending claims of Air India (₹196.43 crore)		201.56	201.56
खान मंत्रालय 66 खान मंत्रालय निम्नलिखित के लिए वेतन (i) भारतीय भूवैज्ञानित सर्वेक्षण (₹23.61 करोड़), (ii) भारतीय खान ब्यूरो (₹2.72 करोड़), (ख) निम्नलिखित के लिए वेतन सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय चट्टान विज्ञान संस्थान (₹4 करोड़), (ii) राष्ट्रीय खनक स्वास्थ्य संस्थान (₹0.20 करोड़) और जवाहरलाल नेहरु एल्यूमिनियम अनुसंधान डिजाइन और विकास केन्द्र (₹0.55 करोड़) संबंधी अतिरिक्त व्यय हेतु।	MINISTRY OF MINES 66 Ministry of Mines For additional expenditure towards (a) salaries for (i) Geological Survey of India (₹23.61 crore), (ii) Indian Bureau of Mines (₹2.72 crore), (b) Grants-in-aid Salary for (i) National Institute of Rock Mechanics (₹4 crore), (ii) National Institute of Minors Health (₹0.20 crore), and (iii) Jawaharlal Nehru Aluminium Research Design and Development Centre (₹0.55 crore).		27.93	27.93
संसदीय कार्य मंत्रालय 71 संसदीय कार्य मंत्रालय अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	 MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS Ministry of Parliamentary Affairs For meeting additional establishment related expenditure. 		0.43	0.43
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND			
73 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की कारण तेल विपणन कम्पनियों को अनुमान से कम वसूलियों के संबंध में क्षतिपूर्ति (₹25,000 करोड़) (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए तेल विपणन कम्पनियों को सब्सिडी (₹122.87 करोड़) प्रदान करने हेतु।	NATURAL GAS 73 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing (a) compensation towards estimated under-recoveries (₹25,000 crore) to Oil Marketing Companies on account of sale of petroleum products, and (b) subsidy (₹122.87 crore) to Oil Marketing Companies for supply of Natural Gas to North Eastern Region.	2	24,773.75 24	ł,773.75
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय 77 लोकसभा संसद सदस्यों की यात्रा के लिए रेल मंत्रालय द्वारा उठाए गए डेबिट दावों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT 77 Lok Sabha For meeting additional expenditure on account of debit claims raised by Ministry of Railways for travel of Members of Parliament.		6.00	6.00

		<i>(क</i> आयोजना	आयोजना-भिन	न जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित) 97 चंडीगढ़ राजस्व संबंधी व्यय (₹292.09 करोड़) हेतु।	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE) 97 Chandigarh For revenue related expenditure (₹292.09			
	crore).		237.18	237.18
कुल नगद व्यय	Total Cash Outgo	459.56	40,507.71	0,967.27
3. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में ₹8,747.29 करोड़ के तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं, जिनकी पूर्ति मंत्रालयों/विभागों को अतिरिक्त बचतों/वसूलियों या अनुवर्ती बचतों में से की जानी है। ये मदें इस प्रकार से हैं:	3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹8,747.29 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:			
अनुदानों की सांकेतिक पूरक मांगें	Technical Supplementary Demands for grants			
परमाणु ऊर्जा विभाग 4 परमाणु ऊर्जा विभाग न्यायालय आदेश के अनुपालन में दुर्लभ सामग्री संयंत्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मैसूर द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए वर्धित क्षतिपूर्ति संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 4 Atomic Energy For meeting expenditure on enhanced compensation for land acquired by Rare Materials Plant, Bhabha Atomic Research Centre, Mysuru in compliance of court order.	8.00		8.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND			
7 उर्वरक विभाग रसायन और उर्वरकों पर सब्सिडी (₹1,000 करोड़) हेतु।	FERTILISERS 7 Department of Fertilisers For subsidy on indigenous fertilisers (₹1000 crore).		243.95	243.95
नागर विमानन मंत्रालय 9 नागर विमानन मंत्रालय हज 2012 के परिचालन हेतु सब्सिडी (₹268 करोड़) पर व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF CIVIL AVIATION 9 Ministry of Civil Aviation For providing expenditure on Subsidy (₹268 crore) for operation of Haj 2012.		96.60	96.60
कोयला मंत्रालय 10 कोयला मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए भूमि से हटाए गए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF COAL 10 Ministry of Coal For meeting expenditure towards payment of compensation to land oustees for land acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited.		214.95	214.95
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND			
 वाणिज्य और उद्योग विभाग विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन के संबंध में न्यायालय डिक्री के फलस्वरूप होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग निवेश सब्सिडी (पुरानी) योजना के तहत न्यायालय 	 INDUSTRY 11 Department of Commerce For meeting expenditure arising out of court decree relating to Foreign Trade and Export Promotion. 12 Department of Industrial Policy and Promotion For meeting expenditure arising out of court 		0.11	0.11
डिक्री के फलस्वरूप होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु।	decree under Investment Subsidy (Old) Scheme.	0.0	4	0.04

			in Crore,	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
(क) (i) अदालती डिक्री से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय पूरा करने (₹0.11 करोड़), (ii) वेतन (₹582.70 करोड़), पेंशन (₹455 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	13 Department of Posts (a) For (i) meeting additional expenditure (₹0.11 crore) arising out of court decree, (ii) meeting additional expenditure on salary (₹582.70 crore), pension (₹455 crore).		940.98	940.98
(ख) डाकखाना भवन (₹0.11 करोड़), और स्टाफ आवासों (₹0.55 करोड़) के निर्माण पर विवाचन पंचाट से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure arising out of arbitration award on construction of Post Office building (₹0.11 crore) and staff quarters (₹0.55 crore).	0.66		0.66
14 दूरसंचार विभाग 'ओएफसी बेस्ड फार डिफेंस सर्विसेज' के तहत मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड को भुगतान (₹162 करोड़) करने के लिए।	14 Department of Telecommunications For making payment (₹162 crore) to M/s Bharat Sanchar Nigam Limited under 'OFC based Network for Defence Services'.	80.64		80.64
उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,	00.01		00.01
17 खाद्य और जनवितरण विभाग (क) 2010-11 तक सब्सिडी के बकायों के बदले भातीय खाद्य निगम (₹10,002.01 करोड़), और (ख) आयातित खाद्य तेलों (₹2.89 करोड़) पर सब्सिडी प्रदान करने हेतु।	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 17 Department of Food and Public Distribution For providing subsidy (a) to Food Corporation of India (₹10,002.01 crore) against arrears of subsidy upto 2010-2011, and (b) towards Imported Edible Oils (₹2.89 crore).		28.37	28.37
रक्षा मंत्रालय 24 रक्षा सेवाएं - वायु सेना अदालती डिक्री के परिणामतः व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF DEFENCE 24 Defence Services - Air Force For meeting expenditure arising out of court		0.00	0.07
26 रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास अदालती डिक्री के परिणामतः व्यय को पूरा करने के लिए।	decree. 26 Defence Services-Research and Development For meeting expenditure arising out of court decree.		0.86	0.86
पर्यावरण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND			
30 पर्यावरण और वन मंत्रालय (क) (i) भारतीय जंतु विज्ञान सर्वेक्षण (₹2 करोड़), (2) कार्यालय भवन (₹6 करोड़) के तहत बड़े निर्माण कार्यों, (ii) सवाई माधोपुर स्थित प्राकृतिक इतिहास के क्षेत्रीय संग्रहालय के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (₹4 करोड़) पर व्यय पूरा करने के लिए।	FORESTS 30 Ministry of Environment and Forests (a) For meeting expenditure (i) on major works under (1) Zoological Survey of India (₹2 crore), (2) Office Building (₹6 crore), (ii) of National Museum of Natural History (₹4 crore) for Regional Museum of Natural History at Sawai			
(ख) असैन्य इंजिनियरी स्कंध के वेतन पर व्यय पूरा करने के लिए।	Madhopur. (b) For meeting expenditure on salary of Civil Engineering Wing.	9.99	0.50	9.99 0.50
विदेश मंत्रालय 31 विदेश मंत्रालय (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (₹7.30 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान, (ख) राजदूतावासों और मिशनों (₹15 करोड़) के वेतन व्यय और (ग) बंग्लादेश सरकार को अनुदान सहायता (₹250 करोड़) के लिए।	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 31 Ministry of External Affairs For (a) Grants-in-aid General to Indian Council for Cultural Relations (₹7.30 crore), (b) salary expenditure of Embassies and Missions (₹15 crore) and (c) Grants assistance to Government of Bangladesh (₹250 crore).		265.00	265.00

				(करोड़ रुपए Rupees in C			
अनुद	तन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan			
वित्त	मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE					
34	विनियोजन - ब्याज संदाय	34 Appropriation-Interest Payments					
	विविध कर्जीं/हुंडियों, भविष्य निधि, बंधपत्रों आदि	For meeting additional expenditure					
	पर ब्याज के भुगतानार्थ अतिरिक्त व्यय (₹10,603.57	(₹10,603.57 crore) towards payment of					
	करोड़) पूरा करने के लिए।	interest on various loans/bills, Provident					
		Fund, Bonds, etc.		4,718.00	4,718.00		
35	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	35 Transfers to State and Union Territory					
		Governments					
	केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय योजना स्कीमों	For providing debt relief to State					
	के लिए राज्य सरकारों को ऋण राहत मुहैया	Governments for Centrally Sponsored					
	कराने के लिए।	Schemes and Central Plan Schemes.		213.55	213.55		
भारी	उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND					
		PUBLIC ENTERPRISES					
50	भारी उद्योग विभाग	50 Department of Heavy Industry					
	(क) मैसर्स अंडू यूले और कंपनी लिमिटेड (₹0.64	For carrying out necessary accounting					
	करोड़) और (ख) मैसर्स भारी इंजिनियरी निगम	adjustment relating to waiver of guarantee					
	लिमिटेड (₹5.06 करोड़) के गारंटी शुल्क की	fee in respect of (a) M/s Andrew Yule and					
	माफी संबंधी आवश्यक लेखाकरण समायोजन कराने	Company Limited (₹0.64 crore) and (b) M/s					
	के लिए।	Heavy Engineering Corporation Limited					
		(₹5.06 crore).		5.70	5.70		
गृह :	मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
_	गृह मंत्रालय	52 Ministry of Home Affairs					
	मानव अधिकार भवन पर अतिरिक्त व्यय (₹4.29	For meeting additional expenditure (₹4.29					
	करोड़) पूरा करने के लिए।	crore) on Manav Adhikar Bhawan.	4.25		4.25		
53	मंत्रि मं डल	53 Cabinet					
	(क) अन्य प्रभारों (₹0.28 करोड़), और (ख) विशेष	For meeting additional expenditure (a)					
	रक्षा समूह के लिए स्थापना (₹12.45 करोड़) के	under Other Charges (₹0.28 crore), and (b)					
	तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	establishment (₹12.45 crore) in respect of					
		Special Protection Group.		12.73	12.73		
54	पुलिस	54 Police					
	वेतन, वस्त्र/टेंटेज और गुप्त सेवा के लिए व्यय	For augmentation of expenditure (₹747.64					
	(₹747.64 करोड़) में वृद्धि के लिए।	crore) towards salary, clothing/Tentage and					
		Secret Service.		12.74	12.74		
सूचः	ना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND					
		BROADCASTING					
60	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	60 Ministry of Information and Broadcasting					
	प्रसार भारती को (₹187.65 करोड़) वेतन सहायता	For Grants-in-aid Salaries (₹187.65 crore)					
	अनुदान के लिए।	to Prasar Bharati.		112.08	112.08		
खान	मंत्रालय	MINISTRY OF MINES					
66	खान मंत्रालय	66 Ministry of Mines					
	(क) (i) भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण (₹23.61	For additional expenditure towards (a)					
	करोड़), (ii) भारतीय खान ब्यूरो (₹2.72 करोड़),	salaries for (i) Geological Survey of India					
	के लिए वेतनों, (ख) (i) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ	(₹23.61 crore), (ii) Indian Bureau of Mines					
	राक मेकेनिक्स (4 करोड़), (ii) राष्ट्रीय नाबालिग	(₹2.72 crore), (b) Grants-in-aid Salary for (i)					
	शिशु स्वास्थ्य संस्थापना (₹0.20 करोड़),और (iii)	National Institute of Rock Mechanics (₹4					
	जवाहर लाल नेहरु अल्युमिनियम शोध अभिकरण	crore), (ii) National Institute of Minors					
	और विकास केन्द्र (₹0.55 करोड़) के लिए अतिरिक्त	Health (₹0.20 crore), and (iii) Jawaharlal					
	व्यय हेतु।	Nehru Aluminium Research Design and					

		(करे	ोड़ रुपए Rupee		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan		
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS				
72 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	72 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions				
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure of Central Vigilance Commission, etc.		0.50	0.50	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS				
73 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क) ऑयल इंडिया लिमिटेड (₹282.90 करोड़) और (ख) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹198.60 करोड़) द्वारा निर्गमित बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश हेतु।	73 Ministry of Petroleum and Natural Gas For additional equity investment in the form of bonus shares issued by (a) Oil India Limited (₹282.90 crore), and (b) Bharat Petroleum Corporation Limited (₹198.60 crore).		480.50	480.50	
विद्युत मंत्रालय 75 विद्युत मंत्रालय (क) पूर्वोत्तर विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा देय ब्याज और शास्ति ब्याज (₹90.21 करोड़) की माफी, (ख) पूर्व दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम की देयराशियों (₹3,326.39 करोड़) के निपटान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को ऋण हेतु।	MINISTRY OF POWER 75 Ministry of Power For (a) waiver of interest and penal interest payable (₹90.21 crore) by North Eastern Electric Power Corporation Limited, and (b) loan to Government of NCT of Delhi for settlement of dues (₹3,326.39 crore) of erstwhile Delhi Electric Supply Undertaking.		1,122.01	1,122.01	
पोत परिवहन मंत्रालय 88 पोत परिवहन मंत्रालय (क) प्रमुख तलकर्षण परियोजना के प्रमुख निर्माण कार्य (₹24.50 करोड़) (ख) जलपोतों की खरीद और बदलाव हेतु (₹15.30 करोड़) तथा (ग) प्रकाशगृह और प्रकाशपोत महानिदेशालय द्वारा ई-गवर्नेंस के तहत अन्य प्रभारों (₹0.25 करोड़) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF SHIPPING 88 Ministry of Shipping For meeting additional expenditure (a) on Major Works (₹24.50 crore) of Capital Dredging Project, (b) for purchase and replacement of vessels (₹15.30 crore) and (c) of Other Charges under E-Governance by Directorate General of Lighthouses and Lightships (₹0.25 crore).	10.00		10.00	
कपड़ा मंत्रालय 93 कपड़ा मंत्रालय (क) मेसर्स ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹28.60 करोड़), और (ख) राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम (₹34.73 करोड़) को ऋम प्रदान करने हेतु।	MINISTRY OF TEXTILES 93 Ministry of Textiles For providing loan to (a) M/s British India Corporation Limited (₹28.60 crore), and (b) National Jute Manufacturing Corporation (₹34.73 crore).		63.33	63.33	
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)				
97 चंडीगढ़ राजस्व संबंधी व्यय हेतु (₹292.09 करोड़)।	97 Chandigarh For revenue related expenditure (₹292.09		54.91	54.91	
100 लक्षद्वीप राजस्व संबंधी व्यय हेतु (₹46.94 करोड़)।	crore). 100 Lakshadweep For revenue related expenditure (₹46.94 crore).		37.31	37.31	
शहरी विकास मंत्रालय 101 शहरी विकास विभाग राष्ट्रपति संपदा के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 101 Department of Urban Development For meeting additional expenditure for		5.75	5.7.7	
हेतु।	President's Estate.		5.75	5.75	
कुल तकनीकी	Total Technical	113.58	8,633.71	8,747.29	

	2012 2013 SOTTEENELVITAGE DEWENDEST OF		ड़ रुपए Rupees	in Crore)
		आयोजना	अायोजना-भिन्न	<i>m crore)</i> जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपए का पूरक अनुदान प्रस्तावित है, जिसके मुकाबले निर्दिष्ट व्यय को राजस्व अथवा पूंजी भाग में बचतों के पुनविर्नियोग से पूरा किया जाएगा, संगत अनुदान का जैसा भी मामला हो।	4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
अनुदानों की सांकेतिक पूरक मांगें	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
1. कृषि और सहकारिता विभाग	1 Department of Agriculture and Cooperation			
(क) 'फसल कृषि कार्य' के अंतर्गत व्यय से संबंधित सहायता अनुदान के लिए। (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ व्यय से संबंधित सहायता अनुदान के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र उप-योजना हेत् विशेष घटक	 (a) For Grants-in-aid related expenditure under 'Crop Husbandry'. (b) For Grants-in-aid related expenditure for the benefit of North Eastern Region, 	17.77		17.77
योजना।	Special Component Plan for Scheduled Caste and Tribal Area Sub-Plan.	49.06		49.06
2. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(क) कृषि अनुसंधान और शिक्षा के अन्तर्गत भारतीय	(a) For meeting Grants-in-aid related			
कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के व्यय से संबंधित सहायता अनुदान को पूरा करने के लिए।	expenditure of Indian Council of Agricultural Research (ICAR) under 'Agricultural Research and Education'.	174.79	36.56	211.35
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभार्थ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के व्यय से संबंधित सहायता अनुदान को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting Grants-in-aid related expenditure of Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for the			
3. पशुपालन डेयरी और मात्स्यिकी विभाग	benefit of North Eastern Areas. 3 Department of Animal Husbandry,	13.62		13.62
	Dairying and Fisheries			
(क) पशु धन बीमा योजना के अन्तर्गत सामान्य अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु। (ख) डेयरी विकास के अंतर्गत किए गए व्यय से	(a) For additional Grants-in-aid General under the Scheme of Livestock Insurance.(b) For Grants-in-aid related expenditure	2.00		2.00
संबंधित सहायता अनुदान हेतु। (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ व्यय से संबंधित सहायता	under Dairy Development. (c) For Grants-in-aid related expenditure	170.42		170.42
अनुदान हेतु।	for the benefit of North Eastern Region.	10.50		10.50
परमाणु उर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. आण्विक उर्जा विभाग	4 Atomic Energy			
(क) परमाणु उर्जा अनुसंधान से संबंधित अतिरिक्त राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) परमाणु उर्जा उद्योग से संबंधित अतिरिक्त	(a) For meeting additional revenue expenditure relating to Atomic Energy Research.(b) For meeting additional capital expenditure relating to Atomic Energy.	28.88	48.43	77.31
पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए।	expenditure relating to Atomic Energy Industries.	43.76		43.76
(ग) परमाणु उर्जा अनुसंधान से संबंधित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional capital expenditure relating to Atomic Energy Research.	80.99		80.99
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10 कोयला मंत्रालय	10 Ministry of Coal			
विस्तृत ड्रिलिंग योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under the scheme of Detailed Drilling.	65.00		65.00
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग पेंशन और अन्य स्थापन संबंधित देयताओं को पूरा करने के लिए कॉफी बोर्ड को अतिरिक्त सहायता	11 Department of Commerce For additional Grants-in-aid to Coffee Board for meeting pension and other			
अनुदान के लिए।	establishment related liabilities.		7.35	7.35

	जना-भिन्न n Plan	जोड़ Total
		Total
(0.75	0.75
.84		11.84
2		0.12
8		1.08
.21 (06	6.00	22.21
78	8.16	78.16
		351.76
50	0.00	50.00
	35	351.76 50.00

			ड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
 (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ हेतु पर्यावरण विकास बलों के लिए अन्य संविदात्मक सेवाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए। (ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय 	 (b) For meeting expenditure on other contractual services for Eco-Development Forces for the benefit of North Eastern Region. (c) For Grants-in-aid General to National 	5.00		5.00
गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	Ganga River Basin Authority under National River Conservation Programme.	11.00		11.00
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
31. विदेश मंत्रालय गृह निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय हेतु ।	31 Ministry of External Affairs For Capital Outlay on Housing.		25.00	25.00
वित्त मंत्रालय 32. आर्थिक कार्य विभाग (क) रेलवे की महत्वपूर्ण रेल लाइनों के प्रचालन पर होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF FINANCE 32 Department of Economic Affairs (a) For meeting additional expenditure towards reimbursement of losses to Railways on operating Strategic Railway			
्च) सेशेल्स गणराज्य को ऋण/ऋण पर व्यय में	lines. (b) For waiver of loan/interest on loan to	•••	37.00	37.00
्र्यूट के लिए। (ग) अवसंरचना विकास-व्यवहार्यता मंत्रालय निधि पोषण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	Republic of Seychelles. (c) For meeting additional expenditure for assistance towards Infrastructure		0.03	0.03
के लिए। 33. वित्तीय सेवाएं विभाग पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के लिए	Development-Viability Gap Funding. 33 Department of Financial Services For Grants-in-aid Salary to Pension Fund	20.00		20.00
सहायता अनुदान वेतन।	Regulatory and Development Authority.		0.50	0.50
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रोद्योगिकी उन्नयन/ संस्थापन/आधुनिकीकरण हेतु (₹31.46 करोड़) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए मेगा फूडपार्क स्थापित करने के लिए अवसंरचना विकास-सहायता (₹1.72 करोड़)।	45 Ministry of Food Processing Industries For providing additional Grants-in-aid General to the scheme of (a) Technology Up gradation/Establishment/Modernisation of Food Processing Industries (₹31.46 crore) and (b) Infrastructural Development- Assistance for setting up of Mega Food Park of Food Processing Industries (₹1.72 crore).	33.18		33.18
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY			
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (क) चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र	WELFARE 46 Department of Health and Family Welfare (a) For Grants related expenditure under	0.00	1.60	11.50
में अनुदान से संबंधित व्यय। (ख) परिवार कल्याण के अंतर्गत अनुदान संबंधी व्यय।	Medical and Public Health. (b) For Grants related expenditure under Family Welfare.	9.90 50.45	1.60	11.50 50.45
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ अनुदान संबंधी व्यय।	(c) For Grants related expenditure for the benefit of North Eastern Region.	58.57		58.57
(घ) परिचर्या सेवाओं के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। (ड) आपातकालीन चिकित्सीय राहत (एवियन फ्लू) के लिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्साजेनरेटर (ईसीएमओ) के अधिप्रापण पर	 (d) For Grants for creation of capital assets under the scheme 'Upgradation/ Strengthening of Nursing Services. (e) For meeting the additional requirement on procurement of Extra Corporeal Membrane Oxygenator (ECMO) 	111.17		111.17
अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	machines for Emergency Medical Relief (Avian Flu).	1.50		1.50

			ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
47. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग	17 Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	d		
(क) चिकित्सीय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुदान से संबंधित व्यय। (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ अनुदान संबंधी व्यय।	(a) For Grants related expenditure unde Medical and Public Health.(b) For Grants related expenditure for th	30.89	7.40	38.29
48. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	benefit of North Eastern Region. 18 Department of Health Research	3.63		3.63
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का अनुमान संबंधी व्यय के लिए।	For Grants related expenditure of India Council of Medical Research, New Delhi		5.90	26.04
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
52. गृह मंत्रालय	52 Ministry of Home Affairs			
(क) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (₹0.01 करोड़) और (ख) अनुवाद में प्रशिक्षण विस्तार (₹0.02 करोड़) के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं पर व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure on Professiona Services under (a) Central Translatio Bureau (₹0.01 crore), and (b) Expansio	n		
53. मंत्रिमंडल	Training in Translation (₹0.02 crore). Cabinet		0.03	0.03
विशेष संरक्षण दल के विशेष उपाय यूनिट हेतु मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under Machinery and Equipment for the Special Intervention Unit of Special Protection Group	.1	27.48	27.48
54. पुलिस पुलिस पर पूंजी परिव्यय के अंतर्गत व्यय संवर्धन	For augmenting expenditure under Capita			
हेतु। 55. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	Outlay on Police. 55 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	48.54 f	107.54	156.08
(क) राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के लघु निर्माण कार्य के अंतर्गत व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure under Mino Works of National Disaster Respons Force.			0.01
(ख) यूएनडीपी जोखिम प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता अनुदान देने हेतु।	(b) For providing additional Grants-in-ai under UNDP-Risk Management Projec	d	10.00	10.00
(ग) बोडो टैरिटोरियल काउंसिल सेक्रेटेरियट को सहायता अनुदान के लिए।	(c) For Grants-in-aid to Bodo Territoria Council Secretariat.		0.01	0.01
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT	E		
58. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	58 Department of School Education and Literacy	d		
(क) "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु।	(a) For Grants for creation of capital asset for meeting the additional requiremer under the scheme 'Rashtriya Madhyami Shiksha Abhiyan'.	t		197.63
(ख) (i) नवोदय विद्यालय समिति को सामान्य सहायता अनुदान (₹8.93 करोड़) और (ii) (i) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (₹19.33 करोड़), (ii) नवोदय विद्यालय समिति (₹11.42 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान।	(b) For (i) Grants-in-aid General t Navodaya Vidyalaya Samiti (₹8.9 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries t (1) Kendriya Vidyalaya Sangatha (₹19.33 crore), (2) Navodaya Vidyalay	3 o n		
(ग) "स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता	Samiti (₹11.42 crore). (c) For Grants-in-aid General for meetin the additional requirement under th scheme 'Information and Communicatio	e	39.68	39.68
अनुदान हेतु। 59. उच्च शिक्षा विभाग	Technology in Schools'. Department of Higher Education	2.70		2.70
(क) सामान्य शिक्षा के अंतर्गत व्यय संबंधी अनुदान के लिए।	(a) For Grants related expenditure unde General Education.	r 228.22	43.26	271.48

			ड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
 (ख) तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत व्यय संबंधी अनुदान के लिए। (ग) (i) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार (₹13 करोड़), (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹43.28 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (₹7.26 करोड़) के लिए पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए। 	 (b) For Grants related expenditure under Technical Education. (c) For Grants for creation of capital assets to (i) Central Institute of Technology (CIT), Kokrajhar (₹13 crore), (ii) National Institutes of Technology (₹43.28 crore) and (iii) Rashtriya Sanskrit Sansthan (₹7.26 crore). 	190.00 63.54	182.85	372.85 63.54
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND			
 60. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (क) बाल फिल्म सोसाइटी, भारत (₹0.59 करोड़), (ख) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (₹4.94 करोड़), (ग) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (₹2.23 करोड़), (घ) भारतीय जन संचार संस्थान (₹ 0.80 करोड़) और (ड) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (₹0.39 करोड़) के वेतन सहायता अनुदान के लिए। 	BROADCASTING 60 Ministry of Information and Broadcasting For Grants-in-aid Salaries for (a) Children's Films Society, India (₹0.59 crore), (b) Film and Television Institute of India, Pune (₹4.94 crore), (c) Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata (₹2.23 crore), (d) Indian Institute of Mass Communications (₹0.80 crore) and (e) Press Council of India (₹0.39 crore).		8.95	8.95
श्रम और रोजगार मंत्रालय 61. श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 61 Ministry of Labour and Employment			
(क) केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को वेतन सहायता अनुदान के लिए। (ख) "बहु-कौशल विकास केन्द्र की स्थापना" स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	(a) For Grants-in-aid Salaries to Central Board for workers Education.(b) For Grants-in-aid to State Governments under the scheme of 'Setting up of		4.26	4.26
के लिए।	Multi-Skill Development Centre.	19.00		19.00
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 65. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ग्राम और लघु उद्योगों के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य के व्यय हेतु अनुदान के लिए।	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 65 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises For Grants related and minor works expenditure under Village and Small Industries.	111.40		111.40
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
66. खान मंत्रालय भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण का व्यय बढ़ाने के लिए।	66 Ministry of Mines For augmentation of expenditure of Geological Survey of India.	10.13		10.13
पंचायती राज मंत्रालय 70. पंचायती राज मंत्रालय (क) संयुक्त राष्ट्र से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के वचनबद्ध दायित्वों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (ख) बीआरजीएफ स्कीम की पूंजी परिसंपत्तियों के	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ 70 Ministry of Panchayati Raj (a) For meeting additional expenditure towards committed liabilities of UN assisted Projects. (b) For Grants for creation of Capital Assets	4.00		4.00
सृजन हेतु अनुदान के लिए।	of BRGF Scheme.	350.00		350.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 73 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क) पीडीएस केरोसीन के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण हेतु संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए।	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 73 Ministry of Petroleum and Natural Gas (a) For providing assistance to State Governments for establishment of institutional mechanism for direct transfer of subsidy for PDS Kerosene beneficiaries.		90.00	90.00

			ह रुपए Rupee.	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total
्ख) पीडीएस केरोसीन के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण हेतु संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए	(b) For providing assistance to Union Territory Governments for establishment of institutional mechanism for direct transfer of subsidy for PDS Kerosene beneficiaries.		20.00	20.00
विद्युत मंत्रालय 75. विद्युत मंत्रालय उत्तर पूर्व विद्युत निगम लिमिटेड के संबंध में इक्विटी में ऋण को परिवर्तित करने हेतु।	MINISTRY OF POWER 75 Ministry of Power For conversion of loan into equity in respect of North Eastern Electric Power Corporation Limited.	195.78		195.78
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND	193.70		175.70
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजमार्ग के निर्माण के लिए अतिरिक्त ब्याज हेतु।	HIGHWAYS 81 Ministry of Road Transport and Highways For additional expenditure towards construction of National Highways.	3,719.68		3719.68
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय 84 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (क) सौर ऊर्जा आधारित दोहरी पंप जल आपूर्ति स्कीम की स्थापना (₹110.65 करोड़) और (ख) कोलकाता में अंतराष्ट्रीय जल गुणवत्ता केंद्र की स्थापना (₹0.10 करोड़) के लिए।	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION 84 Ministry of Drinking Water and Sanitation For (a) installation of Solar Energy based Dual pump water supply schemes (₹110.65 crore) and (b) establishment of an International Centre for Water Quality at			
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 85. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	Kolkata (₹0.10 crore). MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 85 Department of Science and Technology	110.75		110.75
"अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान" के अंतर्गत व्यय संबंधी अनुदान के लिए। 87. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग "अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान" के अंतर्गत व्यय संबंधी अनुदान के लिए।	For Grants related expenditure under 'Other Scientific Research'. 87 Department of Biotechnology For Grants related expenditure under 'Other Scientific Research'.	58.25 63.27		58.25 63.27
पोत परिवहन मंत्रालय 88. पोत परिवहन मंत्रालय (क) सोमाली के पयरेटों द्वारा बंघक बनाए गए व्यक्तियों के परिवारों को राहत प्रदान करने	MINISTRY OF SHIPPING 88 Ministry of Shipping (a) For meeting expenditure towards providing relief to the families of	351 <u>2</u> 7		35. <u>2</u> 7
के लिए व्यय पूरा करने हेतु। (ख) प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत महानिदेशालय द्वारा रक्षित सामान्य निक्षेप निधि को धन	hostages held by Somalian pirates. (b) For transferring money to General Reserve Fund held by Directorate		0.63	0.63
अंतरित करने के लिए। (ग) भारतीय मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के वेतन हेतु	General of Lighthouses and Lightships. (c) For Grants-in-aid Salary to the Indian		8.01	8.01
सहायता अनुदान। (घ) संवेदिक दायित्वों के निर्वहन के लिए हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि. को ऋण	Maritime University. (d) For providing loan to Hoogly Dock and Port Engineers Limited for discharging		1.00	1.00
प्रदान करने के लिए।	statutory liabilities.		1.00	1.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (क) अनुसूचित जाति के विधार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र हेतु पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान।	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 89 Ministry of Social Justice and Empowerment (a) For Grants for creation of capital assets to Union Territory of Chandigarh in the scheme of Pre-Matric Scholarship for Scheduled Castes.	0.27		0.27

			ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) राष्ट्रीय निशक्त संस्थान के वेतन हेतु सहायता अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-aid Salary to National Institutes for Disabled.		2.65	2.65
अन्तरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
90. अन्तरिक्ष विभाग	90 Department of Space			
विक्रम ए. साराभाई ट्रस्ट स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	For Grants-in-aid General under the scheme of Vikram A. Sarabhai Trust (VAST) scheme.		0.70	0.70
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
91. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	91 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकत्ता को वेतन सहायता अनुदान हेतु	For Grants-in-aid Salary to Indian Statistical Institute, Kolkata.		10.13	10.13
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
93. कपड़ा मंत्रालय	93 Ministry of Textiles			
(क) ग्राम और लघु उद्योगों के अंतर्गत प्रावधानों	(a) For augmenting provisions under	11.20	20.02	40.20
को बढ़ाने हेतु। (ख) उद्योगों के अंतर्गत प्रावधानों को बढ़ाने हेतु।	Village and Small Industries. (b) For augmenting provisions under	11.28	29.02	40.30
	Industries.	6.81		6.81
(ग) एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत	(c) For Grants-in-aid General under			
सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	Integrated Handloom Development Scheme.	27.25		27.25
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
95. जनजातीय कार्य मंत्रालय	95 Ministry of Tribal Affairs			
"जनजातीय उत्पादनों/उत्पादन का विपणन विकास" योजना के अंतर्गत भारतीय जनजातीय सहकारी	For Grants-in-aid General to Tribal			
विपणन विका संघ लिमेटिड को समान्य सहायता	Cooperative Marketing Development Federation of India Limited under the			
अनुदान हेतु।	scheme "Market Development of Tribal			
3 3	Products/Produce".	25.24		25.24
विधानमंडल रहित संघ शासित प्रदेश	UNION TERRITORIES (WITHOUT			
	LEGISLATURE)			
96. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (क) सड़कों और पुलों के अंतर्गत व्यय हेतु।	96 Andaman and Nicobar Islands(a) For expenditure under Roads and			
(प) राष्ट्रपा जार पुरा। पर जरागरा व्यय हतु।	Bridges.	2.29	•••	2.29
(ख) अन्य ग्रामीण विकास के अंतर्गत जिला-परिषद	(b) For Grants-in-aid General to Zilla Parishad			
के सामान्य अनुदान सहायता की पूर्ति हेतु	under Other Rural Development.	0.23		0.23
97 चड़ीगढ न्यायालय आदेशों से उत्पन्न खर्च की पूर्ति हेतु।	97 Chandigarh For mosting expanditure origing out of court			
न्यायालय आदशा स उत्पन्न खय का पूर्त हतु।	For meeting expenditure arising out of court decree.		10.00	10.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
101. शहरी विकास विभाग	101 Department of Urban Development			
(क) गृह मंत्रालय, लोकसभा और राज्य सभा के आवसीय भवनों के मुख्य निर्माण कार्य पर	(a) For expenditure on major works of			
व्यय हेतु।	residential building of Home Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha.	•••	13.64	13.64
(ख) मैसर्स चैन्नई मैट्रो रेल निगम लिमिटेड को	(b) For Pass Through Assistance to M/s	•••	-2.01	-2.01
पास-थ्रू सहायता हेतु।	Chennai Metro Rail Corporation Limited.	177.83		177.83
102. लोक निर्माण कार्य भारत के उच्चतम न्यायालय और लेखा-परीक्षा के	102 Public Works			
मारत क उच्चतम न्यायालय आर लखा-पराक्षा क मुख्य कार्यों पर व्यय हेतु।	For expenditure on major works of Supreme Court of India and Audit.		14.65	14.65
3	Court of man min minum	•••	1 1.00	1 1.05

	(क	रोड़ रुपए Rupee	s in Crore)	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	न जोड़ Total
जल संसाधन मत्रालय 104. जल संसाधन मत्रालय (क) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान को सामान्य	MINISTRY OF WATER RESOURCES 104 Ministry of Water Resources (a) For Grants-in-aid General to National			
सहायता अनुदान हेतु। (ख) कटाव-विरोधी कार्यों, फाटकों की खरीद, फीडर नहर की मरम्मत और रखरखाव तथा फरक्का बैरेज पर अन्य अवसंरचना के लिए अतिरिक्त	Institute of Hydrology. (b) For providing additional funds for Antierosion works, procurement of gates, repair and maintenance of Feeder Canal		1.95	1.95
निधियों को उपलब्ध कराने हेतु।	and other infrastructure at Farakka Barrage.	25.00		25.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 105. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय "धनलक्ष्मी" योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 105 Ministry of Women and Child Development For Grants-in-aid General under the scheme 'Dhanlakshmi'.	6.80		6.80
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
106. युवा मामले एवं खेल मंत्रालय खेल एवं युवा सेवाओं के तहत व्यय संबंधित अनुदान हेतु।	106 Ministry of Youth Affairs and Sports For Grants related expenditure under Sports and Youth Services.	11.25	6.58	17.83
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.58	0.40	0.98
5. तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से कुल ₹258,00,00,000 करोड़ के छः अग्रिमों की मंजूरी दी गई थी। इसकी प्रतिपूर्ति अनुदानों की पूरक मांगों की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात कर दी जाएगी।	5. Two advances aggregating ₹258,00,00,000 were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
कुल जोड़	GRAND TOTAL	573.72	49,141.82 4	9,715.54
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	459.56	40,507.71 4	0,967.27
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	113.58	8,633.71	8,747.29
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.58	0.40	0.98

विषय सूची CONTENTS

				(करोड़ रुपए	Rupees in	ı crore)
				राजस्व	पूंर्ज	ी जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capita	l Total	Page
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE					
1 कृषि और सहकारिता		1. Department of Agriculture and					
विभाग	स्वीकृत	Cooperation	Voted	0.02		0.02	1-2
2 कृषि अनुसंधान और		2. Department of Agricultural Research	1				
शिक्षा विभाग	स्वीकृत	and Education	Voted	0.03		0.03	3-4
3 पशुपालन और डेरी		3. Department of Animal Husbandry,					
कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	Dairying and Fisheries	Voted	0.03		0.03	5
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERG	Y				
4 परमाणु ऊर्जा	भारित	4. Atomic Energy	Charged		8.00	8.00	6-8
	स्वीकृत		Voted	0.02	0.02	0.04	
रसायन और उर्वरक		MINISTRY OF CHEMICALS AND					
मंत्रालय		FERTILISERS					
7 उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7. Department of Fertilisers	Voted	4997.94		4997.94	9
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
9 नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	96.60		96.60	10
		y. Manaday of Civil Internation	, 5000	70.00		70.00	10
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
10 कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Coal	Voted	0.01	214.95	214.96	11
वाणिज्य और उद्योग		MINISTRY OF COMMERCE					
मंत्रालय		AND INDUSTRY					
11 वाणिज्य विभाग	भारित	11. Department of Commerce	Charged	0.11		0.11	12
	स्वीकृत		Voted	0.01		0.01	
12 औद्योगिक नीति तथा		12. Department of Industrial Policy					
संवर्धन विभाग	भारित	and Promotion	Charged	0.04		0.04	13
	स्वीकृत		Voted	0.01		0.01	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
मंत्रालय		AND INFORMATION TECHNOI	LOGY				
13 डाक विभाग	भारित	13. Department of Posts	Charged	0.11	0.66	0.77	14-15
_	स्वीकृत		Voted	940.87		940.87	
14 दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Voted		80.64	80.64	16
15 इलेकट्रनिक एवं सूचना	0	15. Department of Electronics and					
प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	Information Technology	Voted	0.01	•••	0.01	17
उपभोक्ता मामले, खाद्य और		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIR	S,				
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		FOOD AND PUBLIC					
, , , , ,		DISTRIBUTION					
16 उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	16. Department of Consumer Affairs	Voted	0.02		0.02	18
17 खाद्य और सार्वजनिक	0	17. Department of Food and Public					
वितरण विभाग	स्वीकृत	Distribution	Voted	9942.44		9942.44	19
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
18 कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	3.17		3.17	20-21

(करोड़ रुपए Rupees in crore) पुंजी जोड़ राजस्व पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Capital Revenue Total Page रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE रक्षा मंत्रालय स्वीकृत 0.01 0.02 0.03 22 20 20. Ministry of Defence Voted रक्षा पेंशन भारित 21. Defence Pensions 0.56 0.56 23 21 Charged स्वीकृत Voted 499,44 499.44 रक्षा सेवा-वायू सेना भारित 24. Defence Services - Air Force 0.860.86 Charged 24 24 रक्षा सेवाएं-अनुसंधान 26. Defence Services - Research 26 एवं विकास भारित and Development Charged 0.13 0.13 25 पर्यावरण और वन MINISTRY OF ENVIRONMENT AND मंत्रालय **FORESTS** पर्यावरण और वन मंत्रालय स्वीकृत 30. Ministry of Environment and Forests Voted 0.03 10.49 10.52 26-27 विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS विदेश मंत्रालय स्वीकृत 31. Ministry of External Affairs Voted 665.00 0.01 665.01 28-29 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग स्वीकृत 0.02 32 0.01 0.03 30 Department of Economic Affairs Voted 33 वित्तीय सेवा विभाग स्वीकृत 0.01 0.01 31 Department of Financial Services Voted विनियोग - ब्याज अदायगी भारित 32 34 Appropriation - Interest Payments 4718.00 4718.00 34. Charged राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों 35. Transfers to State and Union को अन्तरण स्वीकृत Territory Governments Voted 213.55 213.55 33 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग भारित 40. Indian Audit and Accounts Department Charged 7.78 7.78 34 स्वीकृत Voted 81.89 81.89 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING **INDUSTRIES** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वीकृत 45. Ministry of Food Processing Industries Voted 0.01 0.01 35 रवास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 46 46. Department of Health and स्वीकृत 0.05 0.01 Family Welfare Voted 0.06 36-37 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, 47. Department of Ayurveda, Yoga & यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) Naturopathy, Unani, Siddha and स्वीकृत Homoeopathy (AYUSH) Voted 0.03 0.03 38-39 ... स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्वीकृत 48. Department of Health Research Voted 0.02 0.02 40 ... एड्स नियंत्रण विभाग स्वीकृत Department of AIDS Control Voted 59.56 59.56 41 भारी उद्योग और सरकारी MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES उद्यम मंत्रालय AND PUBLIC ENTERPRISES भारी उद्योग विभाग स्वीकृत 50 50. Department of Heavy Industry Voted 5.70 5.70 42 गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS गृह मंत्रालय स्वीकृत 52. Ministry of Home Affairs 0.01 4.25 4.26 Voted 43 52 मंत्रिमंडल भारित 53. Cabinet Charged 0.28 0.28 53 44-45 स्वीकृत Voted 214.01 0.01 214.02 स्वीकृत 54 पुलिस 54. Police Voted 12.74 0.02 12.76 46-47 55 गृह मंत्रालय के 55. Other Expenditure of the Ministry अन्य व्यय स्वीकृत of Home Affairs Voted 0.03 0.03 48 मानव संसाधन विकास MINISTRY OF HUMAN RESOURCE मंत्रालय DEVELOPMENT बुनियादी शिक्षा और Department of School Education साक्षरता विभाग स्वीकृत and Literacy Voted 0.03 0.03 49

				(Rupees in	i crore)
				राजस्व	पूंज		पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capita	l Total	Page
59 उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	59. Department of Higher Education	Voted	0.05		0.05	50-51
सूचना तथा प्रसारण		MINISTRY OF INFORMATION AND					
मंत्रालय		BROADCASTING					
60 सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		60. Ministry of Information and					
	स्वीकृत	Broadcasting	Voted	112.09		112.09	52
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND					
s s	0	EMPLOYMENT					
61 श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	61. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.02		0.02	53
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	1	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND					
		MEDIUM ENTERPRISES					
65 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		65. Ministry of Micro, Small and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Medium Enterprises	Voted	0.01		0.01	54
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
66 खान मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Mines	Voted	31.08	0.01	31.09	55
पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ					
70 पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.02	•••	0.02	56
संसदीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS					
71 संसदीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	71. Ministry of Parliamentary Affairs	Voted	0.43		0.43	57
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
72 कार्मिक, लोक		72. Ministry of Personnel, Public					
शिकायत और पेंशन मंत्रालय	भारित	Grievances and Pensions	Charged	0.50		0.50	58
पेट्रोलियम और प्राकृतिक		MINISTRY OF PETROLEUM					
गैस मंत्रालय		AND NATURAL GAS					
73 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	73. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	24773.77	480.50	25254.27	59-60
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
75 विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	75. Ministry of Power	Voted	90.21	1031.81	1122.02	61
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNIO PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF	ON				
का सचिवालय		THE VICE PRESIDENT					
77 लोकसभा		77. Lok Sabha	Voted	6.00		6.00	62
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT					
		AND HIGHWAYS					
81 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्र	ालय	81. Ministry of Road Transport					
	स्वीकृत	and Highways	Voted		0.01	0.01	63
पेयजल एवं स्वच्छता		MINISTRY OF DRINKING WATER					
मंत्रालय		AND SANITATION					
84 पेयजल एवं स्वच्छता		84. Ministry of Drinking Water					
मंत्रालय	स्वीकृत	and Sanitation	Voted	0.01		0.01	64
विज्ञान और प्रौद्योगिकी		MINISTRY OF SCIENCE AND					
मंत्रालय	0	TECHNOLOGY		9.5.			
85 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	85. Department of Science and Technology	Voted	0.01		0.01	65

					(करोड़ रुपए	Rupees in	crore)
				राजस्व	पूंर्ज	ो जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capita	l Total	Page
87 जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	87. Department of Biotechnology	Voted	0.01		0.01	66
पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING					
88 पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	88. Ministry of Shipping	Voted	0.03	10.01	10.04	67-68
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मं	त्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
89 सामाजिक न्याय और अधिकारित	Т	89. Ministry of Social Justice and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Empowerment	Voted	0.02		0.02	69
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
90 अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	90. Department of Space	Voted	0.01		0.01	70
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION	ON				
91 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्व	यन	91. Ministry of Statistics and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Programme Implementation	Voted	0.01		0.01	71
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
93 कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Textiles	Voted	0.04	63.33	63.37	72-73
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
95 जनजाति कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	95. Ministry of Tribal Affairs	Voted	0.01		0.01	74
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		UNION TERRITORIES					
		(WITHOUT LEGISLATURE)					
96 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत	96. Andaman and Nicobar Islands	Voted	0.02		0.02	75
97 चंड़ीगढ़	भारित	97. Chandigarh	Charged	2.57		2.57	76-77
	स्वीकृत		Voted	289.52	0.01	289.53	
100 लक्षद्वीप	स्वीकृत	100. Lakshadweep	Voted	37.31		37.31	78-79
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPME	NT				
101 शहरी विकास विभाग	भारित	101. Department of Urban Development	Charged	5.75		5.75	80-81
	स्वीकृत		Voted		0.02	0.02	
102 लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	102. Public Works	Voted		0.01	0.01	82
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES					
104 जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	104. Ministry of Water Resources	Voted	0.01	0.01	0.02	83
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
105 महिला और बाल विकास मंत्रालर	ı	105. Ministry of Women and Child					
	स्वीकृत	Development	Voted	0.01		0.01	84
युवा मामले और खेल		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS					
मंत्रालय	•	AND SPORTS					
106 युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	106. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.02	•••	0.02	85
कुल जोड़	•	GRAND TOTAL		47810.74	1904.80		
	भारित		Charged	4736.69	8.66	4745.35	
ar rain	स्वीकृत	ANNEVIDE	Voted	43074.05	1896.14	449/0.19	07
अनुबंध		ANNEXURE					87

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये) (See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुपये Ru	pees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	20466.77		63.45	20530.22
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		20466.80		63.45	20530.25
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	ार्षों के अंतर्गत	त दिखाया जाये	गा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under	the following	Major He	eads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत:	2401 -Crop Husbandry	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अपशिष्ट की निगरानी के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़)।
 - (ii) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के तहत अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.19 करोड़)।
 - (iii) नारियल बागानों के पुनः रोपण एवं पुनः जीवन अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.55 करोड़), अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (₹ 4 करोड)।
 - (iv) जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत राज्य विस्तार सेवा के लिए सहायता के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.03 करोड़)।
 - (v) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत राष्ट्रीय बाँस प्रौचोगिकी और व्यापार विकास अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

(ख) (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9 करोड़), अनुस्चित जाति की विशेष घटक योजना हेतु The supplementary grants are required for:

- (i) additional Grants-in-aid-General under Monitoring of Pesticide residues at National Level (₹ 1 crore).
 - (ii) additional Grants-in aid-Salaries under National Institute of Plant Health Management (₹ 2.19 crore).
 - (iii) additional Grants-in-aid-General under Grants for replanting and rejuvenation of Coconut gardens (₹ 2.55 crore), Grants-in-aid-General for Special Component Plan for Scheduled Caste (₹ 4 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 4 crore).
 - (iv) additional Grants-in-aid-General under Support to State Extension Services under Tribal Area Sub-Plan (₹ 3.03 crore).
 - (v) additional Grants-in-aid-General under National Mission on Bamboo Technology and Trade Development under Tribal Area Sub-Plan (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) additional Grants-in-aid-General under National Food Security Mission (₹ 9 crore), Grants-in-aid-General for

- अतिरिक्त सहायता अनुदान (₹ 1.91 करोड़), और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (₹ 28.15 करोड़)।
- (ii) राष्ट्रीय बाँस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

- Special Component Plan for Scheduled Caste (₹ 1.91 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 28.15 crore).
- (ii) additional Grants-in-aid-General under National Mission on Bamboo Technology and Trade Development (₹ 7 crore) and Grants-in-aid-General under Tribal Area Sub-Plan (₹ 3 crore).

कृषि अन्संधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये) (See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पुंजी जोड Capital Revenue Total I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 5392.00 5392.00 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.03 0.03 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 5392 04 5392 04 II. इस प्रक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना जोड आयोजना-Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2415 - कृषि अन्संधान और शिक्षा स्वीकृत: 2415 - Agricultural Research and Education Voted: 0.01 (**क**a) 0.01 (खb) 0.02 स्वीकृत: 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552 -North Eastern Areas Voted: 0.01 (गc) 0.01जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 0.02 0.01 0.03 स्वीकृत: Voted:

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- The supplementary grants are required for:
- (क) (i) स्कीम, बागबानी संस्थान (₹ 0.24 करोड़), राष्ट्रीय कृषि नव प्रवर्तन परियोजना (₹ 4.31 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान (₹ 7.72 करोड़) के तहत भारतीय कृषि अन्संधान परिषद को सामान्य सहायता अन्दान।
 - (ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्कीम, कृषि विस्तार (₹ 4.68 करोड़), कृषि शिक्षा (₹ 62.70 करोड़), राष्ट्रीय कृषि महा प्रवर्तन परियोजना (₹ 31.07 करोड़) के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेत् अनुदान।
 - (iii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्कीम, उपज विज्ञान संस्थान (₹ 4.81 करोइ) बागवानी संस्थान (₹ 9.15 करोइ), कृषि विस्तार (₹ 43.24 करोइ), कृषि इंजीनियरिंग संस्थान (₹ 2.77 करोइ) अन्य प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन संस्था (₹ 4.10 करोइ) के तहत वेतन सहायता अन्दान।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

- (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Horticulture Institutes (₹ 0.24 crore), National Agricultural Innovation Project (₹ 4.31 crore), Animal Science Institutes (₹ 7.72 crore).
- (ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension (₹ 4.68 crore), Agricultural Education (₹ 62.70 crore), National Agricultural Innovation Project (₹ 31.07 crore).
- (iii) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 4.81 crore), Horticulture Institutes (₹ 9.15 crore), Agricultural Extension (₹ 43.24 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 2.77 crore), Other Natural Resource Management Institutes (₹ 4.10 crore).

- (ख) (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्कीम, कृषि विस्तार (₹ 0.43 करोड़), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मुख्यालय प्रशासन (₹ 5.10 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अन्दान।
 - (ii) स्कीम कृषि इंजीनियरिंग संस्थान (₹ 0.01 करोड़), मत्स्यपालन संस्थान (₹ 0.09 करोड़) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान।
 - (iii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्कीम, फसल विज्ञान संस्थान (₹ 11.60 करोड़), बागवानी संस्थान (₹ 1.43 करोड़), केन्द्रीय मुदा जल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (₹ 2.77 करोड़) पशु विज्ञान संस्था (₹ 12.05 करोड़) मस्त्य पालन संस्थान (₹ 3.08 करोड़) के तहत वेतन सहायता अनुदान।

अनुदानों के इसी भाग में बचतों के उपलब्ध होने को ध्यान के रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक मांगा गया है।

- (ग) (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्कीम कृषि इंजीनियरिंग संस्थान
 (₹ 0.05 करोइ), राष्ट्रीय कृषि प्रवतर्न परियोजना (₹ 7.09 करोइ) के तहत सामान्य संस्थान अनुदान।
 - (ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्कीम फसल विज्ञान संस्थान (₹ 0.03 करोड़), कृषि शिक्षा (₹ 6.00 करोड़) के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेत् अनुदान।
 - (iii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्कीम फसल विज्ञान संस्थान (₹ 0.10 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग संस्थान (₹ 0.05 करोड़) के तहत वेतन सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में बचतों के उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन अम्पूरक मांगा गया है।

अनुदान के इसी भाग में बचतों के उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए टोकन पूरक मांगा गया है।

- (i) Grants-in-aid-General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension (₹ 0.43 crore), Indian Council of Agricultural Research Headquarter Admn. (₹ 5.10 crore).
- (ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.01 crore), Fisheries Institutes (₹ 0.09 crore).
- (iii) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 11.60 crore), Horticulture Institutes (₹ 1.43 crore), Central Soil and Water Conservation Research & Training Institute (₹ 2.77 crore), Animal Science Institutes (₹ 12.05 crore), Fisheries Institutes (₹ 3.08 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) Grants-in-aid-General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.05 crore), National Agricultural Innovation Project (₹ 7.09 crore).
 - (ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 0.33 crore), Agricultural Education (₹ 6.00 crore),
 - (iii) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 0.10 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.05 crore).

पश् पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये) (See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व Revenue		पूंजी Capital	जोड़ Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		rtovonuo		Ouplial	rotai
, <u>3</u>	स्वीकृत:		Voted:	2338.57		22.80	2361.37
पूरक अनुदान:	C	SUPPLEMENTARY GRANT:					
, 3	भारित:		Charged:	0.71			0.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
· ·	स्वीकृत:		Voted:	0.03			0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2339.31		22.80	2362.11
	भारित:		Charged:	0.71			0.71
	स्वीकृत:		Voted:	2338.60		22.80	2361.40
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १					
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under the	following N आयोजना	/lajor He	ads: आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2403 - पशु पालन	स्वीकृत:	2403 -Animal Husbandry	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2404 - डेयरी विकास	स्वीकृत:	2404 -Dairy Development	Voted:	0.01	(खb)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03			0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) पशुधन बीमा स्कीम के अन्तर्गत सामान्य अतिरिक्त अनुदान सहायता (₹ 2.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) डेंयरी उद्यमशीलता विकास की स्कीम के अन्तर्गत सामान्य अतिरिक्त अन्दान सहायता (₹ 168.00 करोड़)।
 - (ii) अनुसुचित जाति उप-योजना के लिए डेयरी उद्यमशीलता विकास स्कीम के अन्तर्गत, सामान्य अतिरिक्त अनुदान सहायता (₹ 2.00 करोड़)।
 - (iii) अनुसुचित जाति उप-योजना के लिए इंटेनसिव डेयरी विकास कार्यक्रम स्कीम के अन्तर्गत सामान्य अन्दान सहायता (₹ 0.42 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।

- (ग) (i) स्कीम, प्रादेशिक रोग निदान प्रोयगशाला के तहत सामान्य सहायता अन्दान (₹ 0.50 करोड़)।
 - (ii) डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है। The supplementary grants are required for:

- (a) additional Grants-in-aid-General under the scheme of Livestock Insurance (₹ 2.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) additional Grants-in-aid-General under the scheme of Dairy Entrepreneurship Development (₹ 168.00 crore).
 - (ii) additional Grants-in-aid-General under the scheme of Dairy Entrepreneurship Development for Scheduled Castes Sub-Plan (₹ 2.00 crore).
 - (iii) Grants-in-aid-General under the scheme of Intensive Dairy Development Programme for Scheduled Castes Sub-Plan (₹ 0.42 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) additional Grants-in-aid-General under the scheme of Regional Disease Diagnostic Labs (₹ 0.50 crore).
 - (ii) additional Grants-in-aid-General under the scheme of Dairy Entrepreneurship Development (₹ 10.00 crore).

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुप	ये Rupees in	Crore)
				राजस्व		पूंजी	ত	जोड़
				Revenue		Capital	To	otal
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	1.00		1.00		2.00
	स्वीकृत:		Voted:	5564.03		3822.30	938	86.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
· ·	भारित:		Charged:			8.00		8.00
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02		0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	C	Total (Original plus Supplementary)		5565.05		3831.32	93	96.37
	भारित:		Charged:	1.00		9.00	1	10.00
	स्वीकृत:		Voted:	5564.05		3822.32	938	86.37
	C	II. इस पूरक अन्दान/विनियोग का हिसाब निर्म्ना	लेखित मख्य शी	ार्षों के अंतर्गत	दिखाया उ	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropriatio	•				r Heads:	
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न	To	otal
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत:	3401 -Atomic Energy Research	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
पूंजी भाग	ŭ	CAPITAL SECTION						
 मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी	भारित:	4861 - Capital Outlay on Atomic Energy	Charged:	8.00	(गc)			8.00
परिव्यय		Industries			` ,			
•	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(घd)			0.01
5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर	स्वीकृत:	5401 - Capital Outlay on Atomic Energy	Voted:	0.01	(ङe)			0.01
पूंजी परिव्यय		Research			()			
जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)		8.02				8.02
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		8.03		0.01		8.04
,	भारित:		Charged:	8.00				8.00
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		0.01		0.04
	, 41-E/1.		volca.	0.00		0.01		5.0→

यह प्रक अन्दान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु अनुदानों के व्यय को पूरा करने के लिए (i) टाटा आधारभूत अनुसंधान संस्थान (1) अंतर संस्थागत अनुसंधान कार्यक्रम-III (₹ 4.20 करोड़), (2) बायोलॉजिकल विज्ञान (₹ 2.60 करोड़), (3) एनसीबीएस-II (₹ 9.33 करोड़), (4) सघनीकृत तत्व-II (नैनो विज्ञान एवं तकनीक) (₹ 1.25 करोड़) और (ii) टाटा मैमोरियल केन्द्र परियोजनाएं यथाः (1) नेशनल फेसिलिटी फोर हेड्रोन बीम थैरेपी (₹ 2.30 करोड़), (2) पंजाब में केंसर अस्पताल की स्थापना (₹ 1.50 करोड़) और (iii) विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान सोसायटीज और गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता के तहत निम्नलिखित के लिए सहायता-अनुदान (1) आण्विक विज्ञान

The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) meeting expenditure for Grants for creation of Capital Assets of (i)

Tata Institute of Fundamental Research's new projects (1) InterInstitutional Research Programme-III (₹ 4.20 crore), (2) Biological

Science I (₹ 2.60 crores), (3) NCBS II (₹ 9.33 crore), (4)

Condensed Matter II (Nano Science & Technology) (₹ 1.25 crore)

and (ii) Tata Memorial Centre's new projects (1) National facility for

Hadron Beam Therapy (₹ 2.50 crore) (2) Establishment of Cancer

Hospital in Punjab (₹ 1.50 crore) and (iii) Grants-in-aid General

under Assistance to Universities Research Institutions Societies

अनुसंधान केन्द्र (₹ 1.00 करोड़), (2) विकिरण औषिध केन्द्र और कैंसर अस्पतालों को सहायता (₹ 5.50 करोड़), (3) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई) (₹ 1.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए टोकन पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) टाटा आधारभूत अनुसंधान संस्थान को वेतन-सहायता अनुदान (₹ 2.13 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 18.18 करोड़), (ii) टाटा मैमोरियल केन्द्र को वेतन-सहायता-अनुदान हेतु (₹ 15.94 करोड़), (iii) साहा आण्विक भौतिकी संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.37 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.11 करोड़) हेतु, (iv) भौतिकी संस्थान को वेतन-सहायता अनुदान के लिए (₹ 0.84 करोड़), (v) हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान के लिए (₹ 0.58 करोड़), (vi) गणित विज्ञान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान के लिए (₹ 0.34 करोड़) और सामान्य-सहायता-अनुदान (₹ 0.08 करोड़) हेतु और (vii) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान को वेतन-सहायता अनुदान के लिए (₹ 8.86 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचत के उपलब्ध होने को देखते हुए, टोकन पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) भूमि अधिग्रहण हेतु दुर्लभ-सामग्री प्लांट द्वारा वर्धित प्रतिपूर्ति पर व्यय को पूरा करना। भाभा आण्विक अनुसंधान केन्द्र, मैसूर, न्यायालय के आदेश के अनुपालन में। इस प्रयोजन के लिए भारत की आकस्मिक निधि श्रेणी में से (₹ 8.00 करोड़) का अग्रिम लिया गया था, जिसे इस पूरक विनियोग के पास होने के बाद निधि में लौटा दिया जाएगा।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(i) रेडिएशन और आइसोटोप तकनीक बोर्ड के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए (ਬ) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना यथा (1) विकिरण तकनीक हेत् एकीकृत स्विधा (₹ 1.90 करोड़), (2) अत्याध्निक प्रतिरक्षा मूल्यांकन स्विधा का निर्माण (₹ 0.80 करोड़), (3) अत्याध्निक जीएलपी और जीएमपी शिकायत प्रयोगशाला का निर्माण (0.50 करोड़), (ii) परियोजनाओं के तहत प्रमुख कार्य के लिए व्यय (1) एचडब्ल्यूपी, बडौदा का पुनःसज्जीकरण व आधुनिकीकरण (₹ 0.70 करोड़), (2) एचडब्ल्यूपी, थाल का प्नःसज्जीकरण व आध्निकीकरण (₹ 0.02 करोड़), (3) तकनीकी व नवप्रवर्तन स्विधाएं (₹ 1.99 करोड़), (4) नए कार्यकलापों के लिए अवसंरचना का उन्नयन (₹ 5.84 करोड़), (5) अपशिष्ट लामबंदीकरण परियोजना-3बी, तारापुर (₹ 0.20 करोड़), (6) आरएमपी में अवसंरचना स्विधाओं एवं उत्पादन क्षमता की स्थापना (₹ 3.00 करोड़), (7) चित्रद्रंग में विशेष सामग्री पृथकीकरण स्विधा के निर्माण हेत् प्रारंभिक अवसंरचना की स्थापना (₹ 3.55 करोड़), (8) ताराप्र अवसंरचना स्विधाएं (₹ 2.00 करोड़), (9) विकिरण तकनीक के अन्प्रयोग हेत् हॉट सैल और सहायक स्विधाओं का वर्धन (₹ 0.05 करोड़), (10) ताराप्र में वाष्पीकरण ब्लॉक की अवसंरचना विकास निर्माण और एकीकृत नाभिकीय पुनचक्रीय परियोजना (पी-1) की विस्तृत इंजीनियरिंग (₹ 5.84 करोड़), (11) जिरोकोनियम कॉम्पलैक्स, पजायकयाल (₹ 9.49 करोड़), (12) एनएफएस-कोटा (₹ 0.70 करोड़), (13) एनएफसी स्विधाओं में स्धार (₹ 0.05 करोड़), (14) एनजेडओएसपी हेत् लवणरहितकारी संयंत्र (₹ 0.25 करोड़), (15) कालापक्कम पर 2एमजीडी

and Non Government institutions for (1) Board of Research in Nuclear Sciences (₹ 1 crore), (2) Assistance to Radiation Medicine Centres and Cancer Hospitals (₹ 5.50 crore), (3) Homi Bhabha National Institute (₹ 1 crore). Taking into account savings available within the same section of the Grant a token supplementary is sought.

- meeting additional expenditure in respect of (i) Tata Institute of Fundamental Research towards Grants-in-aid Salary (₹ 2.13 crore) and Grants-in-aid General (₹ 18.18 crore), (ii) Tata Memorial Centre towards Grants-in-aid Salary (₹ 15.94 crore), (iii) Saha Institute of Nuclear Physics towards Grants-in-aid Salary (₹ 1.37 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.11 crore), (iv) Institute of Physics towards Grants-in-aid Salary (₹ 0.84 crore), (v) Harish Chandra Research Institute towards Grants-in-aid Salary (₹ 0.58 crore), (vi) Institute of Mathematical Science towards Grants-in-aid Salary (₹ 0.34 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.08 crore), and (vii) Institute for Plasma Research towards Grants-in-aid Salary (₹ 8.86 crore). Taking into account savings available within the same section of the Grant a token supplementary is sought.
- (c) meeting expenditure on enhanced compensation for land acquired by Rare Materials Plant, Bhabha Atomic Research Centre, Mysuru in three cases in compliance of court order. An advance (₹ 8 crore) was obtained from Contingency Fund of India for this purpose, which shall be recouped to the fund after this Supplementary Appropriation is passed.

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(i) meeting additional expenditure for the projects under Board of Radiation and Isotope Technology viz. (1) Integrated Facility for Radiation Technology (₹ 1.90 crore), (2) Construction of State-ofthe Art Immunoassay facility (₹ 0.80 crore), (3) Construction of State-of-the Art GLP & GMP complaint lab (₹ 0.50 crore), (ii) expenditure towards Major Works under the projects (1) Revamping and Modernisation of Heavy Water Plant (HWP), Baroda (₹ 0.70 crore), (2) Revamping and Modernisation of HWP, Thal (₹ 0.02 crore), (3) Technology and Innovation facilities (₹ 1.99 crore), (4) Enhancement of Infrastruture for New Activities (₹ 5.84 crore), (5) Waste Immobilisation Project - 3B Tarapur (₹ 0.20 crore), (6) Establishment of Infrastructural Facilities and Production Capacities at RMP (₹ 3 crore), (7) Setting up of preliminary infrastructrure towards construction of Special Material Seperation Facility at Chitradurga (₹ 3.55 crore), (8) Tarapur Infrastructure Facilities (₹ 2 crore), (9) augmentation of Hot Cell and Associated Facilities for Radiation Technology Application (₹ 0.05 crore), (10) Infrastructure Development Construction of Evaporation Block (Waste Storage) and Detailed Engineering for Integrated Nuclear Recycle Project (IP-1) at Tarapur (₹ 5.84 crore), (11) Zirconium आरओ लवणरहितकारी संयंत्र (₹ 2.85 करोड़), (16) रेडिएशन और आइसोटोप टेक्नॉलोजी बोर्ड (₹ 4.03 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए टोकन पूरक मांगा गया है।

(ङ) (i) निम्नलिखित भाभा आण्विक अन्संधान केन्द्र परियोजनाओं के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत् यथा (1) आइसोटोप और विकिरण तकनीक (₹ 2.50 करोड़), (2) विकिरण बचाव विंडोज के सभी रेंज व आकारों की तकनीक का विकास और प्रदर्शन (₹ 0.05 करोड़), (3)कांपेक्ट पीडब्ल्यूआर हेत् अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम (₹ 0.05 करोड़) और (ii) परियोजनाओं के अंतर्गत प्रमुख कार्यों के लिए व्यय में बढोतरी (1) फ्रंट एंड फ्युल साइकिल परफार्मेंस (₹ 0.14 करोड़), (2) बैक एंड फ्युल साइकिल कार्यक्रम (₹ 0.21 करोड़), (3) इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेंशन (₹ 0.83 करोड़), (4) रेडिएशन और आइसोटोप तकनीक कार्यक्रम (₹ 0.07 करोड़), (5) बीम तकनीक कार्यक्रम (₹ 0.03 करोड़), (6) विशेष सामग्री विकास और अन्य विशेष कार्यक्रम (₹ 5.07 करोड़), (7) स्पेक्ट्रोकॉपी एंड सिन्क्रोटोन यूटिलाइजेशन प्रोग्राम (₹ 0.01 करोड़), (8) सामग्री विज्ञान कार्यक्रम (₹ 0.03 करोड़), (9) नाभिकीय ईंधन विकास कार्यक्रम (₹ 0.01 करोड़), (10) भौतिक विज्ञान कार्यक्रम (₹ 0.02 करोड़), (11) अवसंरचना विकास कार्यक्रम (₹ 65.39 करोड़), (12) पीएचडब्ल्युआर-ईंधन सामग्री विकास सुरक्षा और जल रसायन अध्ययन (₹ 0.61 करोड़), (13) एफबीआर हेत् इंजीनियरिंग विकास और परीक्षण (₹ 0.56 करोड़), (14) उत्कृष्ट आध्निक डिजाइन कार्यालय (₹ 0.24 करोड़), (15) आण्विक सामग्री के मूल्यांकन हेत् मापक उपकरण (₹ 0.04 करोड़), (16) व्यापक सामग्री अध्ययन हेत् उन्नत उपकरणों के लक्ष्य निर्धारण स्विधा की स्थापना (₹ 0.52 करोड़), (17) इंडस-2 बीमलाइन विकास कार्यक्रम (₹ 1.44 करोड़), (18) उच्च ऊर्जा उत्प्रेरक हेत् स्परकंडिक्टंग केविटीज और संबद्ध तकनीकों का विकास और उनके अन्प्रयोग (₹ 0.50 करोड़), (19) एसएनएस हेत् उच्च करंट प्रोटोन इंजेक्टर लाइनेक (₹ 0.75 करोड़), (20) प्रोटोन सिंक्रोटोन सब-सिस्टम (₹ 0.03 करोड़), (21) एडवांसड एक्सेलरेटर सब सिस्टम्स के मूल्यांकन और क्वालिफिकेशन हेत् अवसंरचना (₹ 0.50 करोड़), (22) अवसंरचना विकास (चरण-V) (₹ 0.80 करोड़), (23) अवसंरचना विकास चरण-IV (₹ 0.05 करोड़), (24) तकनीकी अवसंरचना (₹ 0.03 करोड़), (25) अन्वेषण और अनुसंधान आण्विक खनिज निदेशालय (एएमडी) (₹ 0.51 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचतों को ध्यान में रखते हुए टोकन पूरक मांगा गया

है।

Complex, Pazhayakayal (₹ 9.49 crore), (12) Nuclear Fuel Complex (NFC) - Kota (₹ 0.70 crore), (13) Upgradation of NFC Facilities (₹ 0.05 crore), (14) Desalination Plant for NZOSP (₹ 0.25 crore), (15) 2MGd RO Desalination Plant at Kalpakkam (₹ 2.85 crore), (16) Board of Radiation and Isotopes Technology (₹ 4.03 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) meeting additional expenditure under Bhabha Atomic Research Centre's Projects viz. (1) Isotope & Radiation Technologies (₹ 2.50 crore), (2) Technology Development and Demonstration for complete range and sizes of Radiation Shielding Windows (₹ 0.05 crore), (3) International Collaborative R&D Programme for Compact PWRs (₹ 0.05 crore), and (ii) augumentation of expenditure towards Major Works under the projects (1) Front End Fuel Cycle Performance (₹ 0.14 crore), (2) Back End Fuel Cycle Programme (₹ 0.21 crore), (3) Electronics and Instrumentation (₹ 0.83 crore), (4) Radiation and Isotope Technology Programme (₹ 0.07 crore), (5) Beam Technology Programme (₹ 0.03 crore), (6) Special Materials Development and Other Special Programme (₹ 5.07 crore), (7) Spectrocopy and Synchrotron Utilisation Programme (₹ 0.01 crore), (8) Material Science Programme (₹ 0.03 crore), (9) Nuclear Fuel Development Programme (₹ 0.01 crore), (10) Physical Science Programme (₹ 0.02 crore), (11) Infrastructure Development Programme (₹ 65.39 crore), (12) PHWR-Fuels, Material Development, Safety and Water Chemistry studies (₹ 0.61 crore), (13) Engineering Development & Testing for FBR (₹ 0.56 crore), (14) State-of-the-Art Modern Design Office (₹ 0.24 crore), (15) Measurement tools for the assay of fissile materials (₹ 0.04 crore), (16) Setting up of Advanced Materials Characterization Facilities for Comprehensive Materials Studies (₹ 0.52 crore), (17) Indus - 2 Beamline Development Programme (₹ 1.44 crore), (18) Development of Superconducting Cavities and Associated Technologies for High Energy Accelerators & their Applications (₹ 0.50 crore), (19) High Current Proton Injector Linac for SNS (₹ 0.75 crore), (20) Proton Synchrotron Sub-systems (₹ 0.03 crore), (21) Infrastructure for Evaluation & Qualification of Advanced Accelerator Sub-systems (₹ 0.50 crore), (22) (₹ 0.80 Infrastructure Development Phase-V (23)Infrastructure Development Phase - VI (₹ 0.05 crore), (24) Technical Infrastructure (₹ 0.03 crore), (25) Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹ 0.51 crore). Taking into account the savings within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(कंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये) (See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी राजस्व जोड Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 65629.96 244.04 65874.00 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 4997.94 4997.94 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 70627.91 244.04 70871.95 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2401 - कृषि कार्य स्वीकृत: Voted: 2401 - Crop Husbandry 3999.99 (**क**a) 3999.99 2852 - उद्योग स्वीकृत: 2852 -Industries Voted: 997.95 (खb) 997.95 जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 4997.94 4997.94

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) आयातित उर्वरकों पर सब्सिडी (₹ 2000.00 करोड़)उपर्युक्त खर्च में नकद व्यय होगा।
 - (ii) आयातित विनियांत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (₹ 1999.99 करोड़)उपर्य्क खर्च में नकद व्यय होगा।
- (ख) स्वदेशी उर्वरकों पर सब्सिडी (₹ 1000.00 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 2.05 करोड़ की बचतों और पूँजी भाग में
 ₹ 243.95 करोड़ की बचतें, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, को देखते हुए,
 इसमें ₹ 754.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) subsidy on imported fertilisers (₹ 2000.00 crore).The above expenditure will entail cash outgo.
 - (ii) subsidy on imported decontrolled fertilisers (₹ 1999.99 crore).The above expenditure will entail cash outgo.
- (b) subsidy on indigenous fertilisers (₹ 1000.00 crore). Taking into account the savings of ₹ 2.05 crore available within the same section of the Grant and savings of ₹ 243.95 crore under Capital Section which will be surrendered, this will entail cash outgo of ₹ 754.00 crore.

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(कंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये) (See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1083.02	4155.82	5238.84
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	•••	2000.00	2000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	96.60		96.60
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1179.62	6155.82	7335.44
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष वे	h अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	under the	following Majo	or Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत:	3053 -Civil Aviation	Voted:		96.60	96.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: हज, 2012 के संचालन हेतु सब्सिडी पर व्यय (₹ 268 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में बचत के उपलब्ध होने और अनुदान के पूंजी भाग के तहत बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए कोई नकद भुगतान नहीं होगा। The supplementary grant is required for:

expenditure on Subsidy (₹ 268 crore) for operation of Haj 2012. Taking into account savings available in the Revenue Section of the Grant and surrender of savings under Capital Section of the Grant there will be no cash outgo.

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये) (See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

						(.00 111 01010)
				राजस्व Revenue		पूंजी Capital		जोड़ Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	498.35		30.00		528.35
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		65.00		65.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now						
प्रक अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		214.95		214.96
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		498.37		309.95		808.32
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य II. This Supplementary Grant will be account				Heads:		
		,		आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न Non-Plan		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2803 - कोयला और लिग्नाइट	स्वीकृत:	2803 -Coal and Lignite	Voted:	0.01	(कa)			0.01
पूंजी भाग	-	CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4803 - कोयला और लिग्नाइट	स्वीकृत:	4803 - Capital Outlay on Coal and Lignite	Voted:			214.95	(खb)	214.95
पर पूंजी परिव्यय	ŭ							
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		214.95		214.96

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है!

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग CAPITAL SECTION

4803 - कोयला और लिग्नाइट 4803 - Capital Outlay on Coal and Lignite पर पूंजी परिव्यय

(-) 214.95

(-) 214.95

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) विस्तृत ड्रिलिंग की स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 65 करोड़) को पूरा करने के लिए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।
- (ख) कोयला वाले क्षेत्रों (अधिग्रहण एवं विकास), अधिनियम 1957 के अन्तर्गत एक्विजिसन आफ कोल बियरिंग एरिया" स्कीम के अन्तर्गत कोल इण्डिया लि. (सीआईएल) को विभिन्न सहायक कंपनियों के लिए अर्जित भूमि के विस्थापितों को क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। सीआईएल द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि सरकार के पास बतौर अग्रिम जमा करायी गई है। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure (₹ 65 crore) under the scheme of Detailed Driling. Taking into account the savings within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure for payment of compensation to land oustees for land acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited (CIL) under the scheme "Acquisition of Coal Bearing Areas" under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development), Act, 1957. The compensation amount is deposited by CIL with Government in advance. Taking into account the enhanced recoveries, there will be no additional net cash outgo.

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8-9 देखिये) (See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 8-9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पुंजी राजस्व जोड़ Capital Revenue Total I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: भारित: Charged: 1.00 1.00 स्वीकृत: Voted: 4054.82 971.68 5026.50 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: भारित: Charged: 0.03 0.03 स्वीकृत: Voted: 0.02 0.02 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: भारित: Charged: 0.11 0.11 स्वीकृत: 0.01 0.01 Voted: जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 4055.99 971.68 5027.67 भारित: Charged: 1.14 1 14 स्वीकृत: Voted: 4054.85 971.68 5026.53 II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2407 - पौधारोपण 2407 -Plantations Voted: 0.01 0.01 स्वीकृत: (कa) 3453 - विदेशी व्यापार और निर्यात भारित: 3453 - Foreign Trade and Export Promotion Charged: (खb) 0.11 0.11 संवर्द्धन जोड़ (पूरक) 0.12 0.12 Total (Supplementary)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) पेंशन और अन्य स्थापना संबंधी देयताओं को पूर्ति हेतु कॉफी बोर्ड को सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान करना (₹ 7.35 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

भारित:

स्वीकृत:

(ख) (i) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकण आदेश (₹ 0.04 करोड़) और (ii) दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश (₹ 0.07 करोड़) के संबंध में डिक्रियों से उत्पन व्यय की पूर्ति। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में समतुल्य राशि अभ्यर्पित को जाएगी। अत: कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant/appropriation are required for:

Charged:

Voted:

(a) providing additional amount as Grants-in-aid (₹ 7.35 crore) to Coffee Board for meeting pension and other establishment related liabilities. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

0.11

0.01

0.11

0.01

(b) For meeting expenditure arising out of decrees in respect of (i) Motor Accidents Claim Tribunal's order (₹ 0.04 crore) and (ii) Delhi High Court's order (₹ 0.07 crore). As equivalent amount will be surrendered in voted section of the Grant, there will be no additional cash outgo.

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये) (See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

				राजस्व Revenue		ज़ी pital		जोड़ Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		Revenue	Ca	pitai		TOTAL
ા. ગૂલ કાંયુવાન.	स्वीकृत:	I. Ordenval Grouvi.	Voted:	1494.15		73.10		1567.25
पूरक अनुदान:	रवानृता.	SUPPLEMENTARY GRANT:	voica.	1404.10		75.10		1007.20
7,447 3194101.	प्रतीत्स्य:	SOFFEEINENTARY GRAINT.	Voted:	0.03				0.03
इस समय आवश्यक रकम का	स्वीकृत:	Supplementary Estimate of the amount now		0.03		•••		0.03
•		Supplementary Estimate of the amount nov	V					
प्रक अनुमान:	a 	required:	Observed.	0.04				0.04
	भारित:		Charged:	0.04				0.04
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1494.23		73.10		1567.33
	भारित:		Charged:	0.04				0.04
	स्वीकृत:		Voted:	1494.19		73.10		1567.29
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलि	खित मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	will be accoun	ted for unde	er the following	Major I	Heads:	
				आयोजना	आये	जना-		जोड़
				Plan	194	न्न		Total
					Non	-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:			0.01	(कa)	0.01
2885 - उद्योग और खनिजों पर	भारित:	2885 - Other Outlays on Industries and	Charged:	0.04	(खb)			0.04
अन्य व्यय		Minerals						
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.04		0.01		0.05
	भारित:		Charged:	0.04				0.04
	स्वीकृत:		Voted:			0.01		0.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) पिषद के स्टाफ के वेतन तथा भतों के बकाया का भुगतान करने के लिए डेवलपमेंट कांउसिल फार पेपर, पल्प तथा एलाइड इण्डस्ट्रीज को वेतन अनुदान सहायता के भुगतान के निमित्त ₹ 0.75 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेत्।
- (ख) माननीय उच्च-न्यायालय, पटना के आदेशों की अनुपालना में मेसर्स होटल एम्बेसी, शंकर चौक, सहरसा चौक, बिहार को सब्सिडी जारी करने के लिए बिहार सरकार की प्रतिपूर्ति हेतु निवेश सब्सिडी (पुरानी) स्कीम के अन्तर्गत ₹ 0.04 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। चूंकि अनुदान के राजस्व (पारित) भाग में बचतें उपलब्ध है; अतएव तकनीकी पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

meeting an additional requirement of ₹ 0.75 crore towards payment of grants-in-aid-Salaries to Development Council for Paper, Pulp and allied Industries for payment of arrears of pay and allowances to the staff of the Council. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

(b) meeting additional requirement of ₹ 0.04 crore under Investment Subsidy (Old) scheme towards re-imbursement to the Government of Bihar for releasing the subsidy to M/s Hotel Embassy, Shankar Chowk, Saharsa, Bihar to honour the orders of High Court, Patna. As the savings are available under the Revenue (voted) section of the grant, a technical supplementary is sought

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये) (See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

						पये Rup	ees in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.10				0.10
	स्वीकृत:		Voted:	14379.61		615.77		14995.38
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.54		0.03		0.57
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	भारित:		Charged:	0.11		0.66		0.77
	स्वीकृत:		Voted:	940.87				940.87
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		15321.24		616.46		15937.70
	भारित:		Charged:	0.75		0.69		1.44
	स्वीकृत:		Voted:	15320.49		615.77		15936.26
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलि	खित मुख्य शीष	र्गें के अंतर्गत दि	खाया जा	येगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	will be accou	nted for unde	er the fol	lowing Major I	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	•	MAJOR HEAD						
3201 - डाक सेवाएं	भारित:	3201 - Postal Services	Charged:			0.11	(कa)	0.11
	स्वीकृत:		Voted:			940.87	(खb)	940.87
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)				940.98		940.98
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष	•	MAJOR HEAD						
5201 - डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित:	5201 - Capital Outlay on Postal Services	Charged:	0.66	(गс)			0.66
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.66		940.98		941.64
	भारित:		Charged:	0.66		0.11		0.77
	स्वीकृत:		Voted:			940.87		940.87

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के निर्णय के कारण ₹ 0.11 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व आयोजना (स्वीकृत) के तहत बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी अनुपूरक मांगा गया है।
- (ख) वेतन (₹ 557.24 करोड़), मजदूरी (₹ 25.46 करोड़) और पेंशन (₹ 455 करोड़) के कारण ₹ 1037.70 के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में ₹ 96.83 करोड़ की बचतों को देखते हुए, 940.87 करोड़ की शेष राशि

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting an additional requirement of ₹ 0.11 crore arising out of Court judgement. As the savings are available under the Revenue Plan (voted) section of the grant, a technical supplementary is sought.
 - meeting additional expenditure of ₹ 1037.70 crore on account of salary (₹ 557.24 crore), wages (₹ 25.46 crore) and pension (₹ 455 crore). After taking into account savings of ₹ 96.83 crore

का पूरक मांगा गया है। इसमें नकद भुगतान नहीं होगा चूंकि यह व्यय अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध पर्याप्त बचत और अतिरिक्त राजस्व प्राप्तियों के बराबर है।

- (ग) डाक कार्यालय बिल्डिंग (₹ 0.11 करोड़) और स्टॉफ क्वार्टरों (₹ 0.55 करोड़) के (c) निर्माण हेतु स्वैच्छिक प्रस्ताव के कारण भुगतान हेतु ₹ 0.66 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। चूंिक अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग के तहत बचतें उपलब्ध हैं तकनीकी पूरक मांगा गया है।
- available in the same section of the grant, supplementary for the balance amount of ₹ 940.87 crore is sought. This will not entail cash outgo as the expenditure is matched by savings available in the capital section of the grant and additional revenue receipts.
- meeting additional expenditure of ₹ 0.66 crore towards payment arising out of arbitration award on construction of Post Office building (₹ 0.11 crore) and staff quarters (₹ 0.55 crore). As the savings are available under the Capital voted section of the grant, a technical supplementary is sought.

दुरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये) (See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)					
		राजस्व		पूंजी	जोड़				
		Revenue		Capital	Total				
l. मूल अनुदान:	ORIGINAL GRANT:								
स्वीकृत:	Voted:	11587.38		1506.66	13094.04				
पूरक अनुदान: SL	UPPLEMENTARY GRANT:								
भारित:	Charged.	87.65			87.65				
स्वीकृत:	Voted:	0.01			0.01				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक Su	applementary Estimate of the amount now								
अनुमानः rec	quired:								
स्वीकृत:	Voted:			80.64	80.64				
	tal (Original plus Supplementary)	11675.04		1587.30	13262.34				
भारित:	Charged.	87.65			<i>87.65</i>				
स्वीकृत:	Voted:	11587.39		1587.30	13174.69				
II. s	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:								
II.	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:								
		आयोजना		आयोजना-	जोड़				
		Plan		भिन्न	Total				
				Non-Plan					
•	APITAL SECTION								
मुख्य शीर्ष MA	AJOR HEAD								
" "	52 - Capital Outlay on North Eastern Voted:	7.35	(क a)		7.35				
परिव्यय Are	eas								
5275 - अन्य संचार सेवाओं पर स्वीकृत: 52	75 - Capital Outlay on Other Voted:	73.29	(खb)		73.29				
पूंजी परिव्यय Co	ommunication Services								
जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Tot									

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) 'रक्षा सेवाओं के ओएफसी आधारित नेटवर्क' के अन्तर्गत भारत संचार निगम लि. को भुगतान हेतु ₹ 16.20 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। उसी भाग में उपलब्ध ₹ 8.85 करोड़ की बचत को देखते हुए ₹ 7.35 करोड़ की शेष राशि के लिए तकनीकी पूरक मांग अपेक्षित है। इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) 'रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क' के अन्तर्गत भारत संचार निगम लि. को भुगतान हेतु ₹ 145.80 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। उसी भाग में उपलब्ध ₹ 72.51 करोड़ की बचत को देखते हुए ₹ 73.29 करोड़ की शेष राशि के लिए तकनीकी पूरक मांग अपेक्षित है। इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting an additional requirement of ₹ 16.20 crore for making payment to Bharat Sanchar Nigam Limited under 'OFC based Network for Defence Services'. After taking into account the savings of ₹ 8.85 crore available in the same section, technical supplementary for the balance amount of ₹ 7.35 crore is sought. This will not entail cash outgo.
- payment to Bharat Sanchar Nigam Limited under 'OFC based Network for Defence Services'. After taking into account the savings of ₹ 72.51 crore available in the same section, technical supplementary for the balance amount of ₹ 73.29 crore is sought. This will not entail cash outgo.

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					ees in Crore)			
				राजस्व	पूंजी	जोड़		
				Revenue	Capital	Total		
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2877.53	173.47	3051.00		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2877.54	173.47	3051.01		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष वे	म अंतर्गत दि	खाया जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:						
				आयोजना	आयोजना-	जोड़		
				Plan	भिन्न	Total		
					Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01		0.01		

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

पूवोर्त्तर क्षेत्र के लाभ के लिए 'मानव शक्ति विकास (आईटी में दक्षता विकास सहित)' योजना के तहत (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.44 करोड़) और (ख) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 9.40 करोड़) के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए पूरक अनुदान माँगा गया है। The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure under the scheme of 'Manpower Development (incl. Skill Development in IT)' for the benefits of North Eastern Areas towards (a) Grants-in-aid General (₹ 2.44 crore) and (b) Grants for creation of Capital Assets (₹ 9.40 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये) (See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	604.39		19.70	624.09
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	10.01			10.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		•••	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		614.42		19.70	634.12
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों	के अंतर्गत वि	देखाया जाये	π:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	r under the	following I	Major He	ads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		•••	0.02

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) स्वर्ण हालमार्किंग मूल्यांकन केन्द्रों की स्थापना हेतु योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र, प्रदेशएवं सिक्किम के लाभ हेतु प्रावधान में बढोत्तरी (₹ 0.12 करोड़)। चूंिक इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध हैं, टोकन पूरक अपेक्षित है।
- (ख) भारत में स्वर्ण हालमार्किंग मूल्यांकन केन्द्रों की स्थापना हेतु योजना के तहत सामान्य सहायता- अनुदान के तौर पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 1.08 करोड़)। चूंकि इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध हैं, टोकन पूरक अपेक्षित है।

- (a) augmentation of provision for the benefit of North Eastern Region and Sikkim under scheme for setting up of Gold Hallmarking/ Assaying Centres (₹ 0.12 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the additional expenditure as Grants-in-aid General (₹ 1.08 crore) under scheme for setting up of Gold Hallmarking/Assaying Centres in India. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				(करोड़ रुपये Rupees in			ees in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	1.40				1.40
	स्वीकृत:		Voted:	76308.45		10651.81		86960.26
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	9942.44				9942.44
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		86252.29		10651.81		96904.10
	भारित:		Charged:	1.40				1.40
	स्वीकृत:		Voted:	86250.89		10651.81		96902.70
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया ज	ायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for unde	er the followir	ng Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2408 - खाद्य भंडारण और	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:			9942.43	(कa)	9942.43
भाण्डागारण	-							
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)	***		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

जोड़ (पूरक)

(क) (i) फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया को 2010-11 तक सब्सिडी के बकाया के भुगतान हेतु सब्सिडी उपलब्ध कराना (₹ 10002.01 करोड़)

स्वीकृत:

Total (Supplementary)

(ii) राज्यों/संघ शासित प्रदेश सरकारों के जिरए आयातित खाय तेल के वितरण हेतु सब्सिडी संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2.89 करोड़)।

अनुदान राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 28.37 करोड़ की सरेण्डर की गई बचतों को देखते हुए तथा अनुदान के उसी भाग में ₹ 62.47 करोड़ की बचतों के उपयोग के पश्चात उपयुक्त खर्च हेत् ₹ 9914.06 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) नागालैंड की राज्य सरकार को फूड गोदामों के निर्माण के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के मृजन हेतु अनुदान संबंधी व्यय को पूरा करन के लिए (₹ 1.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है। The supplementary grants are required for:

Voted:

0.01

(i) providing Subsidy payable to Food Corporation of India (₹ 10002.01 crore) against the arrears of subsidy upto 2010-11.

9942.43

9942.44

(ii) meeting the expenditure on subsidy for Imported Edible Oils for Distribution through States/ UTs Governments (₹ 2.89 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 28.37 crore available in the Revenue/Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 62.47 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 9914.06 crore.

meeting the expenditure on Grants for creation of capital assets to State Government of Nagaland for construction of Food Storage Godowns (₹ 1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14-15 देखिये) (See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 14-15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					ये Rupe	Rupees in Crore)		
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1409.00		38.00		1447.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	3.17				3.17
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1412.20		38.00		1450.20
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्षों के अंतर	ति दिखाया ज	ायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounte	d for under	the following	ng Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत:	2205 -Art and Culture	Voted:	0.01	(कa)	3.15	(खb)	3.16
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		3.15		3.17

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) "नृत्य, ड्रामा और थियेटर एनसेंबल्स सहायता" योजना के तहत अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 4.98 करोड़)।
 - (ii) संस्कृति संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) की अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.00 करोड़)।
 - (iii) राजा राममोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन, कोलकाता की अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 5.00 करोड़)।
 - (iv) नेहरु मेमोरियल म्यूजियम और पुस्तकालय, नई दिल्ली को नेहरु प्लेटेरियम को उन्नत बनाने हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 2.48 करोड़)।
 - (v) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को फाउंडेशन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और सीमा-पार संस्कृति और संप्रेषण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी -सह- प्रदर्शन के आयोजन के लिए सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 0.50 करोड़)।
 - (vi) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.25 करोड़)। इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid-General for meeting the additional requirement under the scheme 'Assistance to Dance Drama and Theatre Ensembles' (₹ 4.98 crore).
 - (ii) Grants for creation of capital assets to Centre for Cultural Resources and Training (CCRT) for meeting the additional requirement (₹ 3.00 crore).
 - (iii) Grants-in-aid-General to Raja Rammohun Roy Library Foundation, Kolkata for meeting the additional requirement (₹ 5.00 crore).
 - (iv) Grants for creation of capital assets to Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi for upgradation of Nehru Planetarium (₹ 2.48 crore).
 - (v) Grants-in-aid-General to Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya for meeting the additional requirement for celebration of Foundation Day; International Women's Day and International Seminar cum Exhibition on Trans Border Cultures and Communication (₹ 0.50 crore).
 - (vi) Grants for creation of capital assets to Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya for meeting the additional requirement (₹ 0.25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) (i) निम्नलिखित संगठनों को कोर्पस निधि मुहैया कराने के लिए सामान्य अनुदान- सहायता (1) गांधी स्मारक संग्रहालय, बराकपोर (₹ 1.00 करोड़)। (2) गांधी मेमोरियल म्यूजियम, मदुरैई (₹ 1.00 करोड़), (3) मनी भवन गांधी संग्रहालय, मुम्बई (₹ 1.00 करोड़), (4) गांधी संग्रहालय, पटना(₹ 1.00 करोड़), (5) कस्तूरबा गांधीराष्ट्रीय मेमोरियल ट्रस्ट (₹ 1.00 करोड़)।

> इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पूरक अपेक्षित है।

- (ii) इलाहाबाद म्यूजियम को अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए वेतन- सहायता – अनुदान (₹ 1.00 करोड़)। इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पूरक अपेक्षित है।
- (iii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणः कैजुअल श्रमिकों को पारिश्रमिक के भुगतान हेतु अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए (₹ 3.15 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में निवल नकद व्यय होगा।

- (ग) (i) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में वर्धित गितविधियां करने के लिए अतिरिक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित संगठनों को सामान्य- सहायता अनुदान (1) साहित्य अकादमी (₹ 0.50 करोड़)। (2) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (₹ 1.00 करोड़)। (3) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली (₹ 0.50 करोड़), (4) राष्ट्रीय हस्तलिपि मिशन (₹ 0.50 करोड़)।
 - (ii) केन्द्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विधित गतिविधियां करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनहेतु अनुदान (₹ 0.56 करोड़)।
 इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पूरक अपेक्षित है।

(i) Grants-in-aid-General to Provide corpus fund to the following Organizations: (1) Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore (₹ 1.00 crore) (2) Gandhi Memorial Museum, Madurai (₹ 1.00 crore) (3) Mani Bhavan Gandhi Sangrahalaya, Mumbai (₹ 1.00 crore) (4) Gandhi Sangrahalaya, Patna (₹ 1.00 crore) (5) Kasturba Gandhi National Memorial Trust (₹ 1.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ii) Grants-in-aid-Salaries to Allahabad Museum for meeting the additional requirement (₹ 1.00 crore).Taking into account the savings available in the same
- section of the Grant, a token supplementary is sought.

 (iii) Archaeological Survey of India: For meeting the additional requirement for payment of wages to casual labourers

The above expenditure will entail a net cash outgo;

(₹ 3.15 crore).

- (i) Grants-in-aid-General to the following organizations for meeting the additional requirement for taking up enhanced activities in the North Eastern Areas: (1) Sahitya Akademi (₹ 0.50 crore) (2) National School of Drama (₹ 1.00 crore)
 (3) Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi (₹ 0.50 crore) (4) National Mission for Manuscripts (₹ 0.50 crore).
- (ii) Grants for creation of capital assets to Central Institute of Himalayan Cultural Studies for taking up enhanced activities in the North Eastern Areas (₹ 0.56 crore).
 Taking into account the savings available in the same

section of the Grant, a token supplementary is sought.

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये) (See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	·	जोड़ Total
l. मूल अन् दान :		I. ORIGINAL GRANT:		Hovemus	oup.tu.		
4 3	भारित:		Charged:	0.26	•••		0.26
	स्वीकृत:		Voted:	14723.43	1874.55		16597.98
पूरक अनुदान:	٠.	SUPPLEMENTARY GRANT:					
. 3	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	•-	Supplementary Estimate of the amount					
अन्मान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.01		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		14723.72	1874.56		16598.28
	भारित:		Charged:	0.26			0.26
	स्वीकृत:		Voted:	14723.46	1874.56		16598.02
		॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अंतर्ग	ति दिखाया जायेग	T:		
		II. This Supplementary Grant will be account	nted for under	the following M	lajor Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:		0.01	(कa)	0.01
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2075 - Miscellaneous General Services	Voted:		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:		0.02		0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं पर	स्वीकृत:	4047 - Capital Outlay on Other Fiscal	Voted:		0.01	(गc)	0.01
पूंजी परिव्यय		Services					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	•••	0.03		0.03

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) कैंटॉनमेंट बोर्डस को वेतन और भते जैसी देयताओं की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 58.16 करोड़) और कै-टॉनमेंट बोर्डस को रक्षा संपदा संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भवन निर्माण गतिविधियों, स्कूल भवनों की मरम्मत और रखरखाव और मल-जल प्रशोधन संयंत्र के लिए परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के संबंध में (₹ 20 करोड़)अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। चूँकि अनुदान के राजस्व भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अत: सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) 2009-2010 से 2011-2012 तक के लिए यूनिट रन कैंटीनों के बीच ₹ 351.76 करोड़ की मात्रात्मक छूट हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतएव सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित; और
- (ग) मिनीकाय, अन्द्रोध, कोलकाता में भूमि अधिग्रहण तथा तट रक्षक बल के विभिन्न सिविल निर्माण कार्यों हेतु ₹ 50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतएव सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित।

- (a) meeting additional expenditure towards providing 'Grants-in-aid General' (₹ 58.16 crore) to Cantonment Boards for meeting liabilities like pay and allowances and for providing 'Grants for creation of capital assets (₹ 20 crore) to Cantonment Boards for construction activities, repairs and maintenance of school buildings and sewage treatment plant under the administrative control of Defence Estates Organisation. As savings are available in the revenue section of the grant, a token supplementary is sought;
 - meeting additional expenditure towards distribution of Quantitative Discount, amounting to ₹ 351.76 crore, among Unit Run Canteens for the years 2009-2010 to 2011-2012. As the savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought; and
- c) meeting an additional expenditure of ₹ 50 crore for acquisition of land at Minicoy, Androdh, Kolkata and various civil works of Coast Guard Organisation. As the savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

भारित:

स्वीकृत:

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

पूंजी जोड़
Capital Total

... 0.26

... 38999.74

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

इस समय आवश्यक रकम का पूरक

I. मूल अनुदान:

अन्मान:

जोड़ (मूल और पूरक)

Supplementary Estimate of the amount now required:

requirea: भारित:

स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)

I. ORIGINAL GRANT:

भारितः स्वीकृतः **39500.00** *Charged: 0.82*Voted: 39499.18

राजस्व

Revenue

38999.74

0.26

0.56

499.44

आयोजना

Plan

... **39500.00**... *0.82*... 39499.18

आयोजना-

भिन्न

Non-Plan

0.56

499.44

जोड़

Total

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

Charged:

Charged:

Voted:

Voted:

राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति	भारित:	2071 - Pensions and other Retirement	Charged:	•••	0.56	(क a)	0.56
		Benefits					
	स्वीकृत:		Voted:	•••	499.44	(खb)	499.44

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

 (क) न्यायालय निर्णयों के कारण भुगतान के लिए ₹ 0.56 करोड़ की अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए। इसमें निवल नकद भुगतान होगा।

(ख) पेंशन, भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण, अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति लाभ और वर्ष 2012-13 के दौरान महंगाई भत्ते के प्रभाव के भुगतान के लिए ₹ 499.44 करोड़ की अतिरिक्त जरुरत को पूरा करने के लिए। The supplementary grant/appropriation is required for:

- meeting additional requirement of ₹ 0.56 crore towards payment arising out of decrees of Court cases. This will entail cash outgo.
- (b) meeting additional requirement of ₹ 499.44 crore towards payment of Pensions, Gratuity, Leave Encashment, Superannuation & Retirement Benefits and impact of Dearness Relief during 2012-2013. This will entail cash outgo.

रक्षा सेवा - वायु सेना

DEFENCE SERVICES-AIR FORCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये) (See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	2.32		2.32	
	स्वीकृत:		Voted:	18322.87		18322.87	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
, -	भारित:		Charged:	3.00		3.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	भारित:		Charged:	0.86		0.86	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		18329.05		18329.05	
	भारित:		Charged:	6.18		6.18	
	स्वीकृत:		Voted:	18322.87		18322.87	
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य ६	शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Appropriation will be ac	counted for un	der the followin	g Major Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2078 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना	भारित:	2078 - Defence Services - Air Force	Charged:		0.86	0.86	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: न्यायालय के आदेशों का पालन करने हेतु ₹ 0.86 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में बचत उपलब्ध है, ₹ 0.86 करोड़ का तकनीकी पूरक अपेक्षित है।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure of \ref{thmost} 0.86 crore in pursuance of court orders. As savings are available in the voted section of the grant, technical supplementary for \ref{thmost} 0.86 crore is sought.

रक्षा सेवाएं - अन्संधान एवं विकास

DEFENCE SERVICES - RESEARCH AND DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total ।. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: भारित: Charged: 0.61 0.61 स्वीकृत: Voted: 6034.95 6034.95 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: भारित: 0.13 0.13 Charged: जोड़ (मूल और पूरक) 6035.69 6035.69 Total (Original plus Supplementary) भारित: 0.74 Charged: 0.74 स्वीकृत: Voted: 6034.95 6034.95 II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head: आयोजना-आयोजना जोड भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2080 - रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और 2080 - Defence Services - Research and Charged: 0.13 0.13 विकास Development

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: न्यायालय के आदेशों को पालन करने के लिए ₹ 0.13 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। चूंकि बचत अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलबध हैं, ₹ 0.13 करोड़ का तकनीकी अनुपूरक अपेक्षित है। The supplementary appropriation is required for:

meeting additional requirement of \ref{thm} 0.13 crore in pursuance of Court Orders. As the savings are available in the voted section of the grant, a technical supplementary for \ref{thm} 0.13 crore is sought.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये) (See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Rup			ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	3012.28		70.13		3082.41
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		0.01		0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		10.49		10.52
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3012.34		80.63		3092.97
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	र्गित दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde	er the follow	ing Majo	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत:	2406 -Forestry and Wild Life	Voted:	0.01	(कa)			0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)			0.01
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत:	3435 -Ecology and Environment	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.03				0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण	स्वीकृत:	5425 - Capital Outlay on Other Scientific	Voted:	9.99	(घd)	0.50	(ਭੌ e)	10.49
अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	-	and Environmental Research						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	10.02		0.50		10.52
	•							

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) वन्यजीव प्रभाग के सुदृढ़ीकरण और विशेष कार्य हेतु परामर्श सेवाओं वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए सामान्य सहायता अनुदान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 0.30 करोड़)।
- (ख) पूर्वीतर क्षेत्रों के लाभ हेतु आर्थिक विकास बलों के लिए अन्य संविदात्मक सेवाओं संबंधी व्यय की पूर्ति (₹ 5 करोड़)।
- (ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकारी को सामान्य सहायता अन्दान (₹ 11 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में संकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (घ) (i) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के तहत प्रमुख कार्यों पर पूंजीगत व्यय (₹ 2 करोड़) और (ii) कार्यालयी बिल्डिंग के तहत प्रमुख कार्यों संबंधी पूंजीगत व्यय (₹ 6 करोड़) और सवाई माधोपुर में प्रादेशिक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय

- (a) meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 0.30 crore) for strengthening of wildlife division and consultancies for special tasks/control of wildlife crime.
- (b) meeting expenditure on Other contractual services (₹ 5 crore) for Eco-Development Forces for the benefit of North Eastern Areas.
- (c) meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 11 crore) to National Ganga River Basin Authority (EAP) under National River Conservation Programme.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.
 - meeting (i) capital expenditure (₹ 2 crore) on major works under Zoological Survey of India, (ii) capital expenditure on Major Works under Office Building (₹ 6 crore), and (iii) National Museum of

हेतु राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (₹ 4 करोड़) को पूरा करने हेतु। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें कोई नकद भ्गतान नहीं होगा।

- (ङ) सिविल इंजीनियरिंग विंग के वेतन पर व्यय (₹ 0.50 करोड़) को पूरा करने हेतु। अनुदान के राजस्व भाग के तहत बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, कोई नकद भुगतान नहीं होगा।
- Natural History (₹ 4 crore) for Regional Museum of Natural History at Sawai Madhopur. Taking into account savings within the Capital section of the Grant and surrender of savings available under Revenue Section of the Grant, there will be no additional net cash outgo.
- meeting expenditure on salary (₹ 0.50 crore) of Civil Engineering wing. Taking into account the surrender of savings under Revenue Section of the Grant, there will be no additional net cash outgo.

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये) (See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ र	पये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.03			0.03
	स्वीकृत:		Voted:	7623.94	2038.00		9661.94
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	365.00		365.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	665.00	0.01		665.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8288.98	2403.01		10691.99
	भारित:		Charged:	0.03			0.03
	स्वीकृत:		Voted:	8288.95	2403.01		10691.96
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्षों के अंतर्ग <i>व</i>	त दिखाया जा	येगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	nted for under t	the following	g Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
T 4777		DEVENUE OF CTION			Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				<i>(</i> —)	
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत:	2061 -External Affairs	Voted:		15.00	(कa)	15.00
3605 - अन्य देशों के साथ	स्वीकृत:	3605 -Technical and Economic Co-	Voted:	400.00	(खb) 250.00	(गc)	650.00
तकनीकी और आर्थिक सहयोग	•	operation with Other Countries					
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	400.00	265.00		665.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:		0.01	(घd)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	400.00	265.01		665.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) को सामान्य सहायता अन्दान प्रदान करना (₹ 7.30 करोड़)।
 - (ii) राजदूतवासों व मिशनों को वेतन प्रदान करना (₹ 15 करोड़) अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण (₹15 करोड़) और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, इससे कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) तीन चालू हाइड्रो इलेक्ट्रिक वियुत परियोजनाओं के लिए भूटान रायल सरकार (b) को अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवंटन प्रदान करना। इससे निवल नकद भुगतान होगा।

- (i) releasing Grants-in-aid General to Indian Council for Cultural Relations (ICCR) (₹ 7.30 crore); and
- (ii) releasing of salary to Embassies and Missions (₹ 15 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant (₹ 15 crore) and utilizing savings available in the same Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- providing additional allocation as grant to Royal Government of Bhutan for three ongoing hydro electric power projects. This will entail net cash outgo.

- (ग) संसद में पारित प्रक अनुदान के बाद निधि को बंगलादेश सरकार को सहायता प्रदान करने हेतु भारत के आकस्मिक कोष से अग्रिम (₹ 250 करोड़) की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुदान के पूंजी भाग में बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इससे कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) हाऊसिंग पर पूंजीगत परिव्यय में बढ़ोत्तरी (₹ 25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्धघ होने को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- extending grant assistance to Government of Bangladesh. An advance (₹ 250 crore) was sanctioned from Contingency Fund of India which shall be recouped to the fund after the Supplementary Grant is passed in the Parliament. Taking into the surrender of savings in Capital Section of the Grant, there will be no cash outgo.
- augmenting Capital Outlay on Housing (₹ 25 crore). Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23-24 देखिये) (See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 23-24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Revenue Capital Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: 68042.43 स्वीकृत: Voted: 9081.35 58961.08 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: स्वीकृत: 0.04 Voted: 118.35 118.39 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount अनुमान: now required: 0.02 स्वीकृत: Voted: 0.01 0.03 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 9199.72 58961.13 68160.85 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: जोड भायोजना आयोजना-Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं स्वीकृत: 3075 -Other Transport Services Voted: 0.01 (**क**a) 0.01 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services Voted: 0.01 (खb) 0.01 सेवाएं जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) स्वीकृत: Voted: 0.02 0.02 पुंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक 5475 - Capital Outlay on Other General Voted: 0.01 (गc) 0.01 सेवाओ पर पूंजी परिव्यय **Economic Services** 0.01 0.02 जोड़ (पूरक) 0.03 स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted:

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) रेलवे की कुछ महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों के प्रचालन पर होने वाली क्षतियों की प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय 37 करोड़ को पूरा करना। चूंकि बचत उसी खंड के लिए उपलब्ध है जिसके लिए अनुदान जारी किया गया था, अत: प्रतीकात्मक पूरक अन्दान की मांग की जा रही है।
- (ख) सेशेल्स गणराज्य को दिए गए ऋण के संबंध में ऋण/ब्याज की छूट के लिए ₹ 0.03 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। चूंकि बचत उसी खंड के लिए उपलब्ध है जिसके लिए अनुदान जारी किया गया था, अत: प्रतीकात्मक पूरक अन्दान की मांग की जा रही है।
- (ग) अवसंरचना व्यहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) को सहायता के लिए ₹ 20 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। चूंकि बचत उसी खंड के लिए उपलब्ध है जिसके लिए अनुदान जारी किया गया था, अतः प्रतीकात्मक पूरक अन्दान की मांग की जा रही है।

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 37 crore towards reimbursement of losses to Railways on operating strategic Railway lines. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 0.03 crore for waiver of loan/interest on loan to Republic of Seychelles. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure of ₹ 20 crore for assistance to Infrastructure Development-Viability Gap Funding (VGF). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought

विततीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये) (See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Ru	pees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	8535.23	15902.01	24437.24
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.01	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8535.26	15902.02	24437.28
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	under the	following Majo	r Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

पंशन फंड रेग्युलेटरी एण्ड डेवलपमेंड अथारिटी (पीएफआरडीए) के वेतन संबंधी व्यय हेतृ ₹ 0.50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को अनुदान सहायता (वेतन) के जरिए पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement of ₹ 0.50 crore for expenditure relating to salary of Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) through Grants-in-aid (salary). Taking into consideration savings available in the same section of the grant, a token supplementary is being sought.

संख्या NO. 34 (विनियोग)(APPROPRIATION)

बयाज अदायगियां

INTEREST PAYMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Revenue Total ।.विनियोगः I. ORIGINAL APPROPRIATION: भारित: Charged: 324769.43 324769.43 इस समय आवश्यक रकम का पुरक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: भारित: Charged: 4718.00 4718.00 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 329487.43 329487.43 II. इस प्रक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2049 - ब्याज भ्गतान भारित: 2049 - Interest Payments Charged: 4718.00 4718.00

बाजार ऋण (₹ 5,445.55 करोड़), 91 दिनों के ट्रेजरी बिलों पर छूट (₹ 2605.54 करोड़), 364 दिनों के ट्रेजरी बिलों पर छूट (₹ 963 करोड़), 182 दिनों के ट्रेजरी बिलों पर छूट (₹ 769 करोड़), प्रतिपूर्ति और अन्य बॉड (₹ 620.99 करोड़), विदेशों से ऋण (₹ 126.67 करोड़),गैर सरकारी भविष्य निधि (₹ 74.12 करोड़) का विशेष जमा और ऋण (₹ 58.70 करोड़) के प्रबंधन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 5,885.57 करोड़ की बचत और ₹ 12,313.33 करोड़ ब्याज राशि की अतिरिक्त प्राप्ति पर विचार किए जाने से इस पूरक विनियोग से नकदी के किसी भी अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure under Market loans (₹ 5,445.55 crore), Discount on 91 days Treasury Bills (₹ 2,605.54 crore), Discount on 364 days Treasury Bills (₹ 963 crore), Discount on 182 days Treasury Bills, (₹ 709 crore), Compensation and other Bonds (₹ 620.99 crore), external debt (₹ 126.67 crore), Special deposit of non-Government provident funds (₹ 74.12 crore) and Management of Debt (₹ 58.70 crore). After taking into the savings of ₹ 5,885.57 crore and additional receipts of accrued interest amounting to ₹ 12,313.33 crore, this supplementary will not entail cash outgo.

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण

TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				(करोड़ रुपये Ri	(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	<i>58357.46</i>	12000.00	70357.46	
	स्वीकृत:		Voted:	105573.00	•••	105573.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	213.55		213.55	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		164144.01	12000.00	176144.01	
	भारित:		Charged:	<i>58357.46</i>	12000.00	70357.46	
	स्वीकृत:		Voted:	105786.55	•••	105786.55	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत (देखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	ted for under th	e following Major	Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2075 -Miscellaneous General Services	Voted:		213.55	213.55	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

12वें वित्त आयोग (₹ 89.04 करोड़) तथा 13वें वित्त आयोग (₹ 124.51 करोड़) की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालयों के जरिए, जिसमें वित्त मंत्रालय शामिल नहीं है केन्द्र प्रत्योजित स्कीमों तथा केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के लिए राज्य सरकार से ऋण सहायता उपलब्ध कराना। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि व्यय को प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा।

The supplementary grant is required for:

providing debt relief to State Governments for Centrally Sponsored Schemes and Central Plan Schemes through Ministries other than Ministry of Finance as per the recommendations of 12th Finance Commission (₹ 89.04 crore) and 13th Finance Commission (₹ 124.51 crore). There will be no cash outgo as expenditure will be matched by receipts.

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(कराड़ रुपय Ru		ipees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी		जोड़	
				Revenue	Capital		Total	
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	78.83	•••		<i>78.83</i>	
	स्वीकृत:		Voted:	2479.66	10.00		2489.66	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount	t now					
अनुमान:		required:						
	भारित:		Charged:	7.78	•••		7.78	
	स्वीकृत:		Voted:	81.89	•••		81.89	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2648.16	10.00		2658.16	
	भारित:		Charged:	86.61			86.61	
	स्वीकृत:		Voted:	2561.55	10.00		2571.55	
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब नि	म्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant/Appropri	ation will be accounte	d for under the	e following Majo	r Head:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़	
				Plan	भिन्न		Total	
					Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2016 - लेखा परीक्षा	भारित:	2016 - Audit	Charged:		7.78	(कa)	7.78	
	स्वीकृत:		Voted:		81.89	(खb)	81.89	

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) वेतन के भुगतान (₹ 7.78 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) वेतन भुगतान के अतिरिक्त व्यय (₹ 78.23 करोड़) तथा अवसंरचना संबंधी व्यय (₹ 3.66 करोड़) को पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- meeting additional expenditure towards payment of Salaries (₹ 7.78 crore). This will entail cash outgo.
- (b) meeting additional expenditure towards payment of Salaries (₹ 78.23 crore) and establishment related expenditure (₹ 3.66 crore). This will entail cash outgo.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये) (See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Rupees in Crore,		
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	670.54		670.54	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		670.57		670.57	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीप	र्ष के अंतर्गत दिख	वाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under the f	following Majo	r Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:	0.01		0.01	

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/ स्थापना/आधुनिकीकरण हेतु योजना के तहत वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान की पूर्ति (₹ 31.46 करोड़)।
- (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु. अवसंरचना विकास सहायता योजना के पूर्वोत्तर क्षेत्र संघटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान संबंधी व्यय की पूर्ति (₹ 1.72 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- (i) meeting the expenditure on additional Grants-in-aid General to meet committed liabilities under the Scheme for Technology Upgradation/ Establishment/ Modernization of Food Processing Industries (₹ 31.46 crore).
- (ii) meeting the expenditure on Grants-in-aid General under the NER component of the scheme of Infrastructural Development-Assistance for setting up of Mega Food Park of Food Processing Industries (₹ 1.72 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30-32 देखिये) (See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 30-32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Revenue Capital Total ।. मूल अन्दान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 30681.98 2298.31 32980.29 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: स्वीकृत: Voted: 3.75 3.75 ... इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount अनुमान: now required: Voted: 0.05 स्वीकृत: 0.01 0.06 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 30685.78 2298.32 32984 10 इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना-आयोजना जोड भिन्न Total Plan Non-Plan REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** (खb) 2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health Voted: 0.01 (कa) 0.01 0.02 2211 - परिवार कल्याण स्वीकृत: Voted: 2211 -Family Welfare 0.01 (गc) 0.012552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas Voted: 0.01 (घd) 0.01 3601 - राज्य सरकारों को सहायता स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Voted: 0.01 (ङe) 0.01 Governments जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.05 स्वीकृत: Voted: 0.04 0.01 पुंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थय स्वीकृत: (चf) 4210 - Capital Outlay on Medical and Voted: 0.01 0.01पर पूंजी परिव्यय Public Health जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 0.05 0.01 0.06

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- क) (i) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा को जल्ल बिजली के शुल्कों में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन, और उपभोज्य, रिजेंट आदि के मूल्यों में बढोत्तरी के कारण अतिरिक्त जरुरत पूरा करने के लिए सामान्य-सहायता-अन्दान: (₹ 1.60 करोड़)।
 - (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को जल्ल बिजली के शुल्कों में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन, और उपभोज्य, रिजेंट आदि के मूल्यों में बढोत्तरी के कारण अतिरिक्त जरुरत पूरा करने के लिए सामान्य-सहायता-अन्दान: (₹ 2.75 करोड़)।
 - (iii) राष्ट्रीय विषाणुजन्य रोग नियंत्रण योजना के तहत अतिरिक्त जरुरत पूरा करने के लिए सामान्य- सहायता-अनुदान: (₹ 5.55 करोइ)।

- (a) (i) Grants-in-aid-General to National Institute of Biologicals, Noida for meeting additional requirement due to upward revision of tariffs of water, electricity and hike in prices of consumables, reagents, etc. (₹ 1.60 crore).
 - (ii) Grants-in-aid-General to Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI) for meeting additional requirement due to upward revision of tariffs of water, electricity and hike in prices of consumables, reagents, etc. (₹ 2.75 crore).
 - (iii) Grants-in-aid-General for meeting the additional requirement under the scheme "National Vector Borne Diseases Control Programme" (₹ 5.55 crore).

(e)

इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन अनुपूरक अपेक्षित है।

- (ख) वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली को वेतन-सहायता- अनुदान (₹ 1.60 करोड़)।
 - इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन अनुपूरक अपेक्षित है।
- (ग) (i) निम्निलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए समान्य -अनुदान- सहायताः (1) स्वायत्त/स्वयंसेवी संगठनों/सोसायिटयों के माध्यम से परियोजनाएं (₹ 0.09 करोड़)। (2) पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम (₹ 0.36 करोड़)।
 - (ii) केन्द्रीय मेडीकल सर्विसेज सोसायटी द्वरा खरीद पर अतिरिक्त आवश्यकता को पूराकरने के लिए 'केन्द्रीय खरीद एजेंसी' को सामान्य-सहायता-अनुदान: (₹ 50.00 करोड़)। इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन अनुपूरक अपेक्षित है।
- (घ) (i) प्रादेशिक मेडिकल विज्ञान संस्थान, इम्फाल को मूलभूत ढांचागत सुविधाओं के संबंध् में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹ 38.57 करोइ)।
 - (ii) 'राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम' के तहत सामान्य-सहायता- अनुदान(₹ 20.00 करोड़)। इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन अनुपूरक अपेक्षित है।
- (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एएनएन /जीएनएम विद्यालयों को खोलने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त नर्सिंग सेवाओं के उन्नयन / सुदृढीकरण योजना के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 111.17 करोड़)।
 - इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन अनुपूरक अपेक्षित है।
- (च) आपातकालीन मेडीकल राहत (एवियन फ्लू) हेतु 4 एक्स्ट्रा कार्पीरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजेनेटर (ईसीएमओ) की खरीद पर अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 1.50 करोड़)। इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन अनुपूरक अपेक्षित है। इसी अनदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन अनपरक
 - इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन अनुपूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid-Salaries to Vallabhbhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 1.60 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grants-in-aid-General for meeting the additional requirement under the following scheme/ programme: (1) Projects through Autonomous/ Voluntary Organizations/ Societies (₹ 0.09 crore). (2) Pulse Polio Immunization Programme (₹ 0.36 crore).
- (ii) Grants-in-aid-General to 'Central Procurement Agency' for meeting additional requirement on procurements by Central Medical Services Society (₹ 50.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants for creation of capital assets to Regional Institute of Medical Sciences, Imphal for meeting additional requirement on infrastructural facilities (₹ 38.57 crore).
- (ii) Grants-in-aid-General under 'National Vector Borne Disease Control Programme' (₹ 20.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Grants for creation of capital assets under the scheme 'Upgradation / Strengthening of Nursing Services' for meeting additional requirement on opening of ANM/ GNM Schools by the State Government of Uttar Pradesh (₹ 111.17 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- For meeting the additional requirement on procurement of 4 Extra Corporeal Membrane Oxygenator (ECMO) machines for Emergency Medical Relief (Avian Flu) (₹ 1.50 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुप	ये Rupee	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
, •	स्वीकृत:		Voted:	1161.20		16.80		1178.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अन्मान:	· ·	Supplementary Estimate of the amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1161.23		16.80		1178.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया उ	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde	r the followi	ing Majoi	r Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03
यह परक अनदान निम्नलिखित हेत अ	ापेक्षित है:	The suppler	nentary gra	ants are red	uired for	:		

यह पूरक अनुदान निम्नालाखत हतु अपाक्षत ह:

- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को उपकरण व मशीनरी की खरीद के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के मृजन हेत् अन्दान (₹ 10.00 करोड)।
 - (ii) केन्द्रीय हौम्योपैथी परिषद् को नई दिल्ली को कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए सामान्य-सहायता-अन्दान (₹ 0.11 करोड़)।
 - केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त जरूरतें पूरी (iii) करने हेतु आवश्यक उपकरणों के रक्षा-रखाव हेतु सामान्य-सहायता अन्दान (₹ 3.00 करोड़)।
 - केन्द्रीय होम्योपैथी अन्संधान परिषद की अतिरिक्त जरूरतें पूरा करने (iv) हेत् सामान्य-सहायता अन्दान (₹ 3.95 करोड़)।
 - 'केन्द्रीय होम्योपैथी अन्संधान परिषद' की नोएडा में इमारत के (v) निर्माण हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 7.00 करोड)।
 - केन्द्रीय होम्योपैथी अन्संधान परिषद को वेतन के कारण अतिरिक्त (vi) आवश्यकता पूरा करने के लिए वेतन-सहायता-अन्दान (₹ 0.33
 - (vii) राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बैंगल्रू को अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने हेत् सामान्य- सहायता-अनुदान (₹ 0.50 करोड़)।
 - राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बैंगल्रू को निर्माण एजेंसी को (viii) भ्गतान करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेत् अन्दान (₹ 3.00 करोड़)।

- Grants for creation of capital assets to All India Institute of Ayurveda for procurement of equipment and machinery (₹ 10.00 crore).
 - (ii) Grants-in-aid-General to Central Council of Homoeopathy, New Delhi for conducting workshops (₹ 0.11 crore).
 - (iii) Grants-in-aid-General to 'Central Council for Research in Ayurvedic Sciences' for maintenance of essential equipments (₹ 3.00 crore).
 - (iv) Grants-in-aid-General to 'Central Council for Research in Homoeopathy' for meeting the additional requirement (₹ 3.95 crore)
 - (v) Grants for creation of capital assets to 'Central Council for Research in Homoeopathy' for construction of Building at NOIDA (₹ 7.00 crore).
 - (vi) Grants-in-aid-Salaries to 'Central Council for Research in Homoeopathy' for meeting the additional requirement on account of salary (₹ 0.33 crore).
 - Grants-in-aid-General to National Institute of Unani (vii) Medicine, Bengaluru for meeting additional the requirement (₹ 0.50 crore).
 - (viii) Grants for creation of capital assets to National Institute of Unani Medicine, Bengaluru for making the payment to construction agency (₹ 3.00 crore).

(i)

- (ix) केन्द्रीय यूनानी औषधि परिषद को अतिरिक्त जरूरतें पूरी करने के लिए सामान्य-सहायता-अनुदान (₹ 2.65 करोड़)।
- (x) केन्द्रीय यूनानी औषधि परिषद को निर्माण कार्य के लिए पूंजीगत
 परिसंपत्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹ 0.35 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक अनुपूरक मांगा गया है।

- (ख) (i) निम्नलिखित संस्थानों को वेतन के कारण अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने हेतु वेतन-सहायता-अनुदान: (i) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली (₹ 0.12 करोड़) (ii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (₹ 0.79 करोड़) (iii) केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (₹ 3.00 करोड़) (iv)राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (₹ 0.17 करोड़)(v)केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (₹ 0.10 करोड़) (vi)केन्द्रीय यूनानी औषधी अनुसंधान परिषद (₹ 0.91 करोड़)(vii)मोरारजी देसाई राष्ट्रीय मांग संस्थान (₹ 0.21 करोड़)।
 - (ii) केन्द्रीय होम्योपैथी निर्वाचन परिषद, नई दिल्ली को विभिन्न राज्यों में होम्योपैथी परिषद में चुनाव कराने हेतु सामान्य-सहायता-अनुदान (₹ 0.10 करोड़)।
 - (iii) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को प्रयोगशाला उपकरणों के रख-रखाव हेत् सामान्य-सहायता-अनुदान (₹ 2.00 करोड़)।

अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, टोकन पूरक अनुदान अपेक्षित है।

- (ग) (i) नार्थ ईस्टर्न इंस्टिट्यूट ऑफ फॉक मेडिसन, पासीघाट को अतिरिक्त (c) जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य-सहायता-अनुदान (₹ 0.48 करोड़)।
 - (ii) नार्थ ईस्टर्न इंस्टिट्यूट ऑफ फॉक मेडिसन, पासीघाट को निर्माण कार्य के लिए पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.75 करोड़)।
 - (iii) नार्थ ईस्टर्न इंस्टिट्यूट ऑफ फॉल्क मेडिसन, पासीघाट को वेतन के कारण अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु वेतन-सहायता-अन्दान (₹ 0.40 करोड़)।
 - (iv) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अगरतला में इमारत के निर्माण हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 2.00 करोड़)।

 अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, टोकन अनुदान

पुरक अपेक्षित है।

- (ix) Grants-in-aid-General to Central Council for Research in Unani Medicine for meeting the additional requirement (₹ 2.65 crore).
- (x) Grants for creation of capital assets to Central Council for Research in Unani Medicine for construction work (₹ 0.35 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- Grants-in-aid-Salaries to the following Institutes for meeting the additional requirement on account of salary:

 (i) Central Council of Homoeopathy, New Delhi (₹ 0.12 crore) (iii) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹ 0.79 crore) (iii) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 3.00 crore) (iv) National Institute of Homoeopathy, Kolkata (₹ 0.17 crore) (v) Central Council for Research in Homoeopathy (₹ 0.10 crore) (vi) Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 0.91 crore) (vii) Morarji Desai National Institute of Yoga (₹ 0.21 crore).
- (ii) Grants-in-aid-General to 'Central Council of Homoeopathy Election, New Delhi' for conducting Central Council of Homoeopathy election in various States (₹ 0.10 crore).
- (iii) Grants-in-aid-General to Central Council for Research in Homoeopathy for maintenance of Lab equipments (₹ 2.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants-in-aid-General to North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat for meeting the additional requirement (₹ 0.48 crore).
- (ii) Grants for creation of capital assets to North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat for construction work (₹ 0.75 crore).
- (iii) Grants-in-aid-Salaries to North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat for meeting the additional requirement on account of Salary (₹ 0.40 crore).
- (iv) Grants for creation of capital assets to Central Council for Research in Homoeopathy for construction of Building at Agartala (₹ 2.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(कंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये) (See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुपय	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	908.00				908.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now	1					
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		908.03				908.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्र	ग शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जा	येगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	ted for under t	he followin	ıg Major l	Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(क a)	0.01	(खb)	0.02

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को उपभोज्य वस्तुओं की अतिरिक्त जरुरत को पूरा करने के लिए सामान्य-सहायता-अनुदान (₹ 20.14 करोइ)।
 - इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।
- (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को वेतन की अतिरिक्त जरुरत को पूरा करने के लिए सामान्य-सहायता-अनुदान (₹ 5.90 करोड़)। इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

- (a) Grants-in-aid-General to Indian Council of Medical Research, New Delhi for meeting additional requirement on consumables.
 (₹ 20.14 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Grants-in-aid-Salaries to Indian Council of Medical Research, New Delhi for meeting additional requirement on salaries. (₹ 5.90 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

एड्स नियंत्रण विभाग

DEPARTMENT OF AIDS CONTROL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

, . .		·	•			(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1692.00		8.00	1700.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	59.56			59.56
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1751.56		8.00	1759.56
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्षों के अंतर्गत	दिखाया जारं	ोगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under th	ne following	Major He	eads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	53.56	(कa)		53.56
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	6.00	(खb)		6.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	59.56			59.56

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एंटी- रेट्रो वायरल उपचार (एआरटी) औषधियों की आपूर्ति की खरीद के लिए अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए (₹ 53.51 करोड़)।
 - (ii) न्यायालय के निर्णय के अनुसार परामर्श शुल्क के भुगतान हेतु(₹ 0.05 करोड़)।3परोक्त व्यय में निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को सामान्य सहायता -अनुदान (₹ 6.00 करोड़)। उपरोक्त व्यय में निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (i) For meeting additional requirement for procurement of supply of Anti-Ratro Viral Treatment (ART) Drugs under 'National AIDS Control Programme' (₹ 53.51 crore).
 - (ii) For payment of Consultancy Fees as per the Court judgement (₹ 0.05 crore).

The above expenditure will entail a net cash outgo;

Grants-in-aid-General to North Eastern States under the 'National AIDS Control Programme' (₹ 6.00 crore).

The above expenditure will entail a net cash outgo;

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(कंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये) (See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 34 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	553.16	456.51	1009.67
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	0.01	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	5.70	•••	5.70
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		558.87	456.52	1015.39
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	नंतर्गत दिर	ष्राया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for un	nder the f	ollowing Major	Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:		5.70	5.70

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आवश्यक लेखांकन समायोजन निष्पादन करने के लिए यथा: वर्ष 2012-13 में एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमि0 (₹ 0.64 करोड़) और और वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में भारी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमि0 (₹ 5.06 करोड़) के संबंध में गारंटी शुल्क में छूट। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

carrying out necessary accounting adjustment viz. waiver of guarantee fee in respect of Andrew Yule and Company Ltd. (₹ 0.64 crore) for the period 2012-13 and Heavy Engineering Corporation Ltd. (₹ 5.06 crore) for the period 2011-12 and 2012-13. This will not entail cash outgo.

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये) (See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुप	ये Rupee	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2925.36		49.34		2974.70
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		4.25		4.26
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2925.38		53.59		2978.97
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर	ति दिखाया ज	गयेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	ted for under	the followi	ng Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:			0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	4.25	(खb)			4.25
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	4.25		0.01		4.26

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (₹ 0.01 करोड़) और अनुवाद के विस्तार प्रशिक्षण (₹ 0.02 करोड़: संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु।

अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक मांगा जाता है।

(ख) मानव अधिकार भवन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 4.29 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण और अनुदान के इसी भाग में बचतों के उपयोग के पश्चात, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद भ्गतान नहीं होगा। The supplementary grants are required for:

for meeting expenditure on Professional Services under Central Translation Bureau (₹ 0.01 crore) and Expansion Training in Translation (₹ 0.02 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting additional expenditure on Manav Adhikar Bhawan ($\stackrel{?}{\stackrel{\checkmark}}$ 4.29 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मंत्रिमंडल

CABINET

(कंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये) (See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

Demands for Grants for the	e year 201	2-2013)				
					(करोड़ रुपये R	upees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.10	•••	0.10
	स्वीकृत:		Voted:	602.69	139.08	741.77
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
· -	स्वीकृत:		Voted:	20.00	30.13	50.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount r	now			
अनुमान:		required:				
	भारित:		Charged:	0.28	•••	0.28
	स्वीकृत:		Voted:	214.01	0.01	214.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		837.08	169.22	1006.30
	भारित:		Charged:	0.38	•••	0.38
	स्वीकृत:		Voted:	836.70	169.22	1005.92
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्न	नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant/Appropriat	ion will be accounted	d for under the	e following Major He	eads:
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
म्मद्भा शीर्ष		MA IOD HEAD				

				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2013 - मंत्री परिषद	स्वीकृत:	2013 -Council of Ministers	Voted:		201.56	(कa)	201.56
2055 - पुलिस	भारित:	2055 - Police	Charged:		0.28	(खb)	0.28
	स्वीकृत:		Voted:		12.45	(गc)	12.45
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)			214.29		214.29
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:		0.01	(ਬd)	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			214.30		214.30
	भारित:		Charged:		0.28		0.28
	स्वीकृत:		Voted:		214.02		214.02
	•						

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) (i) निम्नलिखित के घरेलू यात्रा व्यय पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करना (1) मंत्रिमंडल मंत्री (₹ 1.00 करोड़), (2) राज्य मंत्री (₹ 4.13 करोड़) और (ii) प्रधान मंत्री के विदेश दौरों से संबंधित आल इंडिया के लंबित दावों का निपटान (₹ 196.43 करोड़)।

उपरोक्त खर्च में नकद व्यय होगा।

(ख) विशेष सुरक्षा (एसपीजी) के संबंध में अन्य प्रभारों के तहत खर्च पूरा करना।

The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) (i) meeting additional expenditure on Domestic Travel Expenses of (1) Cabinet Ministers (₹ 1.00 crore), (2) State Ministers (₹ 4.13 crore, and (ii) clearing pending claims of Air India pertaining to Prime Minister's foreign tours (₹ 196.43 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

(b) meeting additional expenditure under Other Charges in respect of Special Protection Group (SPG).

- अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय से कोई अतिरिक्त नकद भगतान नहीं होगा।
- अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त खर्च से कोई अतिरिक्त नकद ट्यय नहीं होगा।

विशेष स्रक्षा समूह संबंधी अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करना।

(ग)

(घ) एसपीजी की विशेष हस्तक्षेप इकाई के लिए मशीनरी व उपकरण के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 27.48 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए, टोकन अनुपूरक मांगा गया है।

- Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (c) meeting additional establishment expenditure in respect of Special Protection Group.
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - meeting additional expenditure under Machinery and Equipment
 (₹ 27.48 crore) for the Special Intervention Unit of SPG.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37-38 देखिये) (See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 37-38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

	,	,			(करोड़ रु	पये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	5.67	7.87		13.54
	स्वीकृत:		Voted:	37515.15	9333.56		46848.71
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
, •	भारित:		Charged:	8.15			8.15
	स्वीकृत:		Voted:	0.04	0.02		0.06
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	12.74	0.02		12.76
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		37541.75	9341.47		46883.22
	भारित:		Charged:	13.82	7.87		21.69
	स्वीकृत:		Voted:	37527.93	9333.60		46861.53
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जार	येगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for under	the following	g Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	_	MAJOR HEAD					
2055 - पुलिस	स्वीकृत:	2055 -Police	Voted:		12.74	(ক a)	12.74
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01	(खb) 0.01	(गc)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	12.75		12.76

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित के संबंध में व्यय (i) निम्न के वेतन पर व्यय (1) सशस्त्र सीमा बल (₹ 40.00 करोड़), (2)भारत तिब्बत सीमा पुलिस (₹ 90.00 करोड़), (3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (₹ 30.00 करोड़), (4) सीमा सुरक्षा बल (₹ 50.00 करोड़), (5) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (₹ 30.00 करोड़), (6) दिल्ली पुलिस (₹ 105.40 करोड़), (ii) निम्नलिखित के लिए राशन की लागत (1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (₹ 23.00 करोड़), (2) सीमा सुरक्षा बल (₹ 110.00 करोड़), (3) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (₹ 10.50 करोड़), (4) सशस्त्र सीमा बल (₹ 50.00 करोड़), (5) दिल्ली पुलिस (₹ 26.34 करोड़), (6) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (₹ 107.00 करोड़), (7) भारत तिब्बत सीमा पुलिस (₹ 50.00 करोड़), (iii) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए कपड़े व टेंटेज (₹ 250 करोड़) और (iv) राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के लिए गुस सेवा व्यय (₹ 0.40 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

expenditure on (i) salaries for (1) Sashastra Seema Bal (₹ 40.00 crore), (2)Indo-Tibetan Border Police (₹ 90.00 crore), (3) Central Industrial Security Force (₹ 30.00 crore), (4) Border Security Force (₹ 50.00 crore), (5) Central Reserve Police Force (₹ 30.00 crore), (6) Delhi Police (₹ 105.40 crore), (ii) Cost of Ration for (1) Central Industrial Security Force (₹ 23.00 crore), (2)Border Security Force (₹ 110.00 crore), (3) National Security Guard (₹ 10.50 crore), (4) Sashastra Seema Bal (₹ 50.00 crore), (5) Delhi Police (₹ 26.34 crore), (6)Central Reserve Police Force (₹ 107.00 crore), (7) Indo-Tibetan Border Police (₹ 50.00 crore), (iii) Clothing and Tentage for Central Reserve Police Force (₹ 25.00 crore), and (iv) Secret Service Expenditure for National Investigation Agency (₹ 0.40 crore).

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचत के उपयोग के बाद, उपरोक्त व्यय से कोई अतिरिक्त नकद भुगतान नहीं होगा।

- (ख) निम्न पर व्यय (i) निम्न हेतु कार्यालयी बिल्डिंग (1) सीमा पुरक्षा बल (₹ 6.00 (b) करोड़), (2) असम राइफल्स (₹ 2.54 करोड़) और (ii) भारत बंगलादेश सीमा निर्माण हेत् बॉर्डर आउट पोस्ट्स का निर्माण (₹ 40.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक मांगा जाता है।
- (ग) निम्न पर व्यय (i) निम्निलिखित के लिए मोटर वाहन (सामान्य) (1) सीमा (c) सुरक्षा बल (₹ 40.00 करोड़), (2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (₹ 10.00 करोड़),
 (3) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (₹ 48.85 करोड़) और (ii) प्रवासी ब्यूरो हेतु मशीनिरी व उपकरण (सामान्य) (₹ 8.69 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक मांगा जाता है। Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- expenditure towards (i) office building for (1) Border Security Force (₹ 6.00 crore), (2) Assam Rifles (₹ 2.54 crore), and (ii) construction of Border Out Posts for Indo-Bangladesh Border Works (₹ 40.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- expenditure towards (i) Motor Vehicles (General) for (1) Border Security Force (₹ 40.00 crore), (2) Central Reserve Police Force (₹ 10.00 crore), (3) National Security Guard (₹ 48.85 crore), and (ii) Machinery and Equipment (General) for Bureau of Immigration (₹ 8.69 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.03				0.03
	स्वीकृत:		Voted:	1725.53		147.72		1873.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	_	Total (Original plus Supplementary)		1725.59		147.72		1873.31
	भारित:		Charged:	0.03				0.03
	स्वीकृत:		Voted:	1725.56		147.72		1873.28
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जा	ायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted				Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत:	2245 -Relief on account of Natural	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
		Calamities						
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:			0.01	(गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.02		0.03
	=							

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के गौण कार्यों के अंतर्गत व्यय पूरा करना(₹ 0.01 करोड)।
- (ख) यूएनडीपी-जोखिम प्रबंधन परियोजना के तहत सीएएए द्वारा लिए गए ऋण को च्काने के लिए अतिरिक्त सहायता-अन्दान म्हैया कराना (₹ 10.00 करोड़)
- (ग) बोडो टेरिटोरियल परिषद सचिवालय को सहायता अनुदान प्रदान करना (c) (₹ 0.01) करोड़। अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने को देखते हुए; प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

- (a) meeting expenditure under Minor Works of National Disaster Response Force (₹ 0.01 crore).
 - providing additional grants-in-aid to clear the debits raised by CAAA under UNDP-Risk Management Project (₹ 10.00 crore).
- (c) providing grants-in-aid to Bodo Territorial Council Secretariat (₹ 0.01 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

विदयालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये) (See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

						(4/(12/ 1/	14 Mupe	ica ili Ololo)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	70559.75				70559.75
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now						
पूरक अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		70559.80				70559.80
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया ज	ायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for unde	er the followin	ng Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

 (क) 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' योजना के तहत अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए पूंजीगत परिसंपतियों के मृजन हेत् अनुदान। (₹ 197.63 करोड़)।

इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पूरक अनुदान अपेक्षित है।

- (ख) (i) विद्यार्थियों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए नवोदय विद्यालय समिति को सामान्य –सहायता- अनुदान (₹ 8.93 करोड़)।
 - (ii) वेतन के कारण अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित निकायों को वेतन-सहायता-अनुदान: (i)केन्द्रीय विद्यालय संगठन (₹ 19.33 करोड़), (ii)) नवोदय विद्यालय समिति (₹ 11.42 करोड़)।
 - इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पूरक अनुदान अपेक्षित है।
- (ग) 'विद्यालयों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक' योजना के तहत अतिरिक्त जरुरत पूरा करने के लिए सामान्य- सहायता-अनुदान (₹ 2.70 करोड़)।

इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पूरक अनुदान अपेक्षित है। The supplementary grants are required for:

- a) Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement under the scheme 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan' (₹ 197.63 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants-in-aid-General to Navodaya Vidyalaya Samiti for meeting the additional recurring expenditure on students (₹ 8.93 crore).
 - (ii) Grants-in-aid-Salaries to the following bodies for meeting the additional requirement on account of Salary: (i) Kendriya Vidyalaya Sangathan (₹ 19.33 crore). (ii) Navodaya Vidyalaya Samiti (₹ 11.42 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- c) Grants-in-aid-General for meeting the additional requirement under the scheme 'Information and Communication Technology in Schools' (₹ 2.70 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41-42 देखिये) (See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 41-42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पुंजी जोड Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 25275.00 25275.00 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: Voted: 104.03 104.03 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount now required: पूरक अनुमान: स्वीकृत: Voted: 0.05 0.05 जोड़ (मूल और पूरक) 25379.08 25379 08 Total (Original plus Supplementary) इस प्रक अन्दान का हिसाब निम्निलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना जोड आयोजना-Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2202 - सामान्य शिक्षा स्वीकृत: 0.02 2202 -General Education Voted: 0.01 (**क**a) 0.01 (खb) 2203 - तकनीकी शिक्षा स्वीकृत: 2203 -Technical Education Voted: 0.01 (गc) 0.01 (घd) 0.02 स्वीकृत: 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552 -North Eastern Areas Voted: 0.01 (**ਭ**e) 0.01 जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) 0.03 0.02 0.05 Voted:

(a)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) निम्निलिखित योजनाओं के तहत अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए सहायता-अनुदान: (i) शैक्षिक ॠण ब्याज सब्सिडी (₹ 200.00 करोड़)। (ii) इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज, शिमला (₹ 6.00 करोड़)। (iii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (₹ 10.00 करोड़)।
 - (ii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान योजना के तहत अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के मृजन हेत् अन्दान (₹ 12.22 करोड़)।
 - इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन अनुपूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) निम्नलिखित योजनाओं के तहत अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए समान्य -अनुदान: (i) विश्वविदयालय अनुदान आयोग (₹ 18.36 करोड़)। (ii) इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ एडवान्सड स्टडीज, शिमला (₹ 1.32 करोड़)। (iii) हिंदी संस्कृत मंडल, आगरा (₹ 1.86 करोड़)। (iv) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (₹ 1.51 करोड़)। (v) नेशनल बुक ट्रस्ट/इंस्टिटयूट फोर बुक प्रोमोशन (₹ 11.72 करोड़)।

- (i) Grants-in-aid-General for meeting additional requirement under the following schemes: (i) Educational Loan Interest Subsidy (₹ 200.00 crore). (ii) Indian Institute of Advanced Studies, Shimla (₹ 6.00 crore). (iii) Rashtriya Sanskrit Sansthan (₹ 10.00 crore).
 - (ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the scheme 'Rashtriya Sanskrit Sansthan' (₹ 12.22 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants-in-aid-General for meeting additional requirement under the following schemes: (i) University Grants Commission (₹ 18.36 crore). (ii) Indian Institute of Advanced Studies, Shimla (₹ 1.32 crore). (iii) Hindi Shikshan Mandal, Agra (₹ 1.86 crore). (iv) Rashtriya Sanskrit Sansthan (₹ 1.51 crore). (v) National Book Trust/ Institutes for Book Promotion (₹ 11.72 crore).

(d)

(ii) निम्निलिखित योजनाओं के तहत अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए वेतन -अनुदान: (i) विश्वविदयालय अनुदान आयोग (₹ 1.666 करोड़)। (ii) इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ एडवान्सड स्टडीज, शिमला (₹ 0.68 करोड़)। (iii) हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा (₹ 3.12 करोड़)। (iv)राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (₹ 2.39 करोड़)। (v) नेशनल बुक ट्रस्ट/इंस्टियूट फोर बुक प्रोमोशन (₹ 0.64 करोड़)।

इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पूरक अनुदान अपेक्षित है।

(ग) निम्नलिखित योजनाओं के तहत अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के मृजन हेतु अनुदानः (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 62.00 करोड़)। (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर (₹ 20.00 करोड़)। (iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (₹ 10.00 करोड़)। (iv) भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान (₹ 30.00 करोड़)। (v) नियोजन और वास्तु के लिए नए विद्यालयों की स्थापना (₹ 15.00 करोड़)। (vi) भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद (₹ 25.00 करोड़) (vii) नेशनल इंस्टट्यूट फोर फाउन्ड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची (₹ 8.00 करोड़) (viii) नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना (₹ 20.00 करोड़)।

इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन अनुपूरक अपेक्षित है।

- (घ) (i) निम्निलिखित योजनाओं के तहत अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए सामान्य-सहायता अनुदान: (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 117.59 करोड़)। (ii) नेशनल इंस्टिट्यूट फोर फाउन्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची (₹ 0.89 करोड़)। (iii) भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद (₹ 3.54 करोड़) (iv) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 41.16 करोड)।
 - (ii) निम्निलिखित योजनाओं के तहत अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए वेतन-सहायता -अनुदान: (i) नेशनल इंस्टिट्यूट फोर फाउन्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची (₹ 5.93 करोड़)। (ii) भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद (₹ 3.54 करोड़) (iii)राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 8.73 करोड़)। (iv) उत्तर- पूर्वी प्रादेशिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर (₹ 1.20 करोड़)।

इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पूरक अनुदान अपेक्षित है।

(ङ) निम्नलिखित योजनाओं के तहत अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान: (i) केन्द्रीय तकनीक संस्थान, कोकराझर (₹ 13.00 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 43.28 करोड़)। (iii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (₹ 7.26 करोड़)।

इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पूरक अनुदान अपेक्षित है। (ii) Grants-in-aid-Salaries for meeting additional requirement under the following schemes: (i) Indian Council of Social Science Research (₹ 1.66 crore). (ii) Indian Institute of Advanced Studies, Shimla (₹ 0.68 crore). (iii) Hindi Shikshan Mandal, Agra (₹ 3.12 crore). (iv) Rashtriya Sanskrit Sansthan (₹ 2.39 crore). (v) National Book Trust/ Institutes for Book Promotion (₹ 0.64 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following schemes: (i) Indian Institute of Technology (₹ 62.00 crore). (ii) Indian Institute of Information Technology at Jabalpur (₹ 20.00 crore). (iii) Indian Institute of Information Technology, Allahabad (₹ 10.00 crore). (iv) Indian Institute of Science for Education Research (₹ 30.00 crore). (v) Setting up of New Schools of Planning and Architecture (₹ 15.00 crore). (vi) Indian School of Mines, Dhanbad (₹ 25.00 crore). (vii) National Institute for Foundry and Forge Technology, Ranchi (₹ 8.00 crore). (viii) Setting up of New National Institutes of Technology (₹ 20.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grants-in-aid-General for meeting additional requirement under the following schemes: (i) Indian Institute of Technology (₹ 117.59 crore). (ii) National Institute for Foundry and Forge Technology, Ranchi (₹ 0.89 crore). (iii) Indian School of Mines, Dhanbad (₹ 3.54 crore). (iv) National Institutes of Technology (₹ 41.16 crore).
- (ii) Grants-in-aid-Salaries for meeting additional requirement under the following schemes: (i) National Institute for Foundry and Forge Technology, Ranchi (₹ 5.93 crore) (ii) Indian School of Mines, Dhanbad (₹ 3.81 crore). (iii) National Institutes of Technology (₹ 8.73 crore). (iv) North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar (₹ 1.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

of Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following schemes: (i) Central Institute of Technology, Kokrajhar (₹ 13.00 crore). (ii) National Institutes of Technology (₹ 43.28 crore). (iii) Rashtriya Sanskrit Sansthan (₹ 7.26 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

स्चना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये) (See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुप	ये Rupee	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.03			0.03
	स्वीकृत:		Voted:	2193.36	544.00		2737.36
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	4.71	0.01		4.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount nov	V				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	112.09	•••		112.09
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2310.19	544.01		2854.20
	भारित:		Charged:	0.03			0.03
	स्वीकृत:		Voted:	2310.16	544.01		2854.17
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	nted for under the	following Maj	or Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2220 - सूचना और प्रचार	स्वीकृत:	2220 -Information and Publicity	Voted:		0.01	(क a)	0.01
2221 - प्रसारण	स्वीकृत:	2221 -Broadcasting	Voted:		112.08	(खb)	112.08
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		112.09		112.09

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) बाल फिल्म सोसायटी, भारत (₹ 0.59 करोड़), भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (₹ 4.94 करोड़), सत्यजीत रे पिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (₹ 2.23 करोड़), भारतीय जन- संप्रेषण संस्थान (₹ 0.80 करोड़) और भारतीय प्रैस परिषद (₹ 0.39 करोड़) को वेतन- सहायता- अनुदान प्रदान करने के लिए ₹ 8.95 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। चूंकि इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध हैं, टोकन पूरक अपेक्षित है।
- (ख) प्रसार भारती को वेतन एवं वेतन संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त वेतन-सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त वयय को पूरा करने के लिए (₹ 187.65 करोड़)। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध ₹ 75.57 को मद्देनजर रखने के बाद, ₹ 112.08 करोड़ की शेष राशि हेतु तकनीकी अनुपूरक मांगा जाता है।

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 8.95 crore towards providing 'Grants-in-aid-Salaries' for Children's Films Society, India (₹ 0.59 crore), Film and Television Institute of India, Pune (₹ 4.94 crore), Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata (₹ 2.23 crore), Indian Institute of Mass Communications (₹ 0.80 crore) and Press Council of India (₹ 0.39 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional expenditure towards providing additional 'Grants-in-aid-Salaries' (₹ 187.65 crore) to Prasar Bharati for salary and salary related expenditure. After taking into account the savings of ₹ 75.57 crore available in the Revenue section of the grant, technical supplementary for the balance amount of ₹ 112.08 crore is sought.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये) (See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

				(करोड़ रु			पये Rupees in Crore)		
				राजस्व		पूंजी		जोड़	
				Revenue		Capital		Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	भारित:		Charged:	0.02				0.02	
	स्वीकृत:		Voted:	4634.42		8.19		4642.61	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.01		0.03	
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now							
पूरक अनुमान:		required:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4634.48		8.20		4642.68	
	भारित:		Charged:	0.02				0.02	
	स्वीकृत:		Voted:	4634.46		8.20		4642.66	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	ीर्षों के अंतर्गत	न दिखाया जार	येगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accounte	d for under t	the following	g Major He	eads:			
				आयोजना		आयोजना-		जोड़	
				Plan		भिन्न		Total	
						Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत:	2230 -Labour and Employment	Voted:			0.01	(कa)	0.01	
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(खb)			0.01	
सहायता									
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.01		0.02	

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) वेतन, पेंशन आदि सेन्ट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एज्केशन (सीबीडब्ल्यूसी) की आवश्यकताओं के लिए अनुदान सहायता (₹ 4.26 करोंड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।

(ख) बहु-कौशल विकास केन्द्र की स्थापना (₹ 9.00 करोड़) की स्कीम के अन्तर्गत अन्सूचित जातियों (₹ 1.00 करोड़) तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजनाओं के लिए विशेष घटक योजना हेतु अनुदान सहायता। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है। The supplementary grants are required for:

- (a) Grants-in-aid Salaries, Pension etc. requirements of Central Board for workers Education (CBWC) (₹ 4.26 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 10.00 crore) and Scheduled Tribe sub Plans under the scheme of 'Setting up of Multi - kill Development Centre' (₹ 9.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये) (See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	3071.86	83.80	3155.66	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3071.88	83.80	3155.68	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3 II. This Supplementary Grant will be accounted for ur	iतर्गत दिर nder the f	वाया जायेगा: ollowing Majo	r Head:		
		.,		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01		0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) लंबित एमडीए दावों की निकासी हेतु खादी योजना हेतु सामान्य-सहायता-अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (एससीएसपी हेतु ₹ 6.85 करोड़ और टीएसपी हेत् ₹ 4.12 करोड़ सहित (₹ 50 करोड़)।
- (ii) एमएसएमई-डीआई की कार्यशालाओं की मशीनरी की मरम्मत एवं रख-रखाव की प्रतिबद्ध देयता को पूरी करने के लिए प्रोमोशनल सर्विसेज इंस्टिट्यूट प्रोग्राम (एमएसएमई-डीआई) के अंतर्गत छोटे-मोटे कार्यों हेतु अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.85 करोड़)।
- (iii) एससीएसपी हेतु (₹ 11.50 करोड़) और टीएसपी हेतु (₹ 8.50 करोड़) सहित एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम और एमएसएमई ग्रोथ पोल्स के तहत सामान्य-सहायता-अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्कता (₹ 20.30 करोड़)।
- (iv) उपकरण कक्ष और तकनीकी संस्थानों की प्रतिबद्ध देयता पूरी करने के लिए एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान और एससीएसपी हेतु एमएसएमई ग्रोथ पोल्स (₹ 2.79 करोड़) और टीएसपी (₹ 5.66 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता।
- (v) एमएसएमई-डीआई के नए प्रस्तावों के निपटान के लिए एमडीए कार्यक्रम के तहत सामान्य-सहायता-अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.60 करोड़)।
- (vi) एमएसएमई डीआई के नए प्रस्तावों के निपटान के लिए एमडीए कार्यक्रम के तहत सब्सिडी हेत् अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.20 करोड़)।
- (vii) राष्ट्रीय नवाचार निधि के तहत एससीएसपी हेतु ₹ 15 करोड़ और टीएसपी हेत् ₹ 15 करोड़ का योगदान।

इसी भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पूरक अन्दान अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (i) additional requirement as Grants-in-aid General for Khadi Scheme (₹ 50 crore including ₹ 6.85 crore for SCSP and ₹ 4.12 crore for TSP) to clear the pending MDA claims.
- (ii) additional requirement for Minor work under Promotional Services Institution Programme (MSME DIs) to meet the committed liabilities towards repair and maintenance of machineries of workshops of MSME-DIs (₹ 1.85 crore).
- (iii) additional requirement for Grants-in-aid General under MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles (₹ 20.30 crore) including (₹ 11.50 crore) for SCSP and (₹ 8.50 crore) for TSP.
- (iv) additional requirement for Grants for Creation of Capital Assets under MSME Cluster Development Programme and MSME Growth Poles for (₹ 2.79 crore) for SCSP and (₹ 5.66 crore) for TSP to meet additional demand of committed liabilities of Tool Rooms & Technical Institutions.
- (v) additional requirement for Grants-in-aid General under MDA Programme (₹ 0.60 crore) to clear fresh proposals of MSME DIs
- (vi) additional requirement for subsidies under MDA Programme (₹ 0.20 crore) to clear fresh proposals of MSME DIs.
- (vii) Contribution under National Innovation Fund for ₹ 15 crore for SCSP and ₹ 15 crore for TSP.

Taking into account the saving available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये) (See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 48 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

	·					(करोड़ रुपये Rupees i		
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.10				0.10
	स्वीकृत:		Voted:	628.76		69.58		698.34
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		79.46		79.47
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now						
पूरक अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	31.08		0.01		31.09
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		659.95		149.05		809.00
	भारित:		Charged:	0.10				0.10
	स्वीकृत:		Voted:	659.85		149.05		808.90
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्षों के अंतर्गत दि	खाया जायेग	Π:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under the	following N	/lajor He	ads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	0	MAJOR HEAD						
2853 - अलौह खनन और	स्वीकृत:	2853 -Non-Ferrous Mining and Metallurgical	Voted:			31.08	(कa)	31.08
धातुकर्म उद्योग		Industries						
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष	_	MAJOR HEAD						
4853 - अलौह खनन और	स्वीकृत:	4853 - Capital Outlay on Non-Ferrous Mining	Voted:	0.01	(खb)			0.01
धातुकर्म उद्योगों पर पूंजी परिव्यय		and Metallurgical Industries						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		31.08		31.09

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (i)भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (₹ 23.61 करोड़) और भारतीय खान ब्यूरो (₹ 2.72 करोड़) को वेतन (ii) राष्ट्रीय चहान यांत्रिकी संस्थान (₹ 4 करोड़), राष्ट्रीय खनक स्वास्थ्य संस्थान (₹ 0.20 करोड़) और जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान डिजाइन एवं विकास केन्द्र (₹ 0.55 करोड़) हेतु वेतन-सहायता-अनुदान। पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के (₹ 3.15 करोड़ मद्देनजर , निवल नकद व्यय ₹ 27.93 करोड़ होगा।
- (ख) राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण हेतु मशीनरी एवं उपकरण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 10.13 करोड़)। इसी भाग में बचत के उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) additional requirement for (i)salaries for Geological Survey of India (₹ 23.61 crore) and Indian Bureau of Mines (₹ 2.72 crore); and (ii) Grants-in-aid Salaries for National Institute of Rock Mechanics (₹ 4 crore), National Institute of Miners Health (₹ 0.20 crore) and Jawahar Lal Nehru Aluminium Research Design and Development Centre (₹ 0.55 crore). Taking into account the savings available in the Capital Section (₹ 3.15 crore), the net cash outgo will be ₹ 27.93 crore.
 - additional requirement towards machinery and equipment for Geological Survey of India (₹ 10.13 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

\ 1 G		•	,				
						(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	5350.74			5350.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5350.76			5350.76
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी [,]	र्षों के अंतर्गत	ा दिखाया जार	गेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under t	he following	Major H	leads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2515 - अन्य ग्रामीण विकास	स्वीकृत:	2515 -Other Rural Development Programmes	Voted:	0.01	(कa)		0.01
कार्यक्रम							
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) यूएन समर्थित परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयता के लिए अतिरिक्त जरुरतें(₹ 4 करोड़)।
- (ख) बीआरजीएफ योजना की जन-जातीय उप-योजना के तहत जारी किए जाने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के तौर पर अतिरिक्त जरुरत (₹ 350 करोड़)।
 - इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) additional requirement (₹ 4 crore) towards committed liabilities of UN Assisted Projects.
- b) additional requirement (₹ 350 crore) as Grants for Creation of Capital Assets to be released under Scheduled Tribe Sub-Plan of BRGF Scheme

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

संसदीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)

(See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Revenue Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 11.72 11.72 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.43 0.43 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 12.15 12.15 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं स्वीकृत: 2052 - Secretariat-General Services Voted: 0.43 0.43

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

मंत्रालय में महंगाई भत्ते के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने,खाली पदों को भरने और मंत्रालय में कर्मचारियों/पेशनरों के वेतन में परिवर्ती परिवर्तन के कारण बकाया के भुगतान को पूरा करने के लिए।

उपरोक्त व्यय में निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure requirements towards payment of dearness allowance, filling of the vacant posts in the Ministry and payment of arrears due to retrospective revision of salary of employees/Pensioner of the Ministry

The above expenditure will entail cash outgo;

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये) (See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	18.85	5.00	23.85
	स्वीकृत:		Voted:	758.15	112.67	870.82
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:		Charged:	1.87		1.87
	स्वीकृत:		Voted:	30.00		30.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	भारित:		Charged:	0.50		0.50
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		809.37	117.67	927.04
	भारित:		Charged:	21.22	5.00	26.22
	स्वीकृत:		Voted:	788.15	112.67	900.82
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य श	ीर्ष के अंतर्गत दिख	ग्राया जायेगा:		
		II. This Supplementary Appropriation will be acc	counted for unde	er the following	g Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	भारित:	2070 - Other Administrative Services	Charged:		0.50	0.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सूचना तकनीक के तहत अतिरिक्त व्यय (₹ 0.10 करोड़) और केंद्रीय सतर्कता आयोग के कायार्लयी व्यय (₹ 0.40 करोड़) पूरा करने हेत्।

अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपरोक्त खर्च से कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure under Information Technology (\mathfrak{T} 0.10 crore) and Office Expenses of Central Vigilance Commission (\mathfrak{T} 0.40 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये) (See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 51 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Capital Revenue Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: 43758.85 स्वीकृत: Voted: 1.00 43759.85 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: Voted: 28500.00 28500.00 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount अनुमान: now required: 24773.77 स्वीकृत: Voted: 480.50 25254.27 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 97032.62 481.50 97514.12 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना-जोद आयोजना Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2802 - पेट्रोलियम स्वीकृत: 24773.75 2802 -Petroleum Voted: 24773.75 (कa) 3601 - राज्य सरकारों को सहायता स्वीकृत: 3601 - Grants-in-aid to State Governments Voted: 0.01 (खb) 0.01 3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को (गc) स्वीकृत: 3602 - Grants-in-aid to Union Territory Voted: 0.01 0.01 सहायता अन्दान Governments जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 24773.77 स्वीकृत: Voted: 24773.77 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4802 - पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय स्वीकृत: (ਬd) 4802 - Capital Outlay on Petroleum Voted: 480.50 480.50 जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 25254.27 25254.27

(a)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु तेल विपणन कंपनियों को सब्सिडी उपलब्ध कराना अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है। (₹ 122.87 करोड़)।
 - (ii) पेट्रोलियम उत्पदों की बिक्री के कारण तेल विपणन कंपनियों से अनुमानित कम वस्लू की क्षातिपूर्ति करना (₹ 25000 करोड़)। अनुदान का उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, निवल नकद व्यय ₹ 24773.75 करोड़ होगा।
- (ख) पीडीएस केरोसेन लाभार्थियों को सीधे सब्सिडी अंतरण हेतु संस्थागत तंत्र बनाने के लिए राज्य सरकारों को (₹ 90 करोड़) सहायता उपलब्ध कराना। चूंकि व्यय को अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा, अतएव सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (i) providing subsidy to Oil Marketing Companies for supply of Natural Gas to North Eastern Region (₹ 122.87 crore)
 - (ii) providing compensation towards estimated underrecoveries to Oil Marketing Companies on account of sale of petroleum products (₹ 25000 crore). Taking into account the savings available within the same Section of the Grant, the net cash outgo would be ₹ 24773.75 crore.
- providing assistance to State Governments (₹ 90 crore) for establishment of institutional mechanism for direct transfer to subsidy for PDS Kerosene beneficiaries. Since expenditure will be met from savings available in same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) पीडीएस केरोसेन लाभार्थियों के लिए सीधे नकद सब्सिडी अंतिरत करने हेतु संस्थागत तंत्र बनाने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों (₹ 20 करोड़) को सहायता उपलब्ध कराना। चूंकि व्यय को अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा, अतएव सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।
- (घ) (i) आयल इण्डिया लि. (ओआईएल) द्वारा जारी बोनस शेयर के रूप में (d) अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹ 282.90 करोड़)।
 - (ii) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बीपीसीएल) आयल इण्डिया लि. जारी बोनस शेयर के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹ 198.60 करोड़)। उपर्युक्त व्यय को पूंजीगत प्राप्तियों और अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 1 करोड़) से पूरा किया जाएगा और कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- providing assistance to Union Territories (₹ 20 crore) for establishment of institutional mechanism for direct transfer to subsidy in cash for PDS Kerosene beneficiaries. Since expenditure will be met from savings available in same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) additional equity investment in the form of Bonus Share issued by Oil India Limited (OIL) (₹ 282.90 crore).
- (ii) additional equity investment in the form of Bonus Share issued by Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) (₹ 198.60 crore). The above expenditure will be matched by capital receipts and savings available (₹ 1 crore) in the same Section of the Grant shall not entail cash outgo.

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

ਸ਼ਰੀਨਰ

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

I. ORIGINAL GRANT:

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

जोड़

पुंजी

	स्वाकृत:		votea:	10859.19	44.	32.41		15291.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	90.21	10	31.81		1122.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		10949.40	54	464.22		16413.62
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ख्य शीर्षों के अ	ांतर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for un	der the follov	ving Major Head	ds:		
				आयोजना	आयो	जना-		जोड़
				Plan)	न्न		Total
					Non-	-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2801 - वियुत	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:		!	90.21	(कa)	90.21
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी	स्वीकृत:	4552 - Capital Outlay on North Eastern	Voted:	0.01	(खb)			0.01
परिव्यय		Areas						
7602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	स्वीकृत:	7602 - Loans and Advances to Union	Voted:		10	31.80	(गc)	1031.80
को ऋण और अग्रिम		Territory Governments						
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.01	10	31.80		1031.81
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	11	122.01		1122.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

I. मूल अनुदान:

- पूर्वोत्तर विद्युत कार्पोरेशन लिमि. (एनईईपीसीओ) द्वारा (₹ 90.21 करोड़) देय ब्याज और शास्ति ब्याज की छूट हेत् आवश्यक लेखांकन समायोजन करना। इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्तियों से की जाएगी, अतः कोई नकद भुगतान नहीं होगा।
- पूर्वोत्तर विद्युत कार्पोरेशन लिमि. (एनईईपीसीओ) की दोयांग हाइड्रो पावर (ख) परियोजना के संबंध में ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण गतावधि लेखांकन समायोजन (पीपीए) का निष्पादन करना (₹ 195.78 करोड़)। चूंकि इस व्यय की पूर्ति पूंजीगत प्राप्तियों से की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद भुगतान नहीं होगा।
- पूर्व दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम (डेसू) की देयराशियों के व्यवस्थापन हेत् (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को गैर-आयोजना ऋण प्रदान करना (₹ 3326.39 करोड़)। अन्दान के इसी भाग में बचत उपलब्ध होने (₹ 2294.59 करोड़) और अनुदान के राजस्व भाग में बचत (₹ 1031.80 करोड़) के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते ह्ए, इससे कोई अतिरिक्त नकद भुगतान नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

राजस्व

Revenue

10850 10

Voted:

- carrying out necessary accounting adjustment for waiver of interest and penal interest amounting to ₹ 90.21 crore payable by North Eastern Electric Power Corporation Ltd. (NEEPCO). This will be matched by receipts, hence it will not entail cash outgo.
- carrying out past period accounting adjustment (PPA) on account of conversion of loan into equity in respect of Doyang Hydro Electric Power Project of North Eastern Electric Corporation Ltd. (NEEPCO) (₹ 195.78 crore). Since this expenditure will be matched by capital receipts, there will be no cash outgo.
- providing loan to Government of NCT of Delhi for settlement of the erstwhile Delhi Electric Supply Undertaking dues (₹ 3326.39 crore). Taking into account the savings available (₹ 2294.59 crore) in the same section of the Grant and surrender of savings (₹ 1031.80 crore) in the Revenue Section of the Grant, there will be no additional cash outgo.

लोक सभा

LOK SABHA

(कंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये) (See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: भारित: Charged: 0.87 0.87 स्वीकृत: Voted: 434.13 434.13 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: स्वीकृत: Voted: 38.40 38.40 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 6.00 6.00 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 479.40 479.40 भारित: 0.87 Charged: 0.87 स्वीकृत: Voted: 478.53 478.53 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना जोड आयोजना-Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2011 -Parliament/State/Union Territory 2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के 6.00 6.00 स्वीकृत: Voted: विधान मंडल Legislatures

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: सांसदों की यात्रा के लिए रेल मंत्रालय द्वारा किए गए डेबिट दावे के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा। The supplementary grant is required for:

meeting the additional expenditure requirement on account of debit claim raised by Ministry of Railways for travel of Members of Parliament.

The above expenditure will entail cash outgo.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(कंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये) (See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये R	Rupees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:		7.50	7.50	
	स्वीकृत:		Voted:	22495.36	24643.49	47138.85	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	भारित:		Charged:		23.00	23.00	
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now					
पूरक अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		22495.36	24674.00	47169.36	
	भारित:		Charged:		30.50	30.50	
	स्वीकृत:		Voted:	22495.36	24643.50	47138.86	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	र्न के अंतर्गत दिखा	या जायेगाः			
		II. This Supplementary Grant will be accounted to	for under the fo	llowing Major H	ead:		
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
				Plan	Non-Plan	Total	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	0.01		0.01	
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में समायोजित किया जाता है!	नीचे दर्शाई गयी वर	मूलियों को शामिल न	हीं किया गया है जिन्हें व्यय	में से घटाकर	
		Note: The above estimates of additional requirements of in reduction of expenditure.	do not take into a	ccount the recove	ries shown below, which	n are adjusted	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय		5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges		(-) 63.70		(-) 63.70	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए ₹ 3719.68 करोड़ का अतिरिक्त व्यय। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बराबर बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। अतिरिक्त खर्च, केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant is required for:

additional expenditure of ₹ 3719.68 crore towards construction of National Highways. As equivalent savings are available within same section of the grant, a token supplementary is sought. The additional expenditure will be met from Central Road Fund. There will be no net cash outgo.

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

(-) 110.65

					(1.11)	apoco III (1010)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
, 3	स्वीकृत:		Voted:	14005.24		14005.24
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now				
पूरक अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		14005.25		14005.25
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्ष के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under the	following Major	Head:	
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत:	2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01		0.01
			नें नीचे दर्शाई गयी	वसूलियों को शामिल	नहीं किया गया है जिन्हें ट्य	य में से घटाकर
		समायोजित किया जाता है !				
		Note: The above estimates of additional requirements	do not take into	account the reco	veries shown below, whi	ch are adjusted
		in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

2215 - जलापूर्ति और

स्वच्छता

 देश के आईएपी जिलों में 10,000 ग्रामीण आवासीय स्थानों में सौर ऊर्जा आधारित डय्अल पाइप जल आपूर्ति योजना का संस्थापन राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से पूरा किया जाएगा। (₹ 110.65 करोड़);
 और

2215 - Water Supply and Sanitation

(ii) कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय जल गुणवत्ता केन्द्र की स्थापना (₹ 0.10 करोड़)। इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, सांकेतिक अन्पूरक मांग अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

 installation of Solar Energy based Dual pump piped water supply schemes in 10,000 rural habitation in IAP districts of the country to be met from National Clean Energy Fund (NCEF) (₹ 110.65 crore); and

(-) 110.65

- (ii) establishment of an International Centre for Water Quality at Kolkata, West Bengal(₹ 0.10 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये) (See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

				(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत:	Voted:	2842.87	39.97	2882.84
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now			
अनुमान:		required:			
	स्वीकृत:	Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2842.91	39.97	2882.88
	भारित:	Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत:	Voted:	2842.89	39.97	2882.86
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिर	वाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	following Major	r Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) "अनुसंधान और विकास सहायता" के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 50 करोड़) और (ख) स्वायत संस्थान और व्यावसायिक निकाय योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹ 8.25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is required for:

meeting expenditure towards (a) Grants for creation of capital assets (₹ 50 crore) under the scheme "R&D Support" and (b) Grants-in-aid Salaries (₹ 8.25 crore) under the scheme "Autonomous Institutions and Professional Bodies". Taking into account the savings within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड रुपये Rupees in Crore)

					,	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1500.39		1500.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1500.40		1500.40
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य श	ोर्ष के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under the	following Majo	or Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	***	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान (i) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च (5.20 करोइ रुपए), (ii) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (13.50 करोइ रुपए), (iii) बायोटेक फैसिलिटीज (12 करोइ रुपए), (iv) इंटरनेशनल कोऑपरेशन फैसिलिटीज एक्टिविटीज (5 करोइ रुपए), (v) सेटर्स ऑफ एक्सेलेंस एंड इनोवेशन (3 करोइ रुपए) और (ख) निम्नलिखित को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) यूनेस्को रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (3 करोइ रुपए, (ii)नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बोयोटेक्नोलोजी (2 करोइ रुपए), (ii) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायोमेडिकल जीनोमिक्स (8 करोइ रुपए), (iv) ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस इंड टेक्नोलॉजी संस्थान (4.80 करोइ रुपए)(v) इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल रिसर्च एंड रीजेनेरेटिव मेडिसीन, बेंगलुरु (6.77 करोइ रुपए) संबंधी व्यय की पूर्ति। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure towards (a) Grants-in-aid General to (i) National Institute for Plant Genome Research (₹ 5.20 crore), (ii) Biotechnology Industry Research Assistance Council (₹ 13.50 crore), (iii) Biotech Facilities (₹ 12 crore), (iv) International Cooperation activities (₹ 5 crore), (v) Centres of Excellence and Innovation (₹ 3 crore); and (b) Grants for creation of Capital Assets to (i) UNESCO Regional Centre for Education and Training (₹ 3 crore), (ii) National Institute of Animal Biotechnology (₹ 2 crore), (iii) Naional Institute of Biomedical Genomics (₹ 8 crore), (iv) Translational Health Science and Technology Institute (₹ 4.80 crore), (v) Institute for Stem Cell Research and Regenrative Medicine, Bengaluru (₹ 6.77 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये) (See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total ।. मूल अन्दान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 1403.41 573.08 1976.49 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अनुमान: now required: स्वीकृत: Voted: 0.03 10.01 10.04 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1403.45 583.09 1986.54 II. इस प्रक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड Plan भिन्न Total Non-Plan REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 3451 - सचिवालय- आर्थिक 3451 - Secretariat-Economic Services स्वीकृत: Voted: 0.01 (कa) 0.01 सेवाएं 3051 - पत्तन और प्रकाश स्तम्भ 3051 -Ports and Light Houses Voted: 0.01 (खb) 0.01 स्वीकृत: 3052 - नौवहन स्वीकृत: 3052 - Shipping Voted: 0.01 (गc) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) स्वीकृत: Total (Revenue Section) Voted: 0.03 0.03 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** स्वीकृत: 5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों 5051 - Capital Outlay on Ports and Light (ঘd) 10.00 Voted: 10.00 पर पूंजी परिव्यय Houses 6858 - अभियात्रिक उद्योगों के 6858 - Loans for Engineering Industries स्वीकृत: 0.01 Voted: (ङe) 0.01 लिए ऋण जोड़ (पूंजी भाग) **Total (Capital Section)** Voted: 10.00 0.01 10.01 स्वीकृत: जोड़ (पूरक) 10.00 0.04 10.04 स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** 5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों 5051 - Capital Outlay on Ports and Light (-) 10.00(-) 10.00पर पूंजी परिव्यय Houses

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) सोमालियाई समुद्री लुटेरों द्वारा बंधक बनाकर रखे गए लोगों के परिवारों
 को अनुग्रही राशी के भुगतान (₹ 0.625 करोड)राहत प्रदान करने हेत्

meeting expenditure of other charges for providing relief to the families of seafarers held as hostages by Somalian

(i)

(ii)

(iii)

अन्य प्रभार पर व्यय को पूरा करने के लिए घाटा इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, टोकन पूरक अपेक्षित है।

- (ख) डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइटहाउसेस एंड लाइटिशप द्वारा इस वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्राप्तियों में से सामान्य रिजर्व फंड के अतिरिक्त हस्तांतरण को पूरा करने हेतु (₹ 8.01 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, टोकन पूरक अपेक्षित है।
- (ग) भारतीय मैरी टाइम विश्वविद्यालय को अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान (c
 देने हेतु (₹ 1.00 करोड़)अनुभाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, टोकन प्रक अपेक्षित है।
- (घ) (i) केपिटल ट्रेडिंग परियोजना के प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय को पुरा करने के लिए (₹ 24.50 करोड़)
 - (ii) जहाजो की खरीद एवं बदली हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत् (प्रमुख कार्य सं. ₹ 15-30 करोड़)
 - (iii) लाइटहाउसेस और लाइटशिप महानिदेशालय द्वारा ई-गवर्ननेंस के तहत अन्त प्रभारों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.25 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में ₹ 30.05 करोड़ की उपलब्ध बचत और सामान्य रिजर्व फंड, से वसूली द्वारा ₹ 10.00 करोड़ तक के व्यय के मद्देनजर, इस पूरक पर नकद भगतान नहीं होगा।

(ङ) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड को सांविधिक देयता के (e) निर्वहन हेतु अतिरिक्त लोन (1.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध होने को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

pirates by payment of ex-gratia (₹ 0.625 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional transfer to the General Reserve Fund by Directorate General of Lighthouses and Lightships against the additional receipt during the year (₹ 8.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional Grants-in-aid-Salaries to the Indian Maritime University (₹ 1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional expenditure on Major Works of Capital Dredging Project (₹ 24.50 crore).

meeting additional expenditure for purchase and replacement of vessels (Major Works- ₹ 15.30 crore).

meeting additional expenditure of Other Charges under E-Governance by Directorate General of Lighthouses and Lightships (₹ 0.25 crore).

After taking into account the savings of ₹ 30.05 crore available in the same section of the Grant and the expenditure of ₹ 10.00 crore matched by recoveries from General Reserve Fund, the supplementary will not entail any cash outgo.

additional loan to Hoogly Dock and Port Engineers Ltd. for discharging statutory liabilities (₹ 1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये) (See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुपये Rup		ees in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़	
				Revenue		Capital		Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	5708.30		300.00		6008.30	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now							
अनुमान:		required:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5708.33		300.00		6008.33	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य ६	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया र	जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for unde	er the follow	ing Majo	or Heads:			
				आयोजना		आयोजना-		जोड़	
				Plan		भिन्न		Total	
						Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01	(कa)			0.01	
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward Classes							
अल्पसंख़्यकों का कल्याण		and Minorities							
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:			0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.01		0.02	

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) अनुसूचित जातियों के लिए पूर्व-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में चंडीगढ संघशासित प्रदेश को सामान्य सहायता हेतु अनुदान जारी करना (₹ 0.27 करोड़)। चूंकि इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध हैं, टोकन अनुपूरक अपेक्षित है।
- (ख) राष्ट्रीय विकलांग संस्थान को वेतन देयता (₹ 2.65 करोड़) पूरी करने के लिए वेतन के लिए अनुदान सहायता जारी करना। चूंकि इसी अनुदान भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक अन्पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) releasing grants for creation of capital assets to Union Territory of Chandigarh in the Scheme of Pre Matric Scholarship for Scheduled Castes (₹ 0.27 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- b) releasing Grants-in-aid for Salaries to the National Institutes for Disabled for meeting out salaries liabilities (₹ 2.65 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये) (See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

				(करोड़ रुपये Rup	इ रुपये Rupees in Crore)	
			राजस्व	पूंजी	जोड़	
			Revenue	Capital	Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.50	0.40	0.90	
	स्वीकृत:	Voted:	3575.93	3138.21	6714.14	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	•••	0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01		0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	3576.44	3138.62	6715.06	
	भारित:	Charged:	0.50	0.40	0.90	
	स्वीकृत:	Voted:	3575.94	3138.22	6714.16	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिर	व्राया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	ollowing Major	· Head:		
			आयोजना	आयोजना-	जोड़	
			Plan	भिन्न	Total	
				Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3402 - अंतरिक्ष अनुसंधान	स्वीकृत:	3402 -Space Research Voted:		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

डीआरएस/इसरो केन्द्रों/इकाईयों के कार्मिकों के बीमा कवरेज हेतु प्रीमियम के भुगतान के लिए विक्रम ए. साराभाई ट्रस्ट (बीएएसटी) के तहत सामान्य-सहायता-अनुदान ((₹ 0.70 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। बचत के अनुदान के समान भाग में होने के मद्देनजर सांकेतिक अनुपूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure of Grants-in-aid General (₹ 0.70 crore) under Vikram A. Sarabhai Trust (VAST) scheme towards payment of premium for insurance coverage to the employees of DOS/ISRO Centres/Units. Taking into account savings within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(कंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये) (See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
					राजस्व	पूंजी	जोड़
					Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:			Voted:	4926.34	17.20	4943.54
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRAN	T-				
, , , organi	⊤नीक-⊒∙	OOT / LEMENT / TOTAL	••	Voted:	0.01		0.01
	स्वीकृत:	0 1 1 5" 1 6		voteu.	0.01	•••	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of	the amount now				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:			Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	tary)		4926.36	17.20	4943.56
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब	निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grai	-			r Head:	
					आयोजना	आयोजना-	जोड़
					Plan	भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3 3454 - जनगणना सर्वेक्षण और	स्वीकृत:	3454 -Census Surveys and	Statistics	Voted:		0.01	0.01
सांख्यिकी	रपामृता.	0404 -Ochsus Ourveys and	Otatistics	voica.		0.01	0.01
साख्यका							
	_ "						
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपी			The supplementary	grant is req	uired for:		
भारतीय सांकेतिकी संस्थान, कोलकाता वे	न् वेतन सहाय	ता अनुदान (₹ 10.13 करोड़).	Grants-in-aid 'Salar	ries' require	ment of Indian	Statistical Institu	te, Kolkata
			(₹ 10.13 crore).				
अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध	होने को देख	ते हुए, सांकेतिक अन्पूरक मांगा	Taking into account	the savings	available in th	e same section o	f the Grant,
गया है।		3 3"	a token supplement	tarv is souah	nt.		
•			a tanan sappionion	, ooug.			

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये) (See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	7775.63		60.78		7836.41
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		3.00		3.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		63.33		63.37
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		7775.70		127.11		7902.81
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर	ति दिखाया ज	ायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for under	the following	ng Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01	(गc)			0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(ਬd)			0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.03		0.01		0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए	स्वीकृत:	6860 - Loans for Consumer Industries	Voted:			63.33	(ङ e)	63.33
ऋण	-							
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		63.34		63.37
	-							

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) डिजाइन तथा तकनीकी विकास स्कीम के लिए सामान्य अनुदान सहायता के रूप में (3.00 करोइ रुपए) की अतिरिक्त सहायता, बाजार सहायता एवं सेवाओं के लिए सामान्य अनुदान सहायता के रूप में (₹ 4.00 करोइ), मानव संसाधन विकास के लिए सामान्य अनुदान सहायता के रूप में (₹ 1.50 करोइ), ऊन विकास बोर्ड के अन्तर्गत प्रतिबद्ध देनदारी के लिए सामान्य अनुदान सहायता के रूप में (₹ 2.00 करोइ), पूर्वींतर में एग्रोटेक्सटाइल के प्रोत्साहन हेतु पूंजीगत परिसम्पितियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में (₹ 0.46 करोइ) तथा अनुदान सहायता के रूप में (₹ 0.32 करोइ)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ख) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के लिए वेतन सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 29.02 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- (a) additional requirement as Grants-in-aid General towards Design and Technical Development Scheme (₹ 3.00 crore), Grants-in-aid General towards Market Support and Services (₹ 4.00 crore), Grants-in-aid General towards Human Resources Development (₹ 1.50 crore), Grants-in-aid General towards committed liability under Wool Development Board (₹ 2.00 crore), Grants-in-aid General (₹ 0.32 crore) and Grant for Creation of Capital Assets (₹ 0.46 crore) for Promotion of Agrotextiles in North East . Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- b) additional requirement (₹ 29.02 crore) as Grant-in-aid Salaries towards Central Silk Board. As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) जूट सिंहत तकनीकी टेक्सटाइल के लिए (₹ 6.81 करोड़) की अतिरिक्त सहायता:(i) परिसंपितयों के मृजन के लिए अनुदान (₹ 63.41 करोड़), (ii) अनुसूचित जाति उप-योजना (₹ 0.30 करोड़) तथा (iii) आदिवासी क्षेत्र उप-योजना (₹ 0.10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (घ) एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम के लिए सामान्य अनुदान सहायता के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 27.25 करोइ)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ङ) कंपनी की अधिशेष श्रम शिंक के लिए वीआरएस को शुरु करने हेतु ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि. को गैर-योजना ऋण के रूप में अतिरिक्त सहायता (₹ 17.10 करोड) तथा कंपनी की अनुमोदित पुरुद्धार योजना के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को ब्याज देनदारी की पुनर्अदायगी (₹ 11.50 करोड़); सीसीईए द्वारा अनुमोदित नकद हानियों के लिए गैर-योजना ऋण (₹ 34.73 करोड़) के रूप में नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन हेतु अतिरिक्त सहायता। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है।
- additional requirement (₹ 6.81 crore) towards Technical Textile including Jute (i) Grant for creation of assets (₹ 6.41 crore, (ii) Scheduled caste Sub-Plan (₹ 0.30 crore) and (iii) Tribal area Sub-Plan (₹ 0.10 crore). As savings are available within same section of the Grant, token supplementary is sought.
- (d) additional requirement (₹ 27.25 crore) as Grant-in-aid General towards Integrated Handloom Development Scheme. As savings are available within the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) additional requirement as Non-plan loan to British India Corporation Ltd. for introduction of VRS for surplus workforce of the company (₹ 17.10 crore) and repayment of interest liability to State Bank of India (₹ 11.50 crore) as per approved revival plan of the company; and additional requirement for National Jute Manufacturing Corporation as Non-plan loan (₹ 34.73 crore) towards cash losses as approved by CCEA. As saving are available in the Revenue Section of the grant, a technical supplementary is sought.

जनजाति कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(occ page oc c. a.e zemanacie.	0.0		• ,			
					(करोड़ रुपये Rup	nees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	3627.80		3627.80
	स्वीकृत:		Voted:	410.20	70.00	480.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now				
· · ·		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4038.01	70.00	4108.01
	भारित:		Charged:	3627.80		3627.80
	स्वीकृत:		Voted:	410.21	70.00	480.21
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी ^ण	र्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under the	e following Ma	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01	•••	0.01
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward Classes				
अल्पसंख़्यकों का कल्याण		and Minorities				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"जनजातीय उत्पादों/उपज का विपणन विकास" योजना के तहत ट्राॅंड्फेड (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड) को जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यकलाप का उत्तरदायित्व लेने (₹ 10.24 करोड़) और स्थायी आधार पर अपने कॉरपोरेट कार्यालय की स्थापना हेतु आफिस स्पेस की खरीद हेतु (₹ 15.00 करोरड़)। ₹ 25.24 करोड़ का सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक माँगा गया है।

The supplementary grant is required for:

providing Grant-in-Aid-General of ₹ 25.24 crore under the scheme "Market Development of Tribal Products/ Produce" to enable TRIFED (Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited) to undertake activities for the welfare of tribals (₹ 10.24 crore) and for purchase of office space to set up its corporate office on permanent basis (₹ 15.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96-102 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये) (See page 96-102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 63 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.01		•••	0.01
	स्वीकृत:		Voted:	2352.91		739.25	3092.16
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	76.72			76.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2429.66		739.25	3168.91
	भारित:		Charged:	0.01			0.01
	स्वीकृत:		Voted:	2429.65		739.25	3168.90
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष	i के अंतर्गत f	देखाया जायेग	π:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	or under the	following N	Лаjor Неа	ads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways					
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:	0.01	(कa)		0.01
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development					
2515 - अन्य ग्रामीण विकास	स्वीकृत:	2515 -Other Rural Development Programmes	Voted:	0.01	(खb)		0.01
कार्यक्रम	-						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02
	-						

ये पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित हैं:

- (क) जिला परिषद का पिछला शेष कार्य/लंबित बिल संबंधी व्यय की पूर्ति(₹ 2.29 करोड़)।
- (ख) जिला परिषद के सामान्य सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 0.23 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित हैं।

The supplementary grants are required for:

-) meeting the expenditure on clearing backlog/ pending bills of Zilla Parishad (₹ 2.29 crore)
- (b) meeting the additional expenditure under Grants-in-aid-General of Zilla Parishad (₹ 0.23 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103-108 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64-65 देखिये) (See page 103-108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 64-65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:	a, ,				
	भारित:		Charged:	18.85	0.25		19.10
יייב יייביביי	स्वीकृत:	SUPPLEMENTARY GRANT:	Voted:	2486.57	410.34		2896.91
पूरक अनुदान:	स्वीकृत:	SUPPLEMENTART GRANT.	Voted:	0.03	0.06		0.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	रपानृता.	Supplementary Estimate of the amount now		0.00	0.00		0.00
अनुमान:		required:	•				
3	भारित:	•	Charged:	2.57			2.57
	स्वीकृत:		Voted:	289.52	0.01		289.53
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		2797.54	410.66		3208.20
	भारित:		Charged:	21.42	0.25		21.67
	स्वीकृत:		Voted:	2776.12	410.41		3186.53
		II. इस प्रक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलि					
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	will be accounte	d for under the आयोजना	e following Majo आयोजना-	r Heads	: जोड़
				जायाजना Plan	आयाजना- भिन्न		जाड़ Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs					
2014 - न्याय प्रशासन	भारित:	2014 - Administration of Justice	Charged:		0.27	(कa)	0.27
	स्वीकृत:		Voted:		101.25	(खb)	101.25
2055 - पुलिस	स्वीकृत:	2055 -Police	Voted:		40.00	(गc)	40.00
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	 -					()	10.00
~	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:	•••	1.00	(घd)	1.00
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वाकृत.	2070 -Other Administrative Services Department of School Education and Literacy			1.00	, ,	
·	स्वीकृतः				1.00 0.50	, ,	
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	-	Department of School Education and Literacy	Voted:			(ਬd)	1.00
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग 2202 - सामान्य शिक्षा	-	Department of School Education and Literacy 2202 -General Education	Voted:			(ਬd)	1.00
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग 2202 - सामान्य शिक्षा उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत:	Department of School Education and Literacy 2202 -General Education Department of Higher Education	Voted:		0.50	(घd) (गc)	1.00 0.50
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग 2202 - सामान्य शिक्षा उच्चतर शिक्षा विभाग 2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	Department of School Education and Literacy 2202 -General Education Department of Higher Education 2202 -General Education	Voted:		0.50	(घd) (गc)	1.00 0.50
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग 2202 - सामान्य शिक्षा उच्चतर शिक्षा विभाग 2202 - सामान्य शिक्षा विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत: स्वीकृत:	Department of School Education and Literacy 2202 -General Education Department of Higher Education 2202 -General Education Ministry of Power	Voted: Voted:		0.50 3.29	(된d) (गc) (गc)	1.00 0.50 3.29
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग 2202 - सामान्य शिक्षा उच्चतर शिक्षा विभाग 2202 - सामान्य शिक्षा विद्युत मंत्रालय 2801 - विद्युत	स्वीकृत: स्वीकृत:	Department of School Education and Literacy 2202 -General Education Department of Higher Education 2202 -General Education Ministry of Power 2801 -Power	Voted: Voted:		0.50 3.29	(된d) (गc) (गc)	1.00 0.50 3.29
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग 2202 - सामान्य शिक्षा उच्चतर शिक्षा विभाग 2202 - सामान्य शिक्षा विद्युत मंत्रालय 2801 - विद्युत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृतः स्वीकृतः स्वीकृतः	Department of School Education and Literacy 2202 -General Education Department of Higher Education 2202 -General Education Ministry of Power 2801 -Power Ministry of Road Transport and Highways	Voted: Voted: Voted:		0.50 3.29 109.84	(ਬਰ) (गc) (गc) (ਤe)	1.00 0.50 3.29 109.84
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग 2202 - सामान्य शिक्षा उच्चतर शिक्षा विभाग 2202 - सामान्य शिक्षा विद्युत मंत्रालय 2801 - विद्युत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृतः स्वीकृतः स्वीकृतः	Department of School Education and Literacy 2202 -General Education Department of Higher Education 2202 -General Education Ministry of Power 2801 -Power Ministry of Road Transport and Highways	Voted: Voted: Voted: Voted:		0.50 3.29 109.84 <i>2.30</i>	(된d) (गc) (गc) (종e)	1.00 0.50 3.29 109.84 2.30
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग 2202 - सामान्य शिक्षा उच्चतर शिक्षा विभाग 2202 - सामान्य शिक्षा विद्युत मंत्रालय 2801 - विद्युत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 3055 - सड़क परिवहन	स्वीकृतः स्वीकृतः स्वीकृतः	Department of School Education and Literacy 2202 -General Education Department of Higher Education 2202 -General Education Ministry of Power 2801 -Power Ministry of Road Transport and Highways 3055 - Road Transport	Voted: Voted: Voted: Voted:		0.50 3.29 109.84 2.30 33.64	(된d) (गc) (गc) (종e)	1.00 0.50 3.29 109.84 2.30 33.64

<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD					
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development					
4217 - शहरी विकास पर पूंजी	स्वीकृत:	4217 - Capital Outlay on Urban Development	Voted:		0.01	(जh)	0.01
परिव्यय							
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	292.10		292.10
	भारित:		Charged:		2.57		2.57
	स्वीकृत:		Voted:		289.53		289.53

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) अतिरिक्त रोगियों की संख्या में बढोतरी के कारण मेडिकल दावों की प्रतिपूर्ति (₹ 0.10 करोड़) एवं पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रकाशन कार्य में बढोतरी (₹ 0.17 करोड़) के कारण अतिरिक्त व्यय को प्रा करने के लिए।
- (ख) वार्षिक वेतन वृद्धि, मंहगाई भता प्रदान करने और वेतन मानों में संशोधन के कारण (₹ 97.25 करोड़) एवं पंजाब हिरयाणा उच्च न्यायालय के कंम्यूटरीकरण के लिए कार्यालयी व्यय के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 4.00 करोड़)
- (ग) वार्षिक वेतन, मंहगाई भत्ता प्रदान करने और वेतन मानों के संशोधन की वजह
 से अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्
- (घ) होम गार्ड स्वंय सेवकों को दिए गए दैनिक परिश्रामिक की दरों में संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत् (₹ 1.00 करोइ)
- (ङ) इलेक्ट्रिक बैंड मूल्य में बढ़ोत्तरी के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 109.84 करोड़)
- (च) न्यायालय द्वारा नियत एमएसीटी दावों के भुगतान करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2.30 करोड़)
- (छ) परिवहन विभाग में चालकों व संचालकों को दिए जाने वाले समयोपिर भत्ते की लंबित देयता को पूरा करने के लिए (₹ 16.64 करोड़) और पैट्रोल के उपभोग व इसमें बढ़ोतरी के कारण व्यय को पूरा करने हेत् (₹ 17.00 करोड़)
 - (₹ 0.20 करोड़ (प्रभारित) की बचत के अभ्यर्पण एंव अनुदान के पूंजीगत भाग
 में उपलब्ध (₹ 54.71 करोड़ (स्वीकृत) के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में
 ₹ 237.18 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भ्गतान होगा।
- (ज) माननीय जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय के निर्णय की वजह से भू-स्वामियों को वर्धित प्रतिपूर्ति के भुगतान पर व्यय को पूरा करने हेत् (₹ 10.00 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting the additional expenditure on reimbursement of medical claims due to increase in the number of indoor patients (₹ 0.10 crore) and increase in publication work of Punjab and Haryana High Court (₹ 0.17 crore)
- (b) meeting the additional expenditure due to grant of annual increments, DA and revision of pay scales (₹ 97.25 crore) and office expenses for the computerization of Punjab and Haryana High Court (₹ 4.00 crore)
- (c) meeting the additional expenditure due to grant of annual increments, DA and revision of pay scales.
- (d) meeting the additional expenditure due revision in the rates of daily wages given to Home Guard volunteers (₹ 1.00 crore)
- (e) meeting the additional expenditure due to increase consumption of electricity band price rise (₹ 109.84 crore)
- (f) meeting the expenditure for making the payment of MACT claims decided by the Court (₹ 2.30 crore)
- (g) meeting the expenditure to clear the pending liabilities of overtime allowance given to Drivers and Conductors in the transport department (₹ 16.64 crore) and due to increase in the consumption and rates of POL (₹ 17.00 crore)
 - Taking into account the surrender of savings of ₹ 0.20 crore (Charged) and ₹ 54.71 crore (Voted) available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail an additional cash outgo of ₹ 237.18 crore.
 - meeting the expenditure towards payment of enhanced compensation to the land owners on accounts of the decision of Hon'ble District Court/ High Court (₹ 10.00 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119-124 देखिये)

(See page 119-124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 261.11 903.67 Voted: 642.56 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: 37.31 37.31 Voted: ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 679.87 261.11 940.98 इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड Plan भिन्न Total Non-Plan REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** कृषि मंत्रालय Ministry of Agriculture 2401 - कृषि कार्य 0.50 स्वीकृत: 0.50 (**क**a) 2401 -Crop Husbandry Voted: 2403 - पश् पालन स्वीकृत: 2403 - Animal Husbandry Voted: 1.45 (**क**a) 1.45 स्वीकृत: 2405 - मत्स्य पालन 2405 -Fisheries Voted: 0.48 (कa) 0.48 नागर विमानन मंत्रालय Ministry of Civil Aviation 3053 - नागर विमानन स्वीकृत: 3053 - Civil Aviation Voted: 5.56 (गc) 5.56 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय Ministry of Health and Family Welfare 2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य स्वीकृत: 2.00 (**क**a) 2210 -Medical and Public Health 2 00 Voted: गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs 2055 - प्लिस स्वीकृत: 2055 -Police Voted: 1.41 (कa) 1.41 उच्चतर शिक्षा विभाग Department of Higher Education 2202 - सामान्य शिक्षा स्वीकृत: 2202 -General Education Voted: 19.67 (**क**a) 19.67 सूक्ष्म, लघ् और मध्यम उद्यम मंत्रालय Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises 2851 - ग्रामीण एवं लघ् उद्योग स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries Voted: 0.31 (**क**a) 0.31 विद्युत मंत्रालय Ministry of Power 2801 - विद्युत स्वीकृत: 2801 -Power Voted: 0.37 (खb) 0.37 ग्रामीण विकास मंत्रालय Ministry of Rural Development 2029 - भू-राजस्व स्वीकृत: 2029 -Land Revenue Voted: 0.54 (कa) 0.54 नौवहन मंत्रालय Ministry of Shipping 3051 - पत्तन और प्रकाश स्तम्भ स्वीकृत: 3051 -Ports and Light Houses Voted: 0.72 (कa) 0.72 3052 - नौवहन स्वीकृत: 3052 - Shipping (गc) Voted: 4.00 4.00 शहरी विकास मंत्रालय Ministry of Urban Development स्वीकृत: 2216 - आवास Voted: 0.30 (कa) 0.30 2216 -Housing जोड़ (पूरक) 37.31 37.31 Total (Supplementary) स्वीकृत: Voted: ...

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) विभिन्न विभागों के तहत नियमित कार्मिकों को एमएसीपी प्रदान करने एवं खाली पदों को भरने हेत् अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 27.38 करोड़) The supplementary grants are required for:

(a) For meeting the additional expenditure for awarding MACP to regular employees and filling up of vacant posts under various departments (₹ 27.38 crore)

- (ख) डीजल की खरीद हेतु डीजीएसएंडडी दर संविदा के लंबित दावों का भुगतान करने के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।
- (ग) लक्षद्वीप विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूरी जहाजों की मरम्मत व रख-रखाव व स्थापना और संचालन व रख-रखाव एवं प्रति घंटा प्रभार हेतु मैसर्स पवन हंस हैलीकॉप्टर लिमिटेड के 2 लंग्बित दावों के भुगतान करने पर व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 9.56 करोड़)

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 37.31 करोड़ के अभ्यर्पण के कारण एवं अनुदान के समान भाग में ₹ 9.63 करोड़ की बचत उपयोग करने के पश्चात् उपरोक्त व्यय पर कोई अन्य अतिरिक्त नकद भुगतान नहीं होगा।

- For meeting the expenditure to clear the pending claims of DGS&D Rate contract for purchase of diesel (₹ 10.00 crore)
- establishments for UT Ships with Lakshadweep Development Corporation Limited and to clear the pending claim of M/s Pawan Hans Helicopters Ltd. for operation and maintenance and hourly charges (₹ 9.56 crore)

Taking into account the surrender of savings of ₹ 37.31 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 9.63 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 66 देखिये) (See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 66 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	38.48		22.40		60.88
	स्वीकृत:		Voted:	1321.72		6346.82		7668.54
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount no	W					
पूरक अनुमान:		required:						
	भारित:		Charged:	5.75				5.75
	स्वीकृत:		Voted:			0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1365.96		6369.24		7735.20
	भारित:		Charged:	44.23		22.40		66.63
	स्वीकृत:		Voted:	1321.73		6346.84		7668.57
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नित						
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	n will be accoun		er the follo		Heads:	
				आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न		जोड़ Total
				riali		Non-Plan		IOlai
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2216 - आवास	भारित:	2216 - Housing	Charged:			5.75	(कa)	5.75
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:			0.01	(खb)	0.01
6217 - शहरी विकास के लिए ऋण	स्वीकृत:	6217 - Loans for Urban Development	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.01		0.01		0.02
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.01		5.76		5.77
	भारित:		Charged:			5.75		5.75
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01		0.02
	ū							

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रपित सम्पदा (i) अन्य आवास लघु निर्माण कार्य (₹ 2.10 करोइ), (ii) बगीचा-लघु निर्माण कार्य (₹ 0.75 करोइ) तथा (iii) पट्टा प्रभार किराया, दरें तथा कर (₹ 3.95 करोइ) के अन्तर्गत आवश्यकता को पूरा करने के लिए। स्वीकृत राजस्व/अनुदान के राजस्व/पूंजी में उपलब्ध ₹ 5.75 करोइ की सरेण्डर की गई बचतों को देखते हुए तथा अनुदान के उसी भाग में ₹ 1.05 करोइ की बचतों को उपयोग में लाने के पश्चात: उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation are required for:

a) President Estates to meet the requirement under (i) Other Housing Minor Works (₹ 2.10 crore), (ii) Gardens - Minor Works (₹ 0.75 crore) and (iii) Lease Charges -Rent, Rates & Taxes (₹ 3.95 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 5.75 crore available in the Voted Revenue/Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 1.05 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (ख) (i) गृह मंत्रालय के आवासीय भवन के मुख्य निर्माण कार्य (₹ 0.16 करोड)।
 - (ii) लोकसभा/राज्य सभा के आवासीय भवन के प्रमुख निर्माण कार्य (₹ 13.48 करोड़)
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।
- (ग) चेन्नई मेट्रो रेल कारपोरेट (सीएमआरसी) लि. को सहायता देना (पास-थ्रू)।
 (₹ 177.83 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।
- (i) major works of residential building of Home Affairs (₹ 0.16 crore).
- (ii) major works of residential building of Lok Sabha/Rajya Sabha(₹ 13.48 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

) Pass Through Assistance to Chennai Metro Rail Corporation (CMRC) Ltd.(₹ 177.83 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

लोक निर्माण कार्य

PUBLIC WORKS

(कंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये) (See page 126 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Char	ged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत:	Vo	oted:	1371.55	541.87	1913.42
पूरक अनुदान:	-	SUPPLEMENTARY GRANT:				
•	स्वीकृत:	Vo	oted:	•••	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	ŭ	Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
-	स्वीकृत:	Vo	oted:	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	ŭ	Total (Original plus Supplementary)		1372.55	542.89	1915.44
	भारित:	Char	ged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत:	Vo	oted:	1371.55	541.89	1913.44
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिख	ाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the fo	ollowing Major	r Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works Vo	oted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) उच्चतम न्यायालय के मुख्य कार्य (₹ 9.65 करोड़)।
- (ii) लेखा परीक्षा के मुख्य कार्य (₹ 5.00 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते ह्ए सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (i) major works of Supreme Court (₹ 9.65 crore).
- (ii) major works of Audit (₹ 5.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये) (See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 68 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:			4.00		4.00
	स्वीकृत:		Voted:	1937.30		126.30		2063.60
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1937.32		130.31		2067.63
	भारित:		Charged:			4.00		4.00
	स्वीकृत:		Voted:	1937.32		126.31		2063.63
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर्ग	ोत दिखाया ज	ायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account				Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2701 - वृहत और मध्यम सिंचाई	स्वीकृत:	2701 -Major and Medium Irrigation	Voted:			0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5075 - अन्य परिवहन सेवाओं पर	स्वीकृत:	5075 - Capital Outlay on Other Transport	Voted:	0.01	(खb)			0.01
पूंजी परिव्यय		Services						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.01		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.94 करोड़)। चूंकि इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध हैं, सांकेतिक अनुपूरक अपेक्षित है।
- (ख) अपरदन-विरोधी कार्यों के लिए अितिरिक्त निधि मुहैया कराना, फरक्का बैराज पर फीडर कनाल और अन्य मूलभूत ढांचे की मरम्त एवं रख-रखाव (₹ 25 करोड़)। चूंकि इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध हैं, सांकेतिक अनुपूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) releasing Grants-in-aid-General to National Institute of Hydrology (₹ 1.95 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - providing additional funds for anti-erosion works, procurement of gates, repair & maintenance of Feeder Canal and other infrastructure at Farakka Barrage (₹ 25 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 129 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 69 देखिये) (See page 129 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 69 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Ru	ipees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	18584.00		18584.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		18584.03		18584.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	i के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	or under the	e following Majo	or Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	•••	0.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

"धनलक्ष्मी" योजना के तहत अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए सामान्य-सहायता-अनुदान (₹ 6.80 करोड़)।

इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है। The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid-General for meeting the additional requirement under the scheme 'Dhanlakshmi' (₹ 6.80 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 और वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिये) (See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013 and page 70 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2012-2013)

Demands for Gra	nts for the year 201	2-2013)	,		, 0				,
	•	,				(करोड़ रुपः	ये Rupee	s in Crore)
					राजस्व	ų	् ंजी		जोड़
					Revenue		pital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:			Voted:	1150.70		1.30		1152.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:							
	स्वीकृत:			Voted:	0.03				0.03
इस समय आवश्यक रकव अन्मान:	न का पूरक	Supplementary Estimate of the a required:	amount now						
	स्वीकृत:			Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			1150.75		1.30		1152.05
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्न II. This Supplementary Grant wil	लिखित मुख्य श l be accounted	ोर्ष के अंतर्ग I for under	त दिखाया जाये the following	ागा: g Major Head:	<u>:</u>		
		,			आयोजना		ोजना-		जोड़
					Plan		ोन्न		Total
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				Non	-Plan		
2204 - खेल और युवा म	ामले स्वीकृत:	2204 -Sports and Youth Services	s	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
यह पूरक अनुदान निम्ना	लेखित हेत अपेक्षित है:		The supplem	nentary gra	ant is required	d for:			
., .		तेरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए	(a) (i)	Grants-i	n-aid-Salarie:	s to Nehru `	Yuva Ke	endra Sa	angathan
•	> नहायता-अन्दान(₹ 1.00	**	., ,,	for meet	ing the additi	ional requiren	nent (₹	1.00 cro	e).
		जिला केन्द्रों में वर्तमान कम्प्यूटरों की	(ii)		-	al to Nehru `	•		•
()	,		()	2.3					

- (ii) नेहरु युवा केन्द्र संगठन को 50- जिला केन्द्रों में वर्तमान कम्प्यूटरों की बदली हेतु अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए सामान्य- सहायता-अनुदान (₹ 0.25 करोड़)।
- (iii) राष्ट्रीय राजीव गांधी युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बंदुर को अत्याधुनिक कला पुस्तकालय की स्थापना हेतु सामान्य- सहायता- अनुदान (₹ 10.00 करोड़)।
 - इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन अनुपूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) भारतीय खेल प्राधिकरण को अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए वेतन- सहायता - अनुदान (₹ 4.27 करोड़)।
 - (ii) राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर को अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए वेतन- सहायता - अनुदान (₹ 0.93 करोड़)।
 - (iii) भारतीय खेल प्राधिकरण को अर्जुन पुरस्कार योजना के तहत प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए सामान्य- सहायता अनुदान (₹ 0.40 करोड़),
 - (iv) भारतीय खेल प्राधिकरण को द्रोणाचार्य पुरस्कार योजना के तहत प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए सामान्य- सहायता -अनुदान (₹ 0.18 करोइ),
 - (v) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को वेतन के कारण अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए वेतन- सहायता- अनुदान (₹ 0.80 करोड़)। इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पुरक
 - इसी अनुदान भाग में बचत उपलब्ध होने के मद्देनजर, टोकन पूरक अपेक्षित है।

- (ii) Grants-in-aid-General to Nehru Yuva Kendra Sangathan for meeting the additional requirement for replacement of existing computers in 50-district Kendras(₹ 0.25 crore).
- (iii) Grants-in-aid-General to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbadur for setting up of State of Art Library(₹ 10.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants-in-aid-Salaries to Sports Authority of India for meeting the additional requirement (₹ 4.27 crore).
- (ii) Grants-in-aid-Salaries to Laxmibai National Institute of Physical Education, Gwalior for meeting the additional requirement (₹ 0.93 crore).
- (iii) Grants-in-aid-General for meeting the additional requirement to be reimbursed to Sports Authority of India under the scheme of 'Arjuna Award' (₹ 0.40 crore).
- (iv) Grants-in-aid-General for meeting the additional requirement to be reimbursed to Sports Authority of India under the scheme of 'Dronacharya Award' (₹ 0.18 crore).
- (v) Grants-in-aid-Salaries to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development for meeting the additional requirement on account of Salary (₹ 0.80 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें $2012\text{-}2013\,$ SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2012-13 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूलबजट के 25% से अधिक अथवा 5 करोड़ रुपए, इनमे से जो भी अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded 25% of Original Budget or Rs.5 crore, whichever is more during 2012-13.

whi	chever is more during 2012-	13.	(करोड़ रुपए Ri	ipees in Crore	2)
क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2012-2013 Budget Estimates 2012-2013	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appro- priation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	संस्कृति मंत्रालय मांग सं. 19 Ministry of Culture Demand No.19	मुख्य शीर्ष-2205 विश्व धरोहर निधि को अंशदान 2205-00-798.01.00.32 MH-2205 Contribution to World Heritage Fund - 2205-00-798.01.00.32	0.08	0.02	अमरीकी डॉलर की भारतीय रुपए के मुकाबले उच्च विनिमय दर के कारण। Due to higher exchange rate of US\$ against Indian Rupees.
		मुख्य शीर्ष-2205 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 2205-00-104.01.03.50 MH-2205 National Archieves of India	0.00	7.70	इस्रायल के मेसर्स इस खरीद से गाँधी कैलेनबेंच प्रपत्रों के अभिग्रहण हेतु। For acquisition of Gandhi Kallenbench papers from Ms Isa Sarid of Israel.
		2205-00-104.01.03.50 मुख्य शीर्ष-2205 राष्ट्रीय संग्रहालय 2205-00-107.02.03.12 MH-2205 National Museum 2205-00-107.02.03.12	0.06	0.14	विदेशों में प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु। For holding exhibitions abroad.
		मुख्य शीर्ष-2205 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती समारोह 2205-00-102.04.67.13 MH-2205 Celebration of 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore 2205-00-102.04.67.13	0.60	0.60	वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान विदेशों और भारत में टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु एनजीएमए को निधियां प्रदान करने हेतु। For providing funds to NGMA for holding exhibitions of Tagore paintings overseas and India during F.Y.2012-13.
		मुख्य शीर्ष-2205 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती समारोह 2205-00-102.04.67.20 MH-2205 Celebration of 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore 2205-00-102.04.67.20	0.10	0.38	गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वें जयंती समारोह संबंधी कार्यकलापों के लिए विदेश में स्थित भारतीय मिशनों/विदेश मंत्रालयों को निधियां प्रदान करने हेतु। For providing funds to Indian Missions abroad/Ministry of External Affairs for activities relating to Celebration of 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore.

अनदानों की परक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	(ব	<u> </u>		
1 2	3 मुख्य शीर्ष-2205	4	5	6 टिकट वाले स्मारकों, स्थलों/संग्रहालयों वे
	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2205-00-106.01.03.16 MH-2205 Archaeological Survey of India 2205-00-106.01.03.16	10.00	2.59	लिए सामान्य प्रवेश टिकटों के मुद्रण ए आपूर्ति के संबंध में भारतीय प्रतिभृति मुद्रणालय के लंबित बिलों के भुगतान हेतु For payment of pending bills o Indian Security Press of printing and supply of common entry ticket for ticketed monuments/sites museums.
	मुख्य शीर्ष-2205 अभिनय, साहित्यिक और प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को छात्रवृत्ति और फेलोशिप हेतु पुरस्कार 2205-00-102.04.01.34 MH-2205 Awards for Scholarship and Fellowship to outstanding Artists in the field of Performing, Literary and Plastic Arts 2205-00-102.04.01.34	7.20	2.50	सभी श्रेणियों में पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि के कारण। Due to increase in number of awards in all categories.
	मुख्य शीर्ष-2205 शतवार्षिकियां और वार्षिकोत्सव 2205-00-102.04.12.31 MH-2205 Centenaries and Anniversaries 2205-00-102.04.12.31	0.00	4.90	वर्ष 2012-13 के दौरान श्री मदन मोहन् मालवीय, श्री मोतीलाल नेहरू के 150 वार्षिकोत्सव, गदर पार्टी और सद्दत हुसैन् मंटों के शतवार्षिकी समारोह हेतु। For celebration of 150th Anniversary of Shri Madan Mohan Malviya, Shri Moti Lal Nehru Centenary Commemoration o Gaddar Party and Saddat Husan Manto during 2012-13.
	मुख्य शीर्ष-2205 नवनालंदा महाविहार और ह्वेन टी सांग मेमोरियल हॉल 2205-00-102.04.20.36 MH-2205 Navnalanda Mahavihara and Huen T Sang Memorial Hall 2205-00-102.04.20.36	1.96	0.60	अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान संबंध वचनबद्ध व्यय हेतु। For committed expenditure toward payment of salaries to it employees.
	मुख्य शीर्ष-2205 स्वामी विवेकानन्द का 150वां जयंती समारोह 2205.00.102.04.68.31 MH-2205 Celebration of 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda 2205.00.102.04.68.31 मुख्य शीर्ष-2205 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण — प्राचीन स्मारकों का संरक्षण	18.34	20.00	राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा यथ अनुमोदित स्वामी विवेकानन्द के 150वें जयंर्त समारोह संबंधी विभिन्न कार्यकलापों हेतु For various activities relating to Celebration of 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda as approved by Nationa Implementation Committee. सुख्क्षा नामतः सीआईएसएफ, सशस्त्र पुलिस गार्ड/होम गार्ड और निजी सुरक्षा गार्डों परामर्शदाताओं आदि के अनिवार्य/सांविधिव

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

1	2	2	(करोड़ रुपए Rup		
1	2	3	4	5	6
		MH-2205 Archaeological Survey of India - Conservation of Ancient Monuments	31.50	9.02	To clear obligatory/statutory payment, i.e. salary, other expenses of security viz. CISF/Armed Police; Guard/Home Guard and private
		2205.00.106.02.03.28			security guards, consultants, etc.
		मुख्य शीर्ष-3601 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का 150वां जयंती समारोह 3601.03.201.05.00.31			गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वें जयंती समारोह के संबंध में राज्य सरकारों को निधियां प्रदान करने हेतु।
		MH-3601 Celebration of 150th Birth Anniversary of Gurudev	0.00	0.22	For providing funds to State Governments in connection with the Celebration of 150th Birth
		Rabindranath Tagore 3601.03.201.05.00.31			Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore.
		मुख्य शीर्ष-3601 स्वामी विवेकानंद का 150वां जयंती समारोह 3601.03.201.06.00.31			स्वामी विवेकानंद के 150वें जयंती समारोह के संबंध में राज्य सरकारों को निधियां प्रदान करने हेतु।
		MH-3601 Celebration of 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda 3601.03.201.06.00.311.	0.00	0.50	For providing funds to State Governments in connection with the Celebration of 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda.
<u>:</u> .	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	परिस्थितिकी एवं पर्यावरण अन्य			जैव विविधता पर समागम हेतु पार्टियों के ग्यारहवें सम्मेलन की मेजबानी हेतु।
	Ministry of Environment & Forests	800-अन्य व्यय 06-जैव विविधता संरक्षण 02-सामान्य घटक 20-अन्य प्रशासनिक व्यय 3435-Ecology & Environment 60-Others 800-Other Expenditure 06-Biodiversity Conservation 02-General Component 20-Other Administrative Expe		16.63	For hosting XI conference of parties (Cop-II) to the convention on Biological diversity.
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	2071.01.118.01 केन्द्रीय सरकारी पेंशनधारी	(आयोजना-भिन्न)		के. स.स्वा. योज.पेंशनधारकों के उपचार पर वर्धित व्यय।
	Department of Health & F.W.	2071.01.118.01-Central Government Pensioners	63.00 (Non-Plan)	95.00	Increased expenditure on hospitalization of the CGHS pensioners
		2210.01.103.24- डिस्पेंसरियां/ अस्पतालों की स्थापना	(आयोजना) (आयोजना-भिन्न)		वेतन, मेडिकल चिकित्सा, कार्यालयी व्यर और आपूर्ति व सामग्री की अधिप्राप्ति पर वर्धित व्यय।
		2210.01.103.24-Setting up of Dispensaries/ Hospitals	57.81 (Plan) (605.00 (Non-Plan)	7.45 88.00	Increased expenditure on Salaries Medical Treatment, Office Expenses and procurement o Supplies & Materials.
		2210.01.110.19- सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	(आयोजना)		वेतन, कार्यालयी व्यय,साफ-सफाई/सुरक्ष सेवाओं और दवाइयों व अन्य उपभोज्य पदार्थों की खरीद पर वर्धित व्यय।

अनुदानों की पुरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1 2	3	4	5	6		
	2210.01.110.19-Safdarjang Hospital, New Delhi	153.55 (Plan)	36.20	Increased expenditure on Salaries. Offices Expenses, sanitation, security services and procurement of medicines and other consumables.		
	2210.01.110.20- डॉ. आर.एम.एल. अस्पताल, नई दिल्ली (अ 2210.01.110.20-Dr. R.M.L. Hospital N.Delhi	(आयोजना) गयोजना-भिन्न) 115.65 (Plan) 138.00 (Non-Plan)	13.92	कार्यालयी व्यय, आपूर्तियों व सामग्रियों व छोटे-मोटे निर्माण कार्यों पर बढ़ा हुआ खर्च Increased expenditure on Office Expenses, Supplies & Materials and Minor Works.		
	2210.05.105.39- वर्धमान महावीर । मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली (अ 2210.05.105.39-Vardhaman Mahavir Medical College, New Delhi	(आयोजना) गयोजना-भिन्न) 3.50 (Plan)	5.00	वेतन पर बढ़ा हुआ खर्च । Increased expenditure on Salaries.		
	2210.06.101.30- राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (अ 2210.06.101.30-National T.B. Control Programme.	ायोजना-भिन्न) 140.00 (Non-Plan)	60.00	टी.बी-प्रतिरोधी दवाईयों की आपूर्ति हेत् वैश्विक फंड को प्रतिपूर्ति हेतु सहायत लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक को भुगतान Payment to Controller of Aid, Accounts & Audit towards reimbursement to Global Fund for supply of anti-TB drugs.		
	2211.00.001.01- मुख्यालय में तकनीकी स्कंध 2211.00.001.01-Technical Wing at Headquarter	(आयोजना) गयोजना-भिन्न) 12.50 (Plan) 11.85 (Non-Plan)	0.50 5.60	स्थापना संबंधी व्यय में बढ़ा हुआ खर्च। Increase in establishment related expenditure.		
	2211.00.106.10- सूचना,शिक्षा और संचार-आरसीएच परियोजना 2211.00.106.10 Information, Education and Communication- RCH Project.		50.01	मीडिया अभियान पर बढ़ा हुआ खर्च। Increased expenditure on media Campaign.		
	2211.00.109.09- नेमी (अ प्रतिरक्षा कार्यक्रम 2211.00.109.09-Routine Immunisation Programme	ायोजना-भिन्न) 464.49 (Non-Plan)	89.21	आपूर्ति पर बढ़ा हुआ खर्च। Increased expenditure on supplies		
	2211.00.109.10- पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम (अ 2211.00.109.10-Pulse Polio Immunisation	(आयोजना) गयोजना-भिन्न) 268.71 (Plan) 394.31 (Non-Plan)	0.36 255.40	आपूर्ति पर बढ़ा हुआ खर्च। Increased expenditure on supplies		
	3601.04.245.01- उप-केन्द्र 3601.04.245.01-Sub Centres	(आयोजना) s 2448.49 (Plan)	805.82	राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता। Additional assistance to State Governments.		
	3601.04.246.03- पल्स पोलिया प्रतिरक्षा कार्यक्रम	(आयोजना)		राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता।		

2	2	4		
2	3	4	5	6
	3601.04.246.03-Pulse Polio Immunisation Programme	244.92 (Plan)	67.60	Additional assistance to Star Government.
	3601.04.263.03- राष्ट्रीय विषाणु जन्य रोग नियंत्रक कार्यक्रम ग्रामीण (जीसी)	(आयोजना)		राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता।
	3601.04.263.03-National Vector Borne Disease Control	35.88 (Plan)	13.51	Additional assistance to Star Government.
	Programme Rural (GC) 3601.04.263.05- কালা-ডাব	(आयोजना)		राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता।
	नियंत्रण कार्यक्रम	,		
	3601.04.263.05-Kala-Azar Controls Programme	10.40 (Plan)	23.00	Additional assistance to Sta Government.
	3601.04.789.05.01- उप-के न् द्र	(आयोजना)		राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता।
	3601.04.789.05.01-Sub-	826.19	40.00	Additional assistance to Sta
	Centres	(Plan)		Government.
	3601.04.796.04.01- उप-केन्द्र	(आयोजना)		राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता
	3601.04.796.04.01-Sub-	446.26	14.52	Additional assistance to Sta
	Centres	(Plan)		Government.
	3601.04.796.07.02- राष्ट्रीय विषाणु जन्य रोग नियंत्रक	(आयोजना)		राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता
	3601.04.796.07.02-National Vector Borne Disease Control	15.13 (Plan)	9.72	Additional assistance to Sta Government.
गृह मंत्रालय	2052.00.090.03.02.20- अन्य प्रशासनिक व्यय			वर्ष 2012-13 में आईएसटीएम अनिव प्रशिक्षण (उ.श्रे.लि./सहायक/वै. स./नि सचिव/अनु.अधि./अ.स./उ.स./निदेशक) र सम्मेलनों/बैठकों नामतः/ पद्म विजे पुरस्कार बैठक,ताज केटरिग, सार्क सम्मेव विदेशी प्रतिनिधि बैठक आदि के व्यय पूरा करने के लिए।
Ministry of Home Affairs	2052.00.090.03.02.20- Other Admn. Expenses	1.50	0.85	To meet the expenses pertaining ISTM Mandatory training (UD Asstt./PA/PS/SO/US/DS/Dir.) a for conferences/meeting,name Padma Award, Meeting, Tatering, SAARC Conferent Foreign Delegation meetings e for the year 2012-13.
	2052.00.090.37.01.06- चिकित्सा उपचार 2052.00.090.37.01.06- Medical Treatment	0.03	0.03	अधिक संख्या में चिकित्सा प्रतिपूर्ति बि के लंबित रहने के कारण। Due to more medical i imbursement bills pending.
	2070.00.108.04.01.28- व्यावसायिक सेवाएं 2070.00.108.04.01.28- Professional Services	0.05	0.45	परियोजना भूमि से अतिक्रमण हटाने लिए पुलिस प्राधिकारियों को भुगतान। Payment to Police Authority removal of encroachment on proj land.
	2070.00119.01.00.06 -			मेडिकल लंबित चिकित्सा दावों के भुगत

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6		
		2070.00119.01.00.06 - Medical Treatment	0.15	0.04	Due to payment of pending medical claims.		
		2070.00.119.02.00.28- व्यावसायिक सेवाएं			नया वांछित शीर्ष सक्रिय किया गया।		
		2070.00.119.02.00.28- Professional Services	0	0.01	New objected head activated.		
		2070.00.119.03.04.28- व्यावसायिक सेवाएं			नया वांछित शीर्ष सक्रिय किया गया।		
		2070.00.119.03.04.28- Professional Services	0	0.01	New objected head activated.		
		3454.01.001.01.00.14- किराया, दर तथा कर					
		3454.01.001.01.00.14- Rent, Rates & Taxes 3454.01.800.02.00.14-	1.85	0.80			
		किराया, दर तथा कर 3454.01.800.02.00.14- Rent, Rates & Taxes	3.71	4.71			
		3601.01.145.02.00.31- अनुदान सहायता सामान्य			36 विदेश अभिकरणों के प्रशासन पर हुए व्यय।		
		3601.01.145.02.00.31- Grants-in-aid-General	5.50	1.50	Due to expenditure incurred or Administration of 36 Foreign Tribunals.		
		2070.00.119.03.02.11- घरेलू यात्रा व्यय			अधिक दौरे व दावे लंबित रहने के कारण		
		2070.00.119.03.02.11- Domestic Travel Expenses	0.03	0.02	Due to more tour and claims pending.		
		2070.00.119.03.05.11- घरेलू यात्रा व्यय			अधिक दौरे व दावे लंबित रहने के कारण		
		2070.00.119.03.05.11- Domestic Travel Expenses	0.03	0.01	Due to more tour and claims pending.		
		2070.00.119.03.05.50- अन्य प्रभार			अधिक लंबित बिलों के कारण।		
		2070.00.119.03.05.50- Other Charges	0.02	0.06	Due to more bills pending.		
		3454.02.800.08.00.26- विज्ञापन और प्रचार			जनता में एनपीआर योजना, जिसे ईएफर्स द्वारा अनुमोदित किया गया है, के बारे में जागरूकता अभियान एवं संवेदीकरण के व्यय को पूरा करने के लिए, अतः धन अपेक्षित था।		
		3454.02.800.08.00.26- Advertising & Publicity	17.07	76.93	To meet expenditure for awarenes campaign and sensitization about the NPR scheme to the public which is approved by EFC, hence fund required.		
		4059.80.201.02.00.53- प्रमुख कार्य	2.00	4.20	परियोजना कार्य के विभिन्न सिविल ए इलेक्ट्रिक कार्य।		
		4059.80.201.02.00.53- Major Works	2.00	4.29	Various civil and electric works of project works.		

1 2	3	4	5	6
<u> </u>	2013.00.106.01.01.06- चिकित्सीय उपचार	4	3	अीमती गायत्री त्रिपाठी, पत्नी श्री उपेन्द्र त्रिपाठी, अपर सचिव, मंत्रि. सचि. के विदेश में मेडिकल उपचार हेतु।
Cabinet	2013.00.106.01.01.06- Medical Treatment	0.30	0.30	For medical Treatment abroad in r/o Smt. Gayatri Tripathy, W/o Shri Upendra Tripathy, Addl. Secretary. Cabinet Sectt.
	2013.00.106.01.01.06- चिकित्सीय उपचार			श्रीमती गायत्री त्रिपाठी, पत्नी श्री उपेन्ज त्रिपाठी, अपर सचिव, मंत्रि. सचि. के विदेश में मेडिकल उपचार हेतु।
	2013.00.106.01.01.06- Medical Treatment	0.30	0.07	For medical Treatment abroad in r/o Smt. Gayatri Tripathy, W/o Shr Upendra Tripathy, Addl. Secretary Cabinet Sectt.
	2013.00.101.01.00.06- चिकित्सीय उपचार			मंत्रिमंडल के मंत्रियों के उपचार हेतु अपेक्षित अतिरिक्त निधि।
	2013.00.101.01.00.06- Medical Treatment	0.20	0.05	Additional funds required for Cabinet Ministers treatment.
	2013.00.106.02.01.11- घरेलू यात्रा व्यय			विशेष कार्य बल की अवधि में बढ़ोतरी वे कारण।
	2013.00.106.02.01.11- Domestic Travel Expenses	1.00	0.90	Due to extend the period of the Special Task Force.
	2013.00.108.02.01.11- घरेलू यात्रा व्यय			राज्य मंत्रियों के यात्रा व्यय हेतु।
	2013.00.108.02.01.11- Domestic Travel Expenses	6.50	2.61	For State Ministers travel expenses
	2013.00.798.01.00.32- अंशदान 2013.00.798.01.00.32- Contribution	2.50	0.70	एक अपर सचिव के पत्नी के विदेश में मेडिकल उपचार पर व्यय के कारण। Due to expenditure on medica treatment abroad for the wife of one Additional Secretary.
	2055.00.118.01.01.14- किराया, दरें और कर			संपत्ति कर हेतु नगर निगम को भुगतान वे कारण।
	2055.00.118.01.01.14- Rent, Rates & Taxes	1.00	0.40	Due to payment of MCD towards property tax.
	2055.00.118.01.01.20- अन्य प्रशा. व्यय			एसपीजी अधिकारियों के प्रशिक्षण पर प्रतिबद् व्यय को पूरा करने हेतु।
	2055.00.118.01.01.20- Other Admn. Expenses	71.12	3.61	For meeting committed expenditure on training of SPG Officers.
	2055.00.118.01.01.28- पेशेवर सेवाएं			एसयूआई के सृजन हेतु एक इमारत व वर्धन एवं फेर-बदल हेतु ड्राइंग तैयार कर हेतु परामर्शी सेवाएं और प्रशिक्षण केंद्र बना हेतु राजस्थान में अतिरिक्त भूमि प परियोजना रिपोर्ट तैयार करने एवं सर्वेक्षण करने हेतु डीआरडीओ की परामर्शी सेवाएं
	2055.00.118.01.01.28- Professional Services	0.01	0.47	For consultancy services for preparation of drawing for additional and alteration of building for creation of SUI and

	(ক	ररोड़ रुपए Rup	ees in Crore	<u> </u>
1 2	3	4	5	6
				consultancy services of DRDO for preparation of a project report and conducting survey of the additional land at Rajasthan for creation of Training Centre.
	2055.00.118.01.01.41- गुप्त सेवा व्यय			गुप्त सेवाओं पर व्यय के कारण।
	2055.00.118.01.01.41- Secret Service Expenses	0.30	0.10	due to secret service expenditure.
	2055.00.118.01.01.50- अन्य प्रभार (सी)			प्रत्याशित देयता पर आधारित होने के कारण
	2055.00.118.01.01.50- Other Charges (C)	0.10	0.28	Due to anticipated liability.
	2055.00.118.01.99.13- कार्यलय व्यय			एकीकृत सॉफ्टवेयर प्रणाली एवं एलएएन, डब्ल्यूएएन के अद्यतनीकरण व सर्वर कक्ष् स्थापित करने के कारण।
	2055.00.118.01.99.13- Office Expenses	1.14	0.35	Due to integrated software system and upgradation of LAN/WAN and setting up of Server Room.
	4055.00.206.03.00.52- मशीनरी व उपकरण 4055.00.206.03.00.52-			
	Machinery & Equipment	102.44	27.48	
6. पुलिस 1. असम राइफल	2055.00.103.01.02.16 - प्रकाशन			वित्त वर्ष के दौरान अधिक प्रकाशन के
	205500103010227 - लघु निर्माण कार्य			कारण विभिन्न स्थानों पर भवनों की मरम्मत, रखरखाव और मौजूदा अवसंरचना के
	2055.00.103.01.99.52 - सूचना प्रोद्योगिकी 2055.00.103.01.03.13 -भर्ती			रखरखाव के कारण क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा आईटी उपस्कर की अधिप्राप्ति के कारण
	(कार्यालय व्यय) 2055.00.103.01.03.13 -भर्ती			नई भर्ती के लिए एसएससी को किए गए भुगतान के कारण
	(विज्ञापन और प्रचार) 4055.00.202.04.00.51 मोटर वाहन (वी.)			उत्तर पूर्वी प्रदेश में सभी अखबारों में अधिक विज्ञापन व प्रचार के कारण बेकार वाहनों को बदलने और टायर टयूबों, नैट्री, गाड़ी की छतरी वितान की अधिप्राप्ति और अखबारों में विज्ञापन संबंधी व्यय के कारण।
Police 1. Assam Rifles (A	R) 2055.00.103.01.02.16- Publications	0.35	0.10	Due to more publication during the financial year.
	2055.00.103.01.02.27-Minor Works	17.00	4.50	Due to reapair/maintenance o buildings at various locations and maintenance of existing infrastructure.
	2055.00.103.01.99.52- Information Technology	9.00	4.85	Due to procurement of IT equipments by Sector Headquarter
	2055.00.103.01.03.13- Rectt (Office Expenses)	0.70	0.30	Due to payment made to SSC for new recuritment

	3 * **	की पूरक मांगे 2012-2013 SUPPLEME (क	ररोड़ रुपए Rup		
1	2	3	4	5	6
		2055.00.103.01.03.26- Rectt (Adv. & Publicity)	0.12	0.03	Due to more Advertisement & publicity in all newspaper of NE region.
		405500202040051- Motor Vehicle	18.00	17.00	Due to replacement of condemned vehicles and porcurement of tyres, tubes, battery, hood canopies and new raisings.
2.	सीमा सुरक्षा बल	2055.00.105.01.03.24- पेट्रोल, तेल और स्नेहक			विशेषकर कश्मीर के सीमावर्ती प्रदेश तथा वामपंथ अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किए जाने वाले बटालियनों की परिचालन आवश्यकताओं में वृद्धि और पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि के कारण।
		2055.00.105.01.03.25- वस्त्र और तम्बूओं की आपूर्ति			वार्षिक भंडार की (कॉसर्टिना वायर छोटे और लम्बे कोण वाले लोहे के पिकेट) अधिप्राप्ति हेतु।
		2055.00.105.01.99.52- सूचना प्रौद्योगिकी			कार्यक्रम तैयार करने और तैयार किए गए डाटाबेस के कारण भुगतान रजिस्टर की प्रक्रिया सीमावर्ती मुख्यालयों में केन्द्रिक रूप से की जा रही है।
		2055.00.105.01.05.13- भर्ती			o
		(कार्यालय व्यय) 4055.00.203.01.06.51- मोटर वाहन			अधिक कार्मिकों की भर्ती के कारण। नव-निर्मित प्रतिष्ठानों के लिए 250 वाहन, निर्माण किए जा रहे नए प्रतिष्ठानों के
					लिए 37 ट्रेक्टर, 122 वाहन, 07 सीआईटीएस आदि को बनाए रखने के लिए 550 वाहन की अधिप्राप्ति हेतु।
2.	Border Security Force (BSF)	2055.00.105.01.03.24- POL	180.00	72.45	Due to increase in operational requirement particularly in Kashmir frontier as well as battalions being detailed for LWE infected areas and increase in price of petrol and diesel.
		2055.00.105.01.03.25- Clothing & Tentage	89.89	36.07	To procure annual store (Concertina wire, short and long angled iron pickets).
		2055.00.105.01.99.52- Information Technology	11.00	4.99	Due to development programme and detabase created, payroll is being processed centrally at frontier Headquarters
		2055.00.105.01.05.13- Rectt (Office Expenses)	4.00	1.90	Due to more personnel recruited.
		4055.00.203.01.06.51- Motor Vehicl	le 60.00	40.00	Due to procurement 250 vehicles for newly raised Estts., 37 tractors, 122 vehicles for new raising establishments, 550 vehicles for retaining 07 cits etc.
3.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	2055.00.107.01.02.14- किराया, दर और कर	Ţ		कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार डीआईजी, सीआईएसएफएनईजेड मुख्यालय, कोलकाता संबंधी बकाया किराए के भुगतान के कारण।

		(कर	ोड़ रुपए Rup	ees in Crore	e)
1	2	3	4	5	6
		2055.00.107.01.02.27- लोक निर्माण 2055.00.107.01.02.41- गुप्तचर सेवा व्यय	कार्य		सीआईएसएफ भवन की मरम्मत के कारण वित्त वर्ष के दौरान अधिक व्यय के कारण।
		2055.00.107.01.02.50- अन्य प्रभार (,		कार्यों में दिन प्रतिदिन अधिक वाहनों के उपयोग के कारण।
		२०५५.००.१०७.०१.०३.१३- भर्ती (कार्याल व्यय)	ाय		नई भर्ती के लिए एसएससी को किए गए भुगतान के कारण।
		2055.00.107.01.03.26- भर्ती (विज्ञापन और प्रकाशन)			नई भर्ती के लिए एसएससी को किए गए भुगतान के कारण।
		2055.00.107.01.04.50- शिशु सदन अन्य प्रभार			अधिक व्यय के कारण
3.	Central Industrial Security Force (CISF)	2055.00.107.01.02.14- Rent, Rates & Taxes	0.81	1.16	Due to payment of arrears of rent in respect of DIG, CISF NEZ Hqrs Kolkata as per direction of Honøble High Court of Kolkata
		2055.00.107.01.02.27- Minor Works	8.43	2.94	Due to repair of building of CISF
		2055.00.107.01.02.41- Secret Service Expenses	0.25	0.75	Due to more expenditure during the financial year.
		2055.00.107.01.02.50- Other Charges (V)	5.90	3.60	Due to more vehicles for day to day working.
		2055.00.107.01.03.13- Rectt (Office Expenses)	4.00	2.00	Due to payment made to SSC for new recruitment
		2055.00.107.01.03.26- Rectt (Adv & Publicity)	1.90	0.50	Due to payment made to SSC for new recruitment
		2055.00.107.01.04.50- Creche- Other Charges	0.10	0.35	Due to more expenditure.
4.	. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	2055.00.102.01.02.06- चिकित्सा उपचार			बल की संख्या में वृद्धि और बल के कार्मिकों के नकद रहित उपचार के लंबित दावों के निपटान के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों के कारण।
		2055.00.102.01.02.50- अन्य प्रभार (वी)			विगत देयताओं के निपटान और बल के कार्मिकों के लिए मलेरिया रोकथाम दवाओं और जीवन रक्षक दवाओं की खरीद के कारण।
		2055.00.102.01.03.13- भर्ती (कार्यालय व्यय)			कार्मिकों की अधिक भर्ती के कारण।
4.	Central Reserve Police Force (CRPF)	2055.00.102.01.02.06- Medical Treatment	35.58	20.00	Due to increase in the strength of the Force and additional funds required for clearance of pending claims of cashless treatment of Force personnel.
		2055.00.102.01.02.50- Other Charges (V)	54.50	45.50	Due to clear past liablilities and purchase of malaria prevention medicines & life saving for force personnel.
		2055.00.102.01.03.13- Rectt (Office Expesnes)	4.00	1.00	Due to more personnel recruited.
5.	भारत तिब्बत सीमा पुलिस(आईटीबीपी)	2055.00.105.03.01.06- चिकित्सा उपचार			यूनिटों की प्रतिकूल जलवायु और ऐसी खतरनाक जलवायु दशाओं, जहां बीमारी की दर उच्च हो, में तैनाती के कारण ।
		2055.00.105.03.01.14- किराया, दर और कर			क्षेत्र निर्माणों में वृद्धि सीमाओं पर तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बलों की तैनाती

	अनुदाना	i की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEME <i>(क</i>		EMANDS FO Dees in Crore	
1	2	3	4	5	6
		2055.00.105.03.01.27- लघु निर्माण कार्य			तथा नवनिर्मित यूनिटों में स्थायी भवनों के निर्माण के कारण। क्षेत्र निर्माणों में वृद्धि और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों और सीआईजेडब्ल्यू स्कूल की स्थापना और चालू कार्य के पूरा होने के कारण।
		2055.00.105.03.01.50- अन्य प्रभार (वी)			क्षेत्र निर्माणों में वृद्धि और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों तथा सीआईजेडब्ल्यू स्कूल की स्थापना के कारण।
		2055.00.105.03.01.50- अन्य प्रभार (सी) 2055.00.105.03.03.13- भर्ती (कार्यालय व्यय)			सीटी/जीटी और विभिन्न निम्न संवर्गों की भर्ती परीक्षाओं के संचालन और कर्मचारी चयन आयोग को निधियों की व्यवस्था करने के कारण।
5.	Indo Tibetan Border Police (ITBP)	2055.00.105.03.01.06- Medical Treatment	6.50	3.30	Due to deployment of units in extreme climates and hazardous climate conditions where rate of illness is high.
		2055.00.105.03.01.14- Rent, Rates & Taxes	2.35	0.65	Due to increase in field formations, deployment of forces at Borders as well as naxal affected areas and construction of permanent building at newly raised units.
		2055.00.105.03.01.27- Minor Works	13.50	5.00	Due to increase in field formations and establishment of Regional Training Centres and CIJW school and completion of on going work.
		2055.00.105.03.01.50- Other Charges (V)	49.90	35.10	Due to increase in field formations and establishment of Regional Training Centres and CIJW school.
		2055.00.105.03.01.50- Other Charges (C)	0.10	0.03	•
		2055.00.105.03.03.13- Rectt. (Office Exp.)	3.00	1.14	Due to conducting recruitment examinations of CT/GD and various lower cadre and placement of funds to Staff Selection Commission.
6.	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	2055.00.106.01.02.26- विज्ञापन एवं प्रचार 4055.00.204.02.00.51- मोटर वाहन (वी) 4055.00.204.02.00.52- मशीनरी एवं उपस्कर			वित्त वर्ष के दौरान अधिक विज्ञापन एवं प्रचार के कारण। हल्के वाहन अर्थात् मोटर साइकिलों, आदि की अधिप्राप्ति हेतु। लैड ग्लॉक पिस्टल, प्रोटेक्टिव आई गॉगल्स, गैस मास्क, वॉटर जेट डिस्नाप्टर हाल बॉडी सूट आदि की अधिप्राप्ति
6.	National Security	2055.00.106.01.02.26- Advt. &	0.30	0.10	हेतु। Due to more advertising & publicity
	Guard (NSG)	Publicity 4055.00.204.02.00.51- Motor Vehicles(V)	10.00	3.59	during the financial year. For procurement of Light vehicles i.e. Motor Cycles etc.
		4055.00.204.02.00.52- Machinery & Equip.	35.00	10.75	For procurement of LAD Glock Pistol, Protective Eye Goggales, Gas mask, Water Jet Disrupter, Half Body suit etc.

1	2	3	4	pees in Crore	6
1	$\frac{2}{1}$ सहस्र सीमा बल		4	5	
7.	(एसएसबी)	2055.00.120.01.02.02- मजदूर			सीएसडी एंड डब्ल्यू के अस्र-शस्त्रों परिवहन हेतु कार्यरत श्रमिकों की मजव् के भुगतान के कारण।
		2055.00.120.01.02.50- अन्य प्रभार (वी)			यूनिट एमआई कक्षों के लिए दवार कुत्तों/घोड़ों एवं खच्चरों/टट्टु घोड़ों राशन केरो हीटर के लिए किरोर्स तेल/डीजल की खरी के कारण।
		4055.00.213.04.00.51- मोटर वाहन (वी) सामान्य			वाहनों के बेकार हो जाने की स्थिति उनके बदले जाने के तहत नए वाह की खरीद और नवनिर्मित यूनिटों नए वाहनों की खरीद के कारण।
		4055.00.213.05.00.51- मोटर वाहन (वी) आधुनिकीकरण			नवनिर्मित यूनिटों के लिए मोटरवाह की खरीद के कारण।
7.	Sashastra Seema Bal (SSB)	2055.00.120.01.02.02- Wages	0.16	0.09	Due to payment of wages to the labourers engaged for transportation of Arms & Ammn CSD & W.
		2055.00.120.01.02.50- Other Charges (V)	9.00	5.00	Due to purchase of medicine funit MI rooms, ration for Dog Horses & Mules/Ponies, purcha of kerosene oil/diesel for ke heater.
		4055.00.213.04.00.51- Motor Vehicles(V) General	16.00	12.00	Due to purchase of new vehicl against deficiency, replacement vehicles against condemnation a purchase of new vehicles for new raised units.
		4055.00.213.05.00.51- Motor Vehicles(V) Modernisation	5.00	5.23	Due to purchase of MV for new raised units.
-	दिल्ली पुलिस	2055.00.119.01.01.06- चिकित्सीय उपचार			संख्या में वृद्धि के कारण, केंसर त अन्य बीमारियों के और अधिक बि प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त होने के कारण।
		2055.00.119.01.01.12- विदेश यात्रा व्यय			बढ़ी हुई संख्या को भुगतान करने लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा पुलिस कार्मि को अन्य राज्यों में ड्यूटी हेतु रेत
		2055.00.119.01.02.13- भर्ती (कार्यालय व्यय)			वारंट उपलब्ध कराए गए। प्रतिबद्ध देयताओं को निपटाने के कार
		4055.00.212.09.04.52- मशीनरी एवं उपकरण			विभिन्न बाजारों/बार्डर चेक पोस्टों सीसीटीवी प्रणाली की स्थापना के कार
3.	Delhi Police (DP)	2055.00.119.01.01.06- Medical Tratment	41.25	19.75	Due to increase in strength, mo medical bills received for a imbursement i.e. cancer & oth diseases.
		2055.00.119.01.01.12- Foreign Travel Exp.	0.19	0.10	To make payment to increase strength, railway warrants provid by Railway Ministry to Poli personnel for duty to other state
		2055.00.119.01.02.13- Rectt. (Office Exp.)	1.54	0.46	Due to clear committed liabilitie
		4055.00.212.09.04.52- Machinery & Equip.	60.00	96.78	Due to installation of CCTV syste at various markets/Border Che Posts.

1 2	3	4	pees in Crore 5	6
1 2		4	3	0
				अधिक चिकित्सा दावे प्राप्त होने के
9. आंसू गैस यूनिट	2055.00.800.03.00.06- चिकित्सीय			कारण।
	उपचार			चालू मरम्मत कार्य के पूरा होने के कारण।
0 T C 1 . II . 4	2055.00.800.03.00.27- लघु निर्माण क		0.05	Due to more medical claims
9. Tear Smoke Unit (TSU)	2055.00.800.03.00.06- Medical Treatment	0.05	0.05	received. Due to completion of on-going
(180)	2055.00.800.03.00.27- Minor Works	0.40	0.10	repair work.
	2033.00.000.03.00.27 Nilliof Works	0.10	0.10	Topun work.
				मशीनरी और उपकरणों की अधिक खरीद
10. सेन्द्रल फारेन्सिक साइस	4055.00.216.04.03.52- मशीनरी एवं			के कारण।
लैब (डीएफएस)	उपकरण			Due to purchase of more machinery
10. Central Forensic	4055.00.216.04.03.52- Machinery	8.00	2.25	& equipments.
Science Laboratory (DFS)	& Equip			
(DF3)				
11. सेन्ट्रल फारेन्सिक साइंस	2055.00.101.10.01.13- कार्यालय व्यय			मूल्य वृद्धि के कारण।
लेब (सीबीआई)				
	2055.00.101.10.01.27- लघु निर्माण			चालू निर्माण कार्यों के पूर्ण होने और
11. C	कार्य	0.25	0.10	बिल्डिगों की मरम्मत होने के कारण।
11. Central Forensic Science Laboratory	2055.00.101.10.01.13- Office Expense	s 0.25	0.10	Due to price escalation.
(CBI)	2055.00.101.10.01.27- Minor Works	0.10	0.06	Due to completion of on-going
(==)			*****	works and repair of buildings.
	2055.00.101.09.01.02- मजदूरी			अधिक श्रमिक लगाने के कारण।
(डीएफसी)	2055.00.101.09.01.12- विदेश यात्रा			विदेश में और अधिक प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने के कारण।
12. Directorate of Forensic	व्यय 2055.00.101.09.01.02- Wages	0.02	0.01	Due to more labour engaged.
Science (DFC)	2055.00.101.09.01.12- Foreign	0.06	0.04	Due to attending more training
,	Traval Expenses			workshops abroad.
> 0>0->0-				
 सेन्ट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल (सीडीटीएफ) 	2055.00.003.02.01.27- लघु निर्माण कार्य			चालू निर्माण कार्यों के पूर्ण होने और बिल्डिगों की मरम्मत होने के कारण।
स्कूल (साडाटाएफ)	काय 2055.00.003.02.99.52- सूचना			अधिक कम्प्यूटरों की खरीद के कारण।
	प्रौद्योगिकी			जावक कर चूटरा का दराव कर कारना
13. Central Detective	2055.00.003.02.01.27- Minor Works	1.00	0.45	Due to completion of on-going
Training School				works and repair of buildings.
(CDTS)	2055.00.003.02.99.52- Information	0.60	0.15	Due to purchase of more computers.
	Technology			
14. समन्वय निदेशालय	2055.00.114.01.01.12- विदेश यात्रा			अधिक यात्रा भत्ता दावे प्राप्त होने के
(पुलिस वायरलेस)	व्यय			कारण।
14. Directorate of	2055.00.114.01.01.12- Foreign	0.15	0.05	Due to more TA claims received.
Cordination (Police	Travel Expenses			
Wireless) (DCPW)				
15. नेशनल पुलिस अकादमी	2055.00.003.01.02.25- क्लाथिंग एण्ड			स्टाफ संख्या में वृद्धि के कारण।
(एनपीए)	2055.00.003.01.02.25- क्लायन एण्ड टेंटज			राज्य राज्या न पृद्धि पर पर्गरण।
(3 · 3)	2055.00.003.01.02.27- लघु निर्माण क	गर्य		चालू निर्माण कार्यों के पूर्ण होने और
	3			बिल्डिगों की मरम्मत होने के कारण।
15. National Police	2055.00.003.01.02.25- Clothing	0.70	0.20	Due to increase in staff strength.
Academy (NPA)	& Tentages	4.50	2.00	
	2055.00.003.01.02.27- Minor Works	4.50	3.00	Due to completion of on-going
				works and repair of buildings.

	3	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1	2	3	4	5	6	
	एनआईसीएफएस National Institute of	2055.00.003.04.03.20- अन्य प्रशासनिक व्यय 2055.00.003.04.03.20- Other	0.50	0.15	अधिक संकायों की प्रत्याशा तथा केंटीन कर्मचारियों के भुगतान के कारण। Due to more faculty expected and	
10.	Criminology and Forensic Science (NICFS	Admn. Expenses	0.50	0.13	payment of Canteen employee.	
17.	विभागीय लेखा संगठन	2055.00.001.03.99.52- मशीनरी एवं उपकरण (आईटी)			नवगठित पीएओ को संगठन के लिए और अधिक निधि के कारण।	
17.	Department Accounting Organisation (DAO)	2055.00.001.03.99.52- Machinery & Equipment (IT)	0.95	0.25	Due to more fund for newly set of PAO organisation.	
18.	लैण्ड पोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया	2055.00.001.05.01.13- कार्यालय व्यय			कीमतों में वृद्धि के कारण।	
18.	Land Port Authority of India (LPA)	2055.00.001.05.01.13- Office Expenses	0.20	1.30	Due to escalation in prices.	
19.	आसूचना ब्यूरो (आईबी)	2055.00.001.06.01.02- मजदूरी	_		विभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा कामगारों/ श्रमिकों की मजदूरी की दरों में संशोधन के कारण।	
		2055.00.001.06.02.13- कार्यालय व्यव			विद्युत/पानी की दरों और संस्थान की प्रचालनात्मक लागत में वृद्धि के कारण।	
19.	Intelligence Bureau (IB)	2055.00.001.06.01.02- Wages	10.00	2.75	Due to revision in the rates of wages of casual workers/labourers by various State Govt.	
		2055.00.001.06.02.13- Office Expens	es 5.00	4.00	Due to increase in rates of electricity/water bills and operational cost of running establishment.	
20.	अप्रवास ब्यूरो	2055.00.001.07.01.02- मजदूरी 2055.00.001.07.01.05- पुरस्कार 2055.00.001.07.01.06- चिकित्सा उपचार			अधिक मजदूरों की तैनाती के कारण। अतिरिक्त स्टाफ के कारण स्टाफ संख्या में वृद्धि के कारण।	
		2055.00.001.07.01.20- अन्य प्रशासनिक व्यय			स्टाफ संख्या में वृद्धि के कारण ।	
		4055.00.216.11.01.52- मशीनरी एवं उपकरण			नए आईसीपी के लिए 3 नए वाहनों की खरीद पर व्यय को पूरा करने तथा नए वाहन अर्जन पर लंबित डीजीएस एण्ड डी खर्च को निपटाने के कारण।	
20.	Bureau of Immigration (BOI)	2055.00.001.07.01.02- Wages	0.40	0.10	Due to deployment of more labourer.	
		2055.00.001.07.01.05- Rewards	0.08	0.02	Due to additional Staff	
		2055.00.001.07.01.06- Medical Treatment	0.80	0.20	Due to increase in staff strength.	
		2055.00.001.07.01.20- Other Administrative Expenses	0.06	0.14	Due to increase in staff strength.	
		4055.00.216.11.01.52- Machinery & Equipment	3.10	8.69	Due to expenditure on purchase of 3 new vehicles for new ICPs and to clear pending DGS&D debits on procurement of new vehicles.	
21.	राष्ट्रीय अन्वेषण प्राधिकरण	2055.00.001.09.01.06- चिकित्सीय उपचार 2055.00.001.09.01.14- किराया, दर तथा कर			चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति हेतु और अधिक बिल प्राप्त होने के कारण। एनडीसीसी बिल्डिंग में नए कार्यालय भवन को किराए पर लेने तथा गुवाहाटी,	

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1	2	3	4	5	6	
					कोच्चि, मुम्बई एंव लखनऊ में नर कार्यालय भवन को किराए पर लेने वे कारण।	
		2055.00.001.09.01.26- विज्ञापन एवं प्रचार			वित्त वर्ष के दौरान और अधिक विज्ञापन एवं प्रचार के कारण।	
		2055.00.001.09.01.27- लघु निर्माण कार्य			गुवाहाटी, कोच्चि, मुंबई, लखनऊ तथ मुख्यालयों में सिविल कार्य के कारण	
		2055.00.001.09.99.01- वेतन			आंकड़ा प्रबंध और अधिक के लिए तकनीकी विशेषज्ञों तथा आईर्ट व्यावसायिकों के वेतन का भुगतान करने के कारण।	
		4055.00.216.13.01.52- मशीनरी एवं उपकरण			क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए मशीनरी तथ उपकरण की खरीद के कारण।	
21	. National Investigation Authority (NIA)	2055.00.001.09.01.06- Medical Treatment	0.15	0.55	Due to more bills received for reimbursement of medical bills.	
		2055.00.001.09.01.14- Rent, Rates & Taxes	7.25	12.75	Due to hire of new office building at NDCC Building and new office building hired at Guwahati, Kochi Mumbai & Lucknow.	
		2055.00.001.09.01.26- Adv & Publicity	0.30	0.10	Due to more advertising and publicity during the financial year	
		2055.00.001.09.01.27- Minor Works	1.00	0.46	Due to civil work at Guwahati Kochi, Mumbai, Lucknow and Headquarters	
		2055.00.001.09.99.01- Salaries	0.20	1.00	Due to more technical experts for data management & payment of salaries of IT professionals.	
		4055.00.216.13.01.52- Machinery & Equipment	0.20	0.40	Due to purchase of machinery & equipment for regional offices.	
	* पुनर्विनियोग आदेश शीघ्र * Reapporpriation Ord					
	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2070.00.800.27.03.50 अन्य प्रभार			बीओपी, शमशेर नगर के समीप स्थित बसुमार्त प्राथमिक विद्यालय को सुदूर सीमांत क्षेत्र एवं जम्मू-कश्मीर प्रभाग के बच्चों के फायवें के लिए मॉडल विद्यालय के तौर पर उन्नयन् के लिए शामिल करने हेतु बीएसएफ वे प्रस्ताव के कारण जम्मू-कश्मीर में नगर कार कार्यक्रम हेतु अलग से कोई शीर्ष नहीं है सेवा, अहमदाबाद के माध्यम से कोष स्थापन	
		2070 00 000 27 02 50			के अनुमोदन एवं सीएपीएफ के बजट रं वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान रु. 1.00 करोब जारी करने की मंजूरी मिली है।	
	Other Expenditure of MHA	2070.00.800.27.03.50 Other Charges	0.30	1.35	Due to BSF proposal for adoption	
	OI NIHA	Outer Charges	0.30	1.53	of Bashumati Primary Schoo located near BOP Shamshernagar for its upgradation into a mode school for benefit of children o remote border area and J&k	
					Division has no separate hea Civic Action Programme in .	

Apropoval to fund setting up through SEWA, Ahemedabad and

	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
2	3	4	5	6		
				release of Rs. 1.00 crore during th current financial year from th budget of CAPFs have bee aproved.		
	2235.60.107.01.00.50 अन्य प्रभार			कार्मिकों के भत्तों एवं आवश्यक वस्तुः की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण घर व रख-रखाव की लागत में बढ़ोत्तरी के कारण		
	2235.60.107.01.00.50			त्व त्वाच का ता ति न वक्तत्त का का		
	Other Charges	0.08	0.04	Due to increase in cost of maintenance of the Home due trise in pay & allowances of employees & cost of essential commodities.		
	2245.80.102.04.01.13 कार्यालय व्यय			वस्तुओं के मूल्यों में आम बढ़ोत्तरी की वज		
	कायालय व्यय			वस्तुआ क मूल्या म आम बढ़ात्तरा का वर्ण से		
	2245.80.102.04.01.13					
	Office Expenses	4.00	1.25	Due to general escalation in price of commodities.		
	2245.80.102.11.00.31 सामान्य अनुदान सहायता			सीएएए द्वारा वर्धित घाटे को पूरा करने हे		
	2245.80.102.11.00.31			a di		
	Grants-in-aid General	10.00	1.00	To meet the debit raised by the CAAA		
	2245.80.102.14.01.05 प्रोत्साहन			विभिन्न प्रकार्यात्मक डयूटियों आदि हे कार्मिकों की तैनाती किए जाने के कार		
	2245.80.102.14.01.05 Rewards	0.15	0.05	Due to reward for deployment of personnel for various operation duties etc.		
	2245.80.102.14.01.50 अन्य प्रभार			एक नई बटेलियन शामिल करने के अला अस्पतालों के लिए औषधि/कुत्तों का भोजन कुत्तों की दवाईयों की अधिप्राप्ति, विभिन् मदें जैसे प्रशिक्षण उपकरण, नाई के औजा मोची के औजार, बर्तन, तैयार भोजन आं खरीदना।		
	2245.80.102.14.01.50 Other Charges	1.70	0.55	Procurement of medicine for hospital/dog feeds, dog medicine procurement of Misc items like training equipment, barber tool cobbler tools, utensils and ready-to-eat meals etc. in addition induction of one new battatlion.		
	3601.01.146.01.00.31 सामान्य अनुदान सहायता					
				1984 के दंगों के प्रभावित लोगों के दा का भुगतान करने के कारण Due to settlement of claims of tl		

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1	2	3	4	5	6	
3.	कार्मिक, लोक शिकायत	मुख्य शीर्ष 2051				
	तथा पेंशन मंत्रालय	लोक सेवा आयोग				
		मंत्रालय 103				
		कर्मचारी चयन आयोग				
		एसएच 01 स्थापना				
		डीएच 01 सामान्य प्रशासन				
		ओएच 28 पेशेवर सेवाएं				
	Ministry of Daysonnol	MH: 2051				
	Ministry of Personnel,					
	Public Grievances &	Public Service Commission				
	Pensions	MIN: 103				
		Staff Selection Commission				
		SH: 01 Establishment				
		DH: 01 General Administration				
		OH: 28 Professional Services	41.50	10.00		
		ओएच 02 पारिश्रमिक				
		OH: 02 Wages	0.86	0.20		
		OII. 02 Wages	0.00	0.20		
9.	सामाजिक न्याय एवं	2251.00.090.02.			चिकित्सा संबंधी अधिक दावों की प्रापि	
	अधिकारिता मंत्रालय	सामाजिक न्याय एवं			के कारण।	
		अधिकारिता मंत्रालय				
		02.01.06				
		चिकित्सा उपचार				
	Ministry of Social	2251.00.090.02.				
	Justice and	Ministry of Social Justice				
	Emplowerment	and Empowerment				
	Emplowerment	02.01.06-	0.24	0.10	Due to receipt of more medic	
			0.24	0.10	claims.	
		Medical Treatment			Claims.	
		2251.00.090.02.				
		सामाजिक न्याय एवं			सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	
		अधिकारिता मंत्रालय			मंत्रालय में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन	
		02.99.50			हेतु।	
		७२. <i>५५.</i> .५७ अन्य प्रभार			3.	
		2251.00.090.02.				
		Ministry of Social Justice				
		and Empowerment				
		02.99.50-	0.30	0.35	For implementation of eOffice	
		Other Charges			the Ministry of Social Justice ar	
					Empowerment	
		मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में अवस्थित	
		17.01.31- सामान्य			राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	
					जारी करने हेत्।	
		सहायता अनुदान 3601.04.789.17.01-				
			1460.00	27.52	For releasing Grants in sid to Sta	
		Post Matric Scholarship	1468.00	37.53	For releasing Grants-in-aid to Sta	
		17.01.31 - Grants-in-aid -			Governments located in NE Region	
		General			& Sikkim.	
0.	कपड़ा मंत्रालय	संग्रहालय			शिल्पकला संग्रहालय के कायाकल्प के लि	
10.	· p· ·································	(बजट शीर्ष -2851.00.103.24.00.27			अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।	
		लघु निर्माण कार्य				
	Ministry of	Museum (Budget Head -	0.90	6.10	Additional amount required for	
	Textiles	2851.00.103.24.00.27)	0.70	0.10	rejuvenation of Crafts Museum.	
	ICALIES	Minor Works			-J	
		TATILIOI AAOLYS				

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2010-11 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूलबजट के 25% से अधिक अथवा 5 करोड़ रुपए, इनमे से जो भी अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded 25% of Original Budget or Rs.5 crore, whichever is more during 2010-11.

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
क्र.			बजट अनुमान	पुनर्विनियोग	
सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	2010-2011	की राशि	टिप्पणियां
S1.	Name of the Ministry/	Scheme	Budget	Amount of	Remarks
No.	Department		Estimates 2010-2011	Re-appro- priation	
1	2	3	4	5	6
1.	शहरी विकास मंत्रालय	2217 - शहरी विकास			
		80- सामान्य			
		001 - निर्देशन एवं प्रशासन			19वें कामनवेल्थ खेल के दौरान दर्शकों
		05 - दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को उदान			हेतु मेट्रों टिकटों की लागत को पूरा करने के लिए।
		05.00.31 - सामान्य अनुदान सहायता			
	Ministry of Urban	2217 - Urban Development			
	Development	80 - General			
		001 - Direction & Administration			
		05 - Grants to Delhi Metro Rail			
		Corporation			To meet the cost of Metro Tickets
		05.00.31 - Grants-in-aid-Genera	0.00	1.28	for Spectators during XIXth Commonwealth Games.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2011-12 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूलबजट के 25% से अधिक अथवा 5 करोड़ रुपए, इनमे से जो भी अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded 25% of Original Budget or Rs.5 crore, whichever is more during 2011-12.

			(कराड़ रुपए Ki	(कराड़ रुपए Rupees in Crore)		
क्र.			बजट अनुमान	पुनर्विनियोग		
सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	2011-2012	की राशि	टिप्पणियां	
S1.	Name of the Ministry/	Scheme	Budget	Amount of	Remarks	
No.	Department		Estimates	Re-appro-		
			2011-2012	priation		
1	2	3	4	5	6	

1	2	3	4	5	6
1.	शहरी विकास मंत्रालय	6217 - शहरी विकास मंत्रालय के			
		लिए ऋण			
		60 - अन्य शहरी विकास स्कीम			
		191 - नगर निगम को लोन			चालू परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए
		12 - दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन			दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. को पास
		को जेबीआईसी से पास थ्रू सहायता			थ्रू सहायता हेतु
		12.00.55 - क्रय तथा अग्रिम			
	Ministry of Urban	6217 - Loans for Urban			
	Development	Development			
	-	60 - Other Urban Development			
		Schemes			
		191 - Loans to Municipal			
		Corporation			
		12 - Pass Through Assistance to			For Pass Through Assistance to
		Delhi Metro Rail Corporation			Delhi Metro Rail Corporation Lim-
		from JBIC			ited for implementation of the on-
		12.00.55 - Loans and Advances	650.00	21.00	going project.